एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

1.	निदेशक मंडल	1
2.	अध्यक्ष का संदेश	2
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	7
4.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	17
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	48
6.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	59
7.	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	87
8.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि खाता	88
9.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी	89
10.	नकदी प्रवाह विवरणी	90
11.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में टिप्पणियां	92

निदेशक मंडल की सूची (12.11.2021)

श्री राजीव बंसल — अध्यक्ष
श्री विनोद हेजमाड़ी
श्री प्रांजोल चन्द्रा
श्री दीपक सजवान
सुश्री मीनाक्षी मलिक

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री विनीत सूद

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री अम्बर कुमार मण्डल

कम्पनी सचिव
श्रीमती मंजिरी एम. वझे

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स एस. के. कपूर एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
16/275, जीवन विकास भवन
सिविल लाईंस
कानपुर–208001

पंजीकृत कार्यालय
एलाइंस भवन
अन्तरदेशीय, टर्मिनल–1
आई.जी.आई. एयरपोर्ट,
नई दिल्ली–110037.

अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयर होल्डरों,

मुझे आपके समस्त कम्पनी की वित्तीय वर्ष 2020–21 की 38वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) देश की अग्रणी अंतरर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय एयरलाइन है, जो एअर इंडिया के नेटवर्क के साथ पूर्ण सांमजस्य में भारत में टायर II व टायर III के शहरों हेतु सम्पर्क उपलब्ध करवाती है। कम्पनी अपने विमान बेड़े में अधिक विमानों को शामिल करके पैन इंडिया आधार पर अपने प्रचालनों के विस्तार की प्रक्रिया में है। यह विमान देश के अन्दर छोटे मार्गों के लिए सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे और विदेशों के लिए भी प्रचालन करेंगे।

अवलोकन–नागर विमानन उद्योग

भारत का नागर विमानन उद्योग पहले की अपेक्षा अब अधिक परिपक्व बाजार बन रहा प्रतीत होता है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) के अनुसार, भारतीय विमानन बाजार 2024 तक यात्रियों के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की उम्मीद है। उद्योग की वृद्धि कई शहरों के हवाई अड्डों, एक उदार एफडीआई नीति, सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना और क्षेत्रीय संपर्क पर जोर देना के विकास से प्रेरित है।

हवाई यात्रा में वृद्धि

विश्व विमानन उद्योग की तरह, कोविड–19 महामारी का भारतीय विमानन उद्योग पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू यात्री हवाई यातायात वर्ष 2019 में 144 मिलियन यात्रियों की तुलना में वर्ष 2020 में 63 मिलियन यात्रियों तक पहुंच गया है जिसमें 56.29 प्रतिशत की गिरावट आई है। वैश्विक कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण हवाई यातायात में कमी आयी है।

कोविड –19 की पहली लहर की क्रमिक कमी के साथ, भारत फरवरी 2021 की अवधि में घरेलू यातायात में तीव्र 'वी' आकार की वसूली देख रहा था। इसके अलावा, इन मांग प्रवृत्तियों के आधार पर सरकार ने धीरे–धीरे घरेलू बाजार की क्षमता 80% तक बढ़ा दी है।

भारत तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार होगा

भारत में नागरिक उड्डयन उद्योग पिछले कुछ वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। नई शताब्दी के बाद से भारत में, विशेष रूप से बढ़ती आय, अतिरिक्त कनेक्टिविटी और किफायती किराए के साथ हवाई–यात्री यातायात में वृद्धि मजबूत हो रही है हालाँकि, महामारी के कारण हुए गंभीर व्यवधान, हवाई यात्रियों के बीच बढ़े हुए जोखिम को देखते हुए, देशों में यात्रा प्रतिबंधों की संभावना और कॉर्पोरेट यात्रा में कटौती के कारण एयरलाइन क्षेत्र में रिकवरी में समय लगेगा।

इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के अनुसार, वर्ष 2025 तक यूके से आगे बढ़कर, भारत तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने के लिए तैयार है। विदेशी निवेश के प्रवाह से पिछले सात वर्षों में उद्योग के विकास में गति आई है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2000 से सितंबर 2017 के बीच हवाई परिवहन (एयर फ्रेट सहित) में एफडीआई प्रवाह 1.59 अरब अमरीकी डॉलर रहा। मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, देश में अगले दशक में एयरपोर्ट के क्षेत्र में 25 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश और 13% की यातायात वृद्धि होगी। इसके आंकलन के अनुसार देश में संयुक्त हवाई और रेल यात्रा में हवाई यात्रा का हिस्सा 2027 तक 15.2 प्रतिशत हो जाएगा।

ईंधन की कीमतें

एयरलाइनों की प्रचालन लागत में ईंधन की कुल कीमत लगभग 30% से 40% होती है। वित्त वर्ष 2020–21 की शुरुआत में, कोविड महामारी और आर्थिक मंदी के चलते, एयरलाइंस को राहत देने के उद्देशय से ईंधन की कीमतों में कमी की गई थी, लेकिन बाद

में इसमें लगातर वृद्धि हुई जिससे एयरलाइंस की प्रचालन लागत पर बोझ बढ़ गया।

भारतीय उपभोक्ता मूल्य पर काफी ध्यान देते हैं और एयरलाइनों द्वारा देखा गया है कि कीमतों में बढ़ोतरी से मांग में तत्काल गिरावट आती है। एयरलाइन को लागत में कटौती और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए यात्री सेवा में सुधार व प्रचालनों में बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

संक्षेप में, भारतीय विमानन उद्योग आने वाले वर्षों में अग्रसर होने की दिशा में एक बड़े कगार पर है। मार्च 2020 के बाद से, कोविड–19 प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, जिसने विमानन उद्योग को भी काफी हद तक प्रभावित किया है। उम्मीद की जा सकती है कि नीतिगत वातावरण इसके विकास के लिए अनुकूल रहे ताकि उद्योग आने वाले सालों में अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सके।

नई नागर विमानन नीति–क्षेत्रीय सम्पर्क योजना

भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय सम्पर्क योजना ''उड़े देश का आम नागरिक'' (उड़ान) प्रारंभ की गई है जो 2017 से 10 वर्षों तक चलेगी और मौजूदा हवाईअड्डों और हवाईपट्टियों को पुर्नःजीवित करने का कार्य करेगी। इस योजना के तहत बोली के प्रथम राउंड में सरकार द्वारा लगभग 128 क्षेत्रीय रूट दिए गए हैं।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के 2, 3, 3.1 और चौथे दौर में, पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में उड़ान सेवाओं में वृद्धि के उद्देश्य से एयरलाइनों और हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को क्रमशः 325 मार्ग, 235 मार्ग, 44 मार्ग और 90 मार्ग दिए गए हैं। इस योजना के तहत एयरलाइन ऑपरेटरों को आधी सीटें रियायती दरों पर देनी होंगी जिसमें सरकार द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) या एयरलाइंस को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

आरसीएस की शुरूआत के साथ, एलाइंस एअर के लिए असेवित और अल्पसेवित एयरपोर्टों के लिए कई नए मार्ग खुल गए हैं और इसे बोली प्रक्रिया के क्रमशः 1, 2, 3, 3.1 और 4 दौर में 17 मार्ग, 26 मार्ग, 40 मार्ग, 12 मार्ग और 14 मार्ग आबंटित किए गए हैं। एलाइंस एअर ने सक्रिय रूप से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के 4.1 दौर में भाग लिया था और इसका मार्ग आंबटन प्रतीक्षित हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल, 2017 को शिमला–दिल्ली क्षेत्र की पहली 'यूडीएएन' उड़ान का शुभारंभ किया और एलाइंस एअर को लॉन्च वाहक होने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। एलाइंस एअर द्वारा 31 मार्च, 2021 तक 73 मार्गों पर सेवाएं प्रारंभ की गई हैं और बोली लगाने के पहले दौर में दिए गए सभी मार्गों पर संचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। भारत सरकार के सहयोग से फिक्की द्वारा आयोजित विंग्स इंडिया 2018 के तहत, एलाइंस एअर को आरसीएस के तहत ''सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर'' का विजेता घोषित किया गया है।

चूंकि असेवित व अल्पसेवित मार्गों पर प्रचालन हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इससे टायर 2/3 के शहरों को जोड़ने वाले क्षेत्रीय मार्गों पर प्रचालन में वृद्धि होगी। अपने युवा एटीआर विमान बेड़े की मदद से एलाइंस एअर क्षेत्रीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान ले सकती है। अतः कम्पनी की आरसीएस बिडिंग के अगले चरण में भी तत्परता से भाग लेने की योजना है।

वर्ष के दौरान कम्पनी का निष्पादन

वित्त वर्ष 2020–2021 के लिए कंपनी की कर पश्चात निवल हानि 3599.3 मिलियन रु. है, जबकि वित्त वर्ष 2019–20 के लिए कर के बाद का निवल हानि 2355.7 मिलियन रु. रही। कोविड–19 के कारण 26 मार्च 2020 से 25 मई 2020 के बीच व तदंतर कोई प्रचालन नहीं होने व प्रचालन में कमी के कारण प्रचालन राजस्व में कमी आयी है, व उसके कारण 1243.5 मिलियन रू की हानि में वृद्धि आई है। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के वार्षिक खातों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- कोविड–19 के कारण, 2020–21 में कुल राजस्व घटकर 4592.3 मिलियन रु. हो गया है, जो 2019–20 में 11811.5 मिलियन रु. था, यानी 61.12% की कमी हुई है। इसके अलावा प्रचालन राजस्व में भी 2019–20 में 9930.3 मिलियन रू की तुलना में 2020–21 में 4535.4 मिलियन रु. यानी 54.33% की कमी हुई है।

- 2020–21 में कुल खर्च को घटाकर 8193.2 मिलियन रु. कर दिया गया है, जो 2019–20 में 14163.6 मिलियन रु. था, यानी 42.15% की कमी हुई है। इसके अलावा, प्रचालन व्यय को घटाकर 2020–21 में 6784.7 मिलियन रु. कर दिया गया है, जो 2019–20 में 9279.4 मिलियन रु. था, यानी 26.88% की कमी हुई है।

- कोविड–19 के दौरान प्रतिबंधित उड़ान प्रचालन के कारण, 2020–21 में वास्तविक ब्लॉक घंटे 29248 हैं, जबकि 2019–20 में उड़ान के 52,335 घंटे थे। 2019–20 में 3,193 रू. के मुकाबले 2020–21 में प्रति यात्री यील्ड 4,132 रू. थी।

- 2020–21 में एएसकेएम 551.546 मिलियन रु. हैं, जबकि 2019–20 में 1027.46 मिलियन रु. थे। 2020–21 में आरपीकेएम 282.639 मिलियन रु. हैं, जबकि 2019–20 में 672.05 मिलियन रु. थे। 2019–20 में 10.0 के मुकाबले 2020–21 में प्रति आरपीकेएम यील्ड 7.1 है। 2020–21 में यात्री लोड फैक्टर 57% है, जबकि 2019–20 में यह 73% था।

- एटीएफ की लागत में 2020–21 में 1175.2 मिलियन रु. (यानी 59.86%) मुख्य रूप से प्रचालन में 44% की कमी के साथ–साथ ईंधन दरों में 36% की कमी के कारण। प्रस्थान में 42% की कमी के कारण हैंडलिंग शुल्क में 162.5 मिलियन रु. की कमी की गई है। प्रचालन में कमी के कारण विमान रखरखाव शुल्क में भी 434.9 मिलियन रु. यानी 24.84 फीसदी की कमी की गई है। यात्री सेवाओं से संबंधित व्यय में भी यात्री लोड में कमी के अनुपात में कमी की गई है।

दूसरी लहर का प्रभाव

इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत पहली कोविड–19 लहर के साथ हुई, जो मार्च 2020 में शुरू हुई थी, वर्ष के दौरान कोविड के मामलों और यातायात दोनों में कुछ सुधार का अनुभव किया गया, लेकिन मार्च 2021 में दूसरी कोविड–19 लहर के साथ और भी अधिक गंभीरता के साथ समाप्त हुआ। कुल मिलाकर, यह हमारे ग्राहकों, हमारे कर्मचारियों, हमारे शेयरधारकों और उन समुदायों के लिए असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण वर्ष था जिनकी हम सेवा करते हैं।

मार्च 2021 के बाद से, राज्यव्यापी लॉकडाउन और अतिरिक्त यात्रा प्रतिबंधों के कारण कोविड–19 की दूसरी लहर ने मांग वसूली को आगे बढ़ाया है। नतीजतन, प्रति दिन औसत घरेलू यात्री फरवरी 2021 में लगभग 280,000 से घटकर अप्रैल 2021 में लगभग 191,000 हो गए और मई 2021 में और नीचे आ गए। सीएपीए के अनुसार, अधिकांश भारतीय एयरलाइंस पहले से ही कोविड के नकदी मुद्दों का सामना कर रही थी, कोविड–19 के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और वाहकों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है।

भावी योजनाएं

कोविड–19 के वैश्विक प्रकोप ने उड़ान प्रचालन को रोक दिया, जिसका विमानन उद्योग पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भारत सरकार ने वायरस के आगे प्रसार को रोकने के लिए यात्रियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो अभी भी लागू है क्योंकि घरेलू कैरिज क्षमता पूर्व कोविड स्तर (जून 2021 तक) से 50% तक सीमित है। विदेशी यात्रा का पुनरुद्धार घरेलू की तुलना में धीमा और अधिक चुनौतीपूर्ण होने की उम्मीद है, इसलिए विदेशी यातायात की आवाजाही, टायर II, टायर III शहरों में पर्यटन स्थलों के लिए जहां एलाइंस एअर प्रचालित होती है, धीरे–धीरे बढ़ने की उम्मीद है। उड्डयन उद्योग में सभी बाधाओं के बावजूद, भारत में यात्री यातायात चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू होने की उम्मीद है। सभी संयुक्त प्रयासों के साथ, कंपनी यात्री यातायात और राजस्व में भी क्रमिक वृद्धि देख रही है। सभी एयरलाइनों द्वारा क्षमता लगाए जाने व किरायों के किफायती होने के कारण भारत में विमानन बाजार में निरन्तर वृद्धि हो रही है। हालांकि बड़ी एयरलाइनों ने छोटे हवाई अड्डों में क्षमताएं तैनात करनी शुरू कर दी है तथापि टायर II व टायर III के शहरों की वृद्धि अभी भी अप्रयुक्त है। एक बार जब हवाई यातायात महामारी की स्थिति से उबर कर फिर से शुरू हो जाता है, तो एलाइंस एअर देश में टायर II व टायर III बाजार का अन्वेषण करेगी। एलाइंस एअर द्वारा जनवरी, 2003 से एटीआर विमानों का प्रचालन किया जा रहा है। टायर II व टायर III के शहरों हेतु प्रचालन करने के अपने दशक से भी अधिक अवधि के अनुभव का कम्पनी लाभ उठाना चाहती है। वर्तमान में कम्पनी के विमान बेड़े में 18 एटीआर 72–600 विमान शामिल हैं। 49 स्टेशनों (15 सितम्बर, 2021 तक) के नेटवर्क पर दैनिक 85 उड़ानों हेतु तैनात किया गया है। वित्त वर्ष 2019–20 में, कम्पनी ने अपने नेटवर्क का विस्तार व पहुंच पड़ोसी देशों तक की है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए कोविड प्रतिबंधों के कारण, प्रचालन को रोक दिया गया था। एक बार जब सरकार ने उड़ान प्रतिबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया और कोविड की स्थिति में सुधार

हुआ, तो कंपनी आने वाले वर्षों में बेड़े को बढ़ाकर अपने नेटवर्क (अंतरराष्ट्रीय सहित) का विस्तार करने की योजना बना रही है।

विमानन उद्योग में कोविड–19 महामारी के प्रभाव के कारण, प्रबंधन द्वारा लागत में कटौती करने और पट्टेदारों और विक्रेताओं के साथ विभिन्न समझौतों पर फिर से बातचीत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं और हमें विश्वास है कि धीरे–धीरे और निश्चित रूप से एयरलाइन गति प्राप्त कर रही है। वित्त वर्ष 2021–22 के मध्य में पूर्ण प्रचालन फिर से शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी में अपने वित्तीय मानकों को रिवर्स कर आने वाले वर्षों में और प्रचालन लाभ प्राप्त करेगी।

धन्यवाद प्रस्ताव

मैं, एअर इंडिया लि. और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिए गए सम्पूर्ण सहयोग के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। मैं, बैंक तथा नियामक एजेंसियों सहित सभी अन्य प्राधिकरणों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं तथा विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रगति के पथ पर अपनी यात्रा जारी रखेंगे और कम्पनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं बोर्ड के अपनी सभी सहयोगियों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं कम्पनी के सभी कर्मचारियों को एलाइंस एअर को यात्रियों की पहली पसंद बनाने में उनके योगदान व सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

बोर्ड की ओर से, सदैव की भांति, मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

हस्ता./–
(राजीव बंसल)
अध्यक्ष

विज़न

प्रमुख अंतरर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय एयरलाइन होना, एअर इंडिया के नेटवर्क के साथ सम्पूर्ण तालमेल से भारत के टायर II व टायर III के शहरों के बीच सम्पर्क उपलब्ध करवाना व दक्षिण एशियाई शहरों को एलाइंस एअर नेटवर्क के साथ जोड़ना।

लक्ष्य व उद्देश्य

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय एयरलाइन

ग्राहक

- सुरक्षित, विश्वसीय एवं समय पर सेवाएं प्रदान करना।
- ग्राहकों को सर्वोत्तम संतोषजनक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कदम उठाना।
- एयरलाइन बाजार में नये यात्री बेस की संभावना खोजना।
- मुख्य अंतरदेशीय व अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक अबाध यात्रा हेतु मैट्रो शहरों व आगे वन–स्टॉप सम्पर्क उपलब्ध करवाना।

प्रक्रियाएं

- सुरक्षा एवं कुशलता के मानकों में निरंतर सुधार करना।
- नए एवं आधुनिक विमान बेड़े का प्रचालन व अनुरक्षण।
- एअर इंडिया के मुख्य नेटवर्क के साथ संयोजन में सर्वोत्तम एवं संर्वधित कुशल नेटवर्क उपलब्ध करवाना।
- आर्थिक स्रोतों का सृजन।
- क्षेत्रीय शार्ट–हॉल एयरलाइन प्रचालक की छवि व प्रतिस्पर्धात्मक बाजार प्रतिष्ठा में वृद्धि

मार्ग–नेटवर्क

- सघन रेल यातायात से प्रतिस्पर्धा
- मेट्रो व आगे तीव्र क्षेत्रीय सम्पर्क की अपेक्षाओं को पूरा करना
- वायु सम्पर्क से अछूते शहरों में सम्पर्क उपलब्ध करवाना।

लोग

- अत्यधिक प्रेरित एवं व्यावसायिक टीम का निर्माण करना।
- पारदर्शिता एवं नैतिकता के उच्चतम स्तर को बनाए रखना।
- जिम्मेदार निगमित नागरिक बनना।

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्य
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एलाइंस एअर एविएशन लि. (एएएएल) के लेखा परीक्षित, लेखा विवरण सहित 38वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके निदेशक सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1. कम्पनी का वित्तीय निष्पादन

गत वर्ष की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय निष्पादन इस प्रकार हैं :–

वित्तीय निष्पादन

(रु. मिलियन में)

विवरण	**2020-21**	2019-20
प्रचालन राजस्व	**2535.79**	7136.04
निर्धारित राजस्व	**1988.29**	2419.72
गैर निर्धारित राजस्व	**11.31**	374.53
अन्य प्रचालन राजस्व	**56.88**	1881.25
अन्य आय		
कुल राजस्व	**4592.27**	11811.54
कुल व्यय	**8193.21**	14163.55
अन्य व्यापक आय	**1.62**	(3.74)
वर्ष के दौरान कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	**(3600.94)**	(2352.01)
वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) व्यापक आय	**(3599.32)**	(2355.75)
शेयर पूंजी	**4022.50**	4022.50

कम्पनी के मामलों की स्थिति के बारे में सूचना

कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी हवाई परिवहन के व्यवसाय में है जिसमें भारत में मुख्य रूप से यात्री और कार्गो सेवाएं और अन्य संबंधित सेवाएं शामिल हैं। वर्ष के अंत तक कंपनी के पास 18 एटीआर–72–600 विमानों का बेड़ा है।

कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया रिपोर्ट के प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट को देखें।

शेयर पूंजी

प्राधिकृत शेयर पूंजी

31 मार्च, 2021 को कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 2,000 करोड़ रु. थी जो 100/– रु. प्रति के 20 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी

31 मार्च, 2021 को कम्पनी की जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी 402.25 करोड़ रु. थी जो 100/– रु. प्रति के 4 करोड़ दो

लाख 25 हजार इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

कम्पनी के नाम में परिवर्तन

कंपनी का नाम एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड से परिवर्तित कर एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड कर दिया गया है, जो 7 मार्च 2020 से प्रभावी है।

शेयर पूंजी में परिवर्तन, यदि कोई हो।

वर्ष के दौरान कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है।

लाभांश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 123 के अनुसार कम्पनी की संचित हानि को देखते हुए किसी लाभांश पर विचार नहीं किया गया है।

दावे नहीं किए गए लाभांश को इन्वेस्टर एजूकेशन और प्रोटेक्शन फंड में अंतरित करना

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 125 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते चूंकि पिछले वर्षों में अप्रदत्त/अदावाकृत कोई भी लाभांश नहीं दिया गया।

रिजर्व में स्थानांतरित राशि

संचित हानि को देखते हुए, वर्ष के दौरान कम्पनी के बोर्ड द्वारा रिजर्व में, कोई भी राशि स्थानांतरित ना करने का निर्णय लिया गया।

मानव संसाधन

वर्ष के अन्त में कम्पनी में कर्मचारी क्षमता, कॉंट्रैक्चूअल कर्मचारियों की संख्या 843 (847) थी, जिसमें मूल कम्पनी एअर इंडिया से प्रतिनियुक्ति पर आए 8 (7), एआईईएसएल से प्रतिनियुक्ति पर आए 16 (21) कर्मचारी शामिल नहीं हैं। कम्पनी के सभी कर्मचारी नियत अवधि संविदा के आधार पर कार्यरत हैं। 843 संविदात्मक कर्मचारियों में से 257 (30.49%) महिला कर्मचारी हैं। 31 मार्च, 2021 को कम्पनी में कैडर वार 202 पायलट, 167 केबिन कर्मी, और 474 अन्य वर्गों के कर्मचारी रहे।

क्षेत्रवार 31 मार्च, 2021 को उत्तरी क्षेत्र में 507 कर्मचारी, पश्चिमी क्षेत्र में 72 कर्मचारी, पूर्वी क्षेत्र में 92 कर्मचारी और दक्षिणी क्षेत्र में 172 कर्मचारी है।

31 मार्च, 2021 को एटीआर–42 व एटीआर–72 बेड़े के 52 विदेशी पायलट हैं। वर्तमान में मार्च, 2021 तक एलाइंस एअर में 52 विदेशी पायलटों के स्थान पर 34 विदेशी पायलट हैं। लागत में कटौती के उपायों और विदेशी पायलटों पर निर्भरता से बचने के लिए और भारतीय कमांडरों की क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के कारण ही वर्तमान में विदेशी पायलटों की संख्या को घटाकर 34 कर दिया गया है।

कम्पनी का प्रयास है कि विमान बेड़े के अनुपात में कमांडरों की न्यूनतम आवश्यक क्षमता को बनाए रखने के लिए विदेशी पायलटों की संख्या न्यूनतम रखी जाए।

आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 1975 में जारी राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार व वर्ष 1991 और 1996 में संशोधित निर्देशों के साथ आरक्षण नीति लागू की जा रही है।

अनुसूचित जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग – 31 मार्च, 2021 को कर्मचारियों की संख्या

कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.के कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिशत	अ.ज.जा कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.ज.जा कर्मचारियों का प्रतिशत	अ.पि.वर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.पि.वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिशत
843	110	13.05	31	3.68	151	17.91

राजभाषा कार्यान्वयन– हिन्दी का प्रयोग

सरकार की राजभाषा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कम्पनी ने सभी स्तरों पर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में बढ़ोतरी में अहम् भूमिका निभाई है। अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में अधिकाधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजभाषा के उत्तरोतर विकास हेतु हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने विविध प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया व समारोह आयोजित कर विजेताओं व प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

राजकोष में अंशदान

कम्पनी द्वारा सरकार के राजकोष में बिक्री कर तथा विमानन टर्बाइन ईंधन पर लगाए जाने वाले अन्य करों के रूप में 69.00 मिलियन रुपए (171.10 मिलियन रुपए) का अंशदान दिया गया।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का अनुपालन

कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना के अधिकारों के प्रावधानों का कम्पनी में अनुपालन, सफलतापूर्वक सुनिश्चित कर रही है।

आवेदनों और अपीलों के समय पर निपटान के लिए कम्पनी में सीपीआईओ (केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी) और अपीलीय प्राधिकारी हैं।

2020–21 की अवधि के दौरान 47 अनुरोध/6 अपील प्राप्त हुए। एलाइंस एअर से संबंधित सभी आरटीआई अनुरोध/अपील का 2020–21 के दौरान निपटान कर दिया गया है।

सहायक कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों/सम्बद्ध कम्पनियों से संबंधित सूचना

कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी, संयुक्त उद्यम या सम्बद्ध कम्पनी नहीं है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन व प्रतिबद्धताएं

धारा 134 (3)(1) के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2021 से बोर्ड की रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति में निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है जिसने इसे प्रभावित किया हो।

कोविड–19 का प्रभाव

वैश्विक स्तर पर और भारत में कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी के प्रकोप के कारण वर्ष 2019–20 के पश्चात आर्थिक गतिविधियों ने व्यापक स्तर पर गिरावट तथा अस्थिरता तथा व्यापक अव्यवस्था तथा मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई है। भारत सरकार ने पिछले वर्ष से वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे भारत में विभिन्न अवसरों पर सख्त कार्रवाई की है, जिसके कारण व्यक्तियों और व्यवसायों में अत्यधिक व्यवधान और अव्यवस्थाएं की स्थिति उत्पन्न हुई हैं।

वर्तमान में, कंपनी को विभिन्न नियामक प्रतिबंधों जैसे किराया सीमा, भार प्रतिबंध आदि के तहत प्रचालन करना पड़ रहा है, जिसने हमारे प्रचालन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और इसका हमारे व्यवसाय पर भिन्न वित्तीय प्रभाव हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान यात्रियों की संख्या में कमी होने के कारण हमारा राजस्व वास्तविक रूप से प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों

में यात्री एयरलाइन के प्रचालन को बंद कर दिया। हालांकि, इस अवधि के दौरान, कंपनी ने अपने कर्मचारियों, विमान संबंधी व्यय जैसे कि लीज़ किराया और अन्य व्ययों को जारी रखा। इससे हमारे लाभ पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है।

निकट भविष्य में प्रचालन के प्रत्याशित स्तर के आधार पर और संसाधनों के इष्टतम प्रयोग के लिए, विभिन्न लागत में कटौती और लागत नियंत्रण उपायों को भी लागू किया गया था। कंपनी ने लीज़कर्ता और अन्य विदेशी विक्रेताओं के साथ पुनः वार्ता की है और लीज़ किराया में कुल 30.11 मिलियन अमरीकी डॉलर की महत्वपूर्ण कमी की है, जिसमें से 11.11 मिलियन अमरीकी डॉलर की कटौती वर्ष 2020–21 के दौरान की गई है। लागत नियंत्रण उपाय भी किए गए हैं जिनमें वेतन बिल में 39.15% की कमी है और अन्य लागत, विशेष रूप से खानपान, होटल, समयोपरि भत्ता आदि में भी कमी की गई है। वर्ष 2020–21 के दौरान भारतीय विक्रेता की कुल बचत 929.04 मिलियन रुपए है।

भारत सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, जिनके कारण यात्रियों और प्रचालन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, एएएएल ने प्रचालन की व्यवहार्यता के निर्धारण के लिए योगदान अवधारणा आरंभ की है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई और हानि में कमी आई है। एअर इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी होने के कारण, हमें कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है।

कंपनी ने उन संभावित प्रभावों पर भी विचार किया है जो कोविड–19 से संबंधित महामारी के कारण प्राप्य राशियों पर हो सकते हैं। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में, कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक क्रेडिट रिपोर्ट और संबंधित जानकारी, आर्थिक पूर्वानुमान सहित सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है।

कंपनी में उपयोग की गई धारणाओं पर संवेदनशील विश्लेषण किया है और वर्तमान अनुमानों के आधार पर इन परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की उम्मीद है।

हालांकि, कंपनी के प्रचालन पर कोविड–19 महामारी के पूर्ण प्रभाव, और वित्तीय मैट्रिक्स, कंपनी के प्रचालन के भौगोलिक क्षेत्रों में होने वाली भागी गतिविधियों, तथा इन पर सरकारी, नियामक और कंपनी स्तर की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगा, जो कि इस समय अत्यधिक अनिश्चित है और इसका अनुमान लगाना संभाव नहीं है, तथापि, हम अपनी परिसंपत्तियों पर प्रभाव आकलन करना जारी रखेंगे और भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की गहन निगरानी करेंगे।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

विस्तृत प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट का ब्यौरा अलग से दिया गया है।

निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के अनुसार निदेशक मण्डल की (स्थगित व पुनःस्थगित बैठकों सहित) 5 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गई।

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड स्ट्रैंथ	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	13.07.2020	5	5
2	20.10.2020	6	6
3	21.01.2021	6	4
4	29.01.2021	6	6
5	23.03.2021	6	6

निदेशकों का दायित्व संबंधी वक्तव्य

कम्पनी के निदेशक मंडल पुष्टि करते हैं:–

(क) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा सामग्री विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ख) निदेशकों द्वारा इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन तथा उन्हें संगत रूप से लागू किया गया है एवं वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों की स्थिति एवं इस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कम्पनी के लाभ व हानि को सही व निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से निदेशकों के निर्णय एवं आंकलन उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।

(ग) कंपनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने व फ्रॉड की रोकथाम व पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के लिए निदेशकों द्वारा उचित व पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

(घ) निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखे ''गोइंग कन्सर्न'' आधार पर तैयार किए हैं।

(ड.) कम्पनी के अनलिस्टिड होने के कारण धारा 134(3) का उपखण्ड (ड.) लागू नहीं।

(च) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों द्वारा समुचित प्रणाली बनाई गई है तथा इस प्रकार की प्रणाली समुचित है तथा प्रभाव पूर्ण ढ़ग से कार्य कर रही है।

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति में 3 निदेशक हैं कम्पनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, सरकारी निदेशकों द्वारा लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता की जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

निदेशकों के नाम	समिति में पद	निदेशकों की श्रेणी
श्रीमती कुसुम लता शर्मा*	अध्यक्ष	सरकारी निदेशक
श्री प्रांजोल चन्द्रा*	अध्यक्ष/सदस्य	सरकारी निदेशक
श्री दीपक सजवान**	सदस्य	सरकारी निदेशक
श्री विनोद एस. हेजमाड़ी	सदस्य	नामित निदेशक–एआई
श्री राजीव बंसल	स्थायी आमंत्रित	अध्यक्ष (एअर इंडिया से नामित)

* दिनांक 27.01.2021 को श्रीमती कुसुम लता शर्मा की कार्य समाप्ति के कारण दिनांक 29 जनवरी 2021 को आयोजित 165वीं बोर्ड बैठक में लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया और श्रीमती कुसुम लता शर्मा के स्थान पर श्री प्रांजोल चंद्रा को 27.01.2021 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

** श्री दीपक सजवान को दिनांक 27.01.2021 से लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा मैसर्स एस के कपूर एण्ड कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लेखित योग्यताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां जिन पर प्रबंध वर्ग के उत्तर सहित स्पष्टीकरण/व्याख्या अपेक्षित है, की रिपोर्ट संलग्न हैं।

वित्तीय विवरणी पर नोट स्वतः स्पष्ट हैं, और इस पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत अपेक्षित, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के अनुसार बोर्ड ने मैसर्स ढोलाकिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, मुम्बई को वित्तीय वर्ष 2020–21 की सचिवीय लेखा परीक्षा हेतु सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों रिपोर्ट एवं प्रबंधन की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं:

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणियों पर प्रबंध मण्डल के उत्तर

(क) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 205 के तहत उल्लिखित अनुपालन रिपोर्ट

(i) निम्नलिखित टिप्पणियों के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहतः–

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 205 के तहत उल्लिखित अनुपालन प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराए जाने से इतर, अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

प्रबंधन की टिप्पणियां

हमारी होल्डिंग कंपनी एअर इंडिया बोर्ड में रखी गई अनुपालन रिपोर्ट के अनुरूप, हमने जनवरी–मार्च 2021 और अप्रैल–जून 2021 की तिमाही की अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष रखी है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 205 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भविष्य में बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

ऋण, गारंटी व निवेश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 186 के अन्तर्गत कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई गारन्टी व निवेश नहीं किया है। अतः अनुच्छेद 186 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीक समावेशन तथा विदेशी मुद्रा आय व आउटगो

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के तहत, ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीक समावेशन से संबंधित आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं।

(क) ऊर्जा का संरक्षण–

प्रबंधन सभी प्रचालन स्तरों पर विशेष रूप से विमानन टर्बाइन ईंधन जो विमानन गतिविधि के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, में ऊर्जा के संरक्षण की गंभीरता के प्रति अत्यधिक जागरूक है। ऊर्जा सक्षम उपकरणों और प्रौद्योगिकी के उपयोग से जहां भी संभव हो ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए समुचित उपाय किए जाते हैं। इनमें अन्य उपायों के साथ–साथ इंजन और एयरफ्रेम का रखरखाव, उड़ान योजना, प्रचालन कर्मचारियों को प्रशिक्षण, नियमित विश्लेषण आदि शामिल हैं।

(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण–

एलाइंस एअर विभिन्न होस्ट किए गए समाधानों (यात्री सेवाओं (पीएसएस), प्रचालन (एआरएमएस–लोमिनार), ई–मेल द्विभाजन, राजस्व लेखांकन, ईआरपी, डेटा/वॉयस नेटवर्क, साइबर सुरक्षा सेट अप और वीडियो सम्मेलन के लिए एक अलग आईटी तैयार करने की दिशा में कार्यरत है। इत्यादि)। किसी भी तकनीक का कोई प्रत्यक्ष इंपोर्ट नहीं किया गया है। कुछ विक्रेता बहुराष्ट्रीय हैं लेकिन मूल्य निर्धारण मॉडल आईएनआर–आधारित है और भारतीय कंपनियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(ग) विदेशी मुद्रा आय व आउटगो

		चालू वर्ष 2020–21	गत वर्ष 2019–20
		(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
क)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान आयात (सीआईएफ) पर व्यय		
	– विमान पूर्जे और औजार	**272.51**	254.42
	–पूंजीगत मदें–स्थल सहायता उपस्कर एयरफ्रेम रोटेबल एवं एरो इंजीनियरिंग रोटेबल	**159.21**	7.02
ख)	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान खपत पर व्यय		
	– आयातित–पूर्जे और कंपोनेंट	**152.45**	105.11
	– स्वदेशी पूर्जे	**कोई नहीं**	**कोई नहीं**
ग)	विदेशी मुद्रा में आय		
	– इंटरलाइन राजस्व	**कोई नहीं**	**कोई नहीं**
घ)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	– विमान लीज़ और अनुरक्षण प्रभार	**2922.62**	3509.12
	– भंडार और उपस्करों की खरीद	**431.72**	261.44
	– तकनीकी साहित्य	**46.54**	19.07
	– प्रशिक्षण और यात्रा	**0.22**	2.08
	– विधिक प्रभार	**कोई नहीं**	**कोई नहीं**
	– ईंधन एवं अवतरण/पार्किंग	**कोई नहीं**	4.70

जमा

वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया गया।

महत्वपूर्ण व वस्तुगत आदेश

कम्पनी द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रचालन व गोइंग कंसर्न पर प्रभाव डालने वाले कोई महत्वपूर्ण व वस्तुगत आदेश नियामकों या कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा जारी नहीं किए गए।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान, कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान लाभ अर्जित न किए जाने के कारण, कम्पनी पर लागू नहीं है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 का अनुपालन

वर्ष 2020–2021 के दौरान कम्पनी में रिपोर्ट किए गए यौन उत्पीड़न के मामलों का ब्यौरा निम्नलिखित है।

i संबंधित 03 वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की शून्य शिकायते प्राप्त हुई हैं।

ii 90 दिनों से अधिक लम्बित मामलों की संख्या शून्य है।

iii यौन उत्पीड़न के संबंध में आयोजित कार्यशालाओं या जागरुकता कार्यक्रमों की संख्याः

सामान्यतः सामान्य जागरुकता कार्यक्रम आवधिक रुप से आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, कार्यस्थल पर ''क्या करें और क्या ना करें,'' यौन उत्पीड़न संबंधी पोस्टर सभी कार्यस्थलों पर डिस्पले किए गए।

iv कम्पनी द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायः

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार शिकायतों के निपटान व संगठन में जागरूकता लाने हेतु आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है।

निगमित प्रशासन

कम्पनी द्वारा बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अलवा निगमित प्रशासन की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों को **अनुलग्नक–क** में संलग्न किया गया है।

वार्षिक रिर्टन का सार

कम्पनी नियम 2014 के नियम 12(1) (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 92(3) के प्रावधानों के तहत वार्शिक रिर्टन का सार फार्म एमजीटी 9 **अनुलग्नक–ख** और एअर इंडिया लि. की वेबसाइट www.airindia.in पर उपलब्ध है।

संबंधित पार्टियों के साथ कॉंट्रेक्ट या व्यवस्था का विवरण

वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पार्टी लेन–देन, आर्म लैंथ आधार पर व व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया अनुसार थे। कम्पनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों महत्वपूर्ण कार्मिकों या अन्य पद नामित व्यक्तियों के साथ कोई तात्विक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन–देन नहीं किया गया, जिसका कम्पनी के हित से कोई संभावित टकराव हो।

सभी संबंधित पार्टी लेनदेन, लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड के अनुमोदन के लिए भी प्रस्तुत किए जाते हैं।

फॉर्म एओसी–2 में अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण **अनुलग्नक–ग** में संलग्न है।

जोखिम प्रबंधन

एएएएल का राजस्व, मूल कम्पनी एअर इंडिया से जुड़ा हुआ है व मूल कम्पनी में कैपिंग मॉनीटरिंग नीति, बैंक गारंटी नीति, वेब पोर्टल के साथ संलग्न रिस्क इंजन के माध्यम से जोखिम मॉनिटरिंग स्थापित कर, एजेंटों/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले विक्रय के लिए समुचित जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध हैं, 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी होने के चलते एएएएल उच्च व्यवसाय जोखिम उन्मुख नहीं हैं।

कम्पनी के अस्तित्व पर जोखिम का खतरा न्यूनतम है, अतः कम्पनी की, जोखिम प्रावधान हेतु कोई नीति नहीं है।

स्वतंत्रता की घोषणा

एएएएल एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कंपनी है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 117, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और बारह से अधिक नहीं होगी, जिनमें से सभी एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जो भारत सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करेंगी।

निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी (केएमपी)

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कम्पनी के निदेशकों व महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों में निम्नानुसार परिवर्तन हुएः–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समापन की तिथि	समापन का तरीका
1.	सुश्री मीनाक्षी मलिक	निदेशक (वाणिज्य), आईएएल	14 जुलाई, 2020	–	–
2.	श्रीमती कुसुम लता शर्मा	निदेशक (वित्त) नागर विमानन मंत्रालय	20 जनवरी, 2020	27 जनवरी, 2021	निदेशक नहीं रहे
3.	श्री दीपक सज़वान	निदेशक, उप सचिव नागर विमानन मंत्रालय	27 जनवरी, 2021	–	–
4.	श्री सी.एस. सुब्बैया	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एएएएल	25 मई, 2016	31 अक्तूबर, 2020	मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त
5.	सुश्री हरप्रीत ए.डी. सिंह	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एएएएल	3 नवम्बर, 2020	31 जुलाई, 2021	मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद से कार्यमुक्त
6.	श्री प्रेम सिंह नेगी	क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एअर इंडिया लि.	07 अक्तूबर, 2019	01 मई,2021	निदेशक नहीं रहे
7.	श्री विनीत सूद	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एएएएल	31 जुलाई, 2021	–	–

बोर्ड, इसकी समितियों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3)(पी) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यदि निर्देशकों का मूल्यांकन मंत्रालय जो कि कम्पनी का प्रशासनिक प्रभारी है, द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। सरकारी कम्पनी होने के कारण एलाइंस एअर एविएशन लि. का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

निदेशकों के चयन तथा नियुक्ति व उनके वेतन के लिए नीति

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3)(ई) के तहत एलाइंस एअर एविएशन लि. को सरकारी कम्पनी होने के कारण सूचना प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है।

कर्मचारियों का विवरण

सरकारी कम्पनी होने के कारण एलाइंस एअर एविएशन लि. के निदेशक सरकारी/डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किए जाते हैं जिसमें वेतन मानदंड, योग्यता निर्धारण तथा अन्य मदें भी शामिल होती हैं।

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार धारा 134 (3)(ई) के प्रावधान सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं हैं। परिणाम स्वरुप धारा 178(3) के तहत निर्देशकों की नियुक्ति पर कम्पनी की नीति संबंधी विवरण प्रदान नहीं किए गए हैं।

परिणाम स्वरुप प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक व मध्यम कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अनुपात का प्रकटन तथा ऐसे अन्य विवरण नहीं दिए गए हैं, जिसमें कम्पनी के ऐसे प्रत्येक कर्मचारी का नाम तथा अन्य विवरण दर्शाती सूची शामिल है जिन्होंने नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त किया था।

लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की कोई घटना नहीं आयी, जिसके लिए संवैधानिक लेखा परीक्षकों को अधिनियम की धारा

143(12) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लेखा परीक्षा समिति और/या बोर्ड को रिपोर्ट करना आवश्यक था।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय रिपोर्टिंग और कानूनों और विनियमों के अनुपालन में सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और क्षमता की समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया द्वारा समर्थित है, जिसमें इसकी प्रणालियां और प्रक्रियाओं और विनियमों का अनुपालन शामिल हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर प्रबंधन के साथ चर्चा की जाती है और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है, जो आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की भी समीक्षा करती है।

लागत रिकॉर्ड का रखरखाव

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, लागत रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

धन्यवाद प्रस्ताव

कंपनी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए बोर्ड, भारत और विदेशों में कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों की ईमानदारी से सराहना करता है और उनके निरंतर समर्थन और विश्वास की अपेक्षा करता है।

बोर्ड, कंपनी के संचालन और विकास योजनाओं के लिए एअर इंडिया लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त करता है। बोर्ड डीजीसीए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निगमित कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षकों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अन्य सरकारी विभागों, एयरलाइंस एवं एजेंट का भी आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता है।

कृते व निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ता./–
(राजीव बंसल)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 22 अक्तूबर 2021

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

राजस्व

❖ वर्ष 2020–21 के दौरान अर्जित 4,592.2 मिलियन रु. के राजस्व की तुलना में, वर्ष के दौरान अर्जित कुल राजस्व 11,811.5 मिलियन रु. रहा।

व्यय

❖ गत वर्ष व्यय किए गए 8193.2 मिलियन रु. की तुलना में, वर्ष के दौरान 14163.5 मिलियन रु. का कुल व्यय किया गया।

मानव संसाधन

कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च, 2021 को एएएएल में नियत अवधि रोजगार समझौता आधार पर तहत कर्मचारियों की संख्या 843 रही। इसके अतिरिक्त एअर इंडिया से प्रतिनियुक्ति पर 8 कर्मचारी और एआईईएसएल से 16 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध दृश्य शान्तिपूर्ण रहा।

विमान बेड़े की स्थिति

31 मार्च, 2021 को एएएएल के विमान बेड़े में विमानों की स्थिति इस प्रकार रही :–

विमान	एमएसएन	टाइप
वीटी–एआईआई	1197	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईटी	1226	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईयू	1246	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईवी	1252	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईडब्ल्यू	1272	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईएक्स	1268	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईवाई	1273	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईजैड	1279	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेसी	1381	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेडी	1383	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेई	1421	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेएफ	1423	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेजी	1427	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेएच	1434	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेजे	1439	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेके	1445	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेएल	1456	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेएम	1463	एटीआर–72–212ए

समय पर निष्पादन और तकनीकी प्रेषण विश्वसनीयता

i) वर्ष 2020–21 के दौरान समय पर निष्पादन निम्नानुसार था:

समय पर निष्पादन (ओटीपी)	
अवधि	ओटीपी
वित्तीय वर्ष 2020–21	84.60%

ii) वर्ष 2020–21 के दौरान विमान तकनीकी प्रेषण विश्वसनीयता निम्नानुसार थी:

विमान	अवधि	तकनीकी प्रेषण उपयोगिता
एटीआर 72–212ए (600)	वित्तीय वर्ष 2020–21	98.96%

विमान उपयोगिता

वर्ष 2020–21 के दौरान विमान उपयोगिता इस प्रकार रही :

विमान	अवधि	उपयोग
एटीआर 72–212ए (600)	वित्तीय वर्ष 2020–21	29244:46

एयरक्राफ्ट वर्कशॉप सुविधाओं का विस्तार

एआईईएसएल और एएएएल के बीच हस्ताक्षरित एमओयू दिनांक 29–07–2013 के अनुसार, एएएएल की सभी इंजीनियरिंग/रखरखाव गतिविधियां एआईईएसएल द्वारा 01 जनवरी, 2015 से की जा रही हैं।

एएएएल के पास कोई भी एयरक्राफ्ट वर्कशॉप सुविधा नहीं है और एआईईएसएल द्वारा इसका नियंत्रण किया जा रहा है।

विपणन पहल

वर्ष 2020–21 के दौरान निष्पादन निम्नानुसार है:

स्टेशनों की सं. : 47
प्रस्थान प्रतिदिन : 95
आरसीएस एवं वीजीएफ प्रस्थान प्रतिदिन : 55
वाणिज्य प्रस्थान प्रतिदिन : 40

राजस्व निष्पादन

माह	रेव पैक्स	उपज	राजस्व (करोड़)	आरसीएस सब्सिडी	कुल राजस्व (करोड़)
अप्रैल–20	-	-	-	-	-
मई–20	3,767	3,749	1.4	1.9	3.3
जून–20	36,092	2,892	10.4	20.3	30.7
जुलाई–20	41,967	2,512	10.5	21.1	31.6
अगस्त–20	45,544	2,823	12.9	19.3	32.2

माह	रेव पैक्स	उपज	राजस्व (करोड़)	आरसीएस सब्सिडी	कुल राजस्व (करोड़)
सित.–20	49,702	2,950	14.7	20.4	35.1
अक्तू.–20	63,236	3,117	19.7	21.1	40.8
नव.–20	82,656	3,481	28.8	19.9	48.6
दिस.–20	99,226	3,492	34.7	20.0	54.6
जन.–21	92,039	3,100	28.5	19.5	48.0
फर.–21	95,469	3,326	31.8	17.8	49.6
मार्च–21	95,561	3,331	31.8	21.7	53.5
वित्तीय वर्ष 2020–21	7,05,259	3,193	225.2	203.0	428.1

वास्तविक सॉख्यिकी

माह	क्षमता	% एलएफ	ब्लॉक घंटे	ओटीपी
अप्रैल–20	-	-	152	-
मई–20	13,895	27%	368	90%
जून–20	1,03,037	35%	2,198	90%
जुलाई–20	1,15,190	37%	2,514	95%
अगस्त–20	99,268	46%	2,389	88%
सित.–20	1,05,978	47%	2,546	92%
अक्तू.–20	1,20,097	53%	2,861	93%
नव.–20	1,30,471	64%	3,096	89%
दिस.–20	1,44,370	70%	3,444	80%
जन.–21	1,34,526	69%	3,168	75%
फर.–21	1,31,387	74%	3,037	77%
मार्च–21	1,48,936	65%	3,472	79%
वित्तीय वर्ष 2020–21	12,47,155	57%	29,245	85%

वित्तीय वर्ष 2020–21 में नई उड़ाने आरंभ की गई

मार्ग	आवृत्ति	प्रभावी	उड़ान प्रकार
दिल्ली–चंढीगढ़–दिल्ली	साप्ताहिक 2 उड़ानें	22 जुलाई, 2020	वाणिज्यिक
हैदराबाद–जगदलपुर–रायपुर एवं वी.वी.	दैनिक	21 सितम्बर, 2020	आरसीएस
बैंगलूरु–कोझिकोड–बैंगलूरु	साप्ताहिक 6 उड़ानें	11 नवम्बर, 2020	वाणिज्यिक
दिल्ली–चंढीगढ़–दिल्ली	साप्ताहिक 4 उड़ानें	14 नवम्बर, 2020	वाणिज्यिक
मुम्बई–गोवा–मुम्बई	दैनिक उड़ान	04 दिसम्बर, 2020	वाणिज्यिक
मैसूर–मैंगलोर–मैसूर	साप्ताहिक 4 उड़ानें	11 दिसम्बर, 2020	वाणिज्यिक
जगदालपुर–विलासपुर–जगदालपुर	साप्ताहिक 4 उड़ानें	01 मार्च, 2021	आरसीएस
प्रयागराज–बिलासपुर–प्रयागराज	साप्ताहिक 4 उड़ानें	01 मार्च, 2021	आरसीएस

मार्ग	आवृत्ति	प्रभावी	उड़ान प्रकार
दिल्ली–बरेली–दिल्ली	साप्ताहिक 4 उड़ानें	08 मार्च, 2021	आरसीएस
लखनऊ–गोरखपुर–लखनऊ	दैनिक	28 मार्च, 2021	आरसीएस

नए मार्ग के लिए शुरु किए गए अभियान

क) सोशल मीडिया पर वीडियों अभियान के साथ डिजिटल मार्केटिंग।

ख) सभी नए स्टेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी स्थानीय स्टेशनों पर रेडियो विज्ञापन किए गए।

ग) सभी नई उड़ानों के लिए कॉल सेंटर डॉटा बेस के माध्यम से लक्षित एसएमएस और ईमेल मार्केटिंग अभियान

घ) ओटीए पर नई उड़ानों और प्रचार को बढ़ावा देने हेतु बैनर प्रदर्शन

ड.) मार्च, 2021 में शुरु किए गए नए मार्गों के लिए विस्तृत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया कवरेज किया गया।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में उत्तर–पूर्व उड़ान प्रचालन

मार्ग	आवृत्ति	उड़ान प्रकार
कोलकाता–गुवाहाटी–पासीघाट–तेज़पुर–कोलकाता	साप्ताहिक 3 उड़ानें	वीजीएफ
कोलकाता–गुवाहाटी–कोलकाता	साप्ताहिक 4 उड़ानें	वीजीएफ
कोलकाता–लीलाबाड़ी–कोलकाता	दैनिक	वीजीएफ

वित्तीय वर्ष 2021–22 में नए मार्ग हेतु योजना

मार्ग	उड़ान प्रकार	आरंभ होने की तिथि
हैदराबाद–हुबली–हैदराबाद	आरसीएस (शून्य छूट)	01 अप्रैल, 2021
गुवाहाटी–दीमापुर–इम्फाल एवं वी.वी.	आरसीएस	मई, 2021 (4–7 उड़ान)
मुम्बई सिंधदुर्ग–मुम्बई	आरसीएस	मई, 2021
गुवाहाटी–शिलांग–गुवाहाटी	आरसीएस	मई, 2021
शिलांग–दीमापुर–शिलांग	आरसीएस	मई, 2021
मुम्बई–केसौढ–मुम्बई	आरसीएस	जून, 2021
भुवनेश्वर–वाराणसी–भुवनेश्वर	आरसीएस	जुलाई, 2021
दिल्ली–शिमला–दिल्ली	आरसीएस	जुलाई, 2021
इम्फाल–शिल्चर–इम्फाल	आरसीएस	अगस्त, 2021
चेन्नै–कोयम्बटूर–चेन्नै	वाणिज्यिक	अक्तूबर, 2021
चेन्नै–त्रिची–चेन्नै	वाणिज्यिक	अक्तूबर, 2021
राउरकेला–भुवनेश्वर–रावरकेला	आरसीएस	नवम्बर, 2021

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए उपलब्धियां

– लॉकडाउन अवधि के दौरान, एलाइंस एअर द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के निर्देशानुसार लाइफलाइन **उड़ान कार्गो उड़ानें** प्रचालित की गई। हमने 55.7 टन का वहन कर 135 उड़ानें प्रचालित की। इन उड़ानों से कुल राजस्व रु. 5.02 करोड़ रुपए के राजस्व का अर्जन किया गया।

- कोविड 19 संचार वीडियो, फ्लायर्स, बैनर, एलाइंस एअर के बारे में चित्र केवल कार्गो उड़ानों के साथ कोविड चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए लाइफलाइन कोविड के तहत अखिल भारतीय सोशल मीडिया संचालन, प्रेस और मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था।

- संपर्क रहित यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 23 सितंबर 2020 से **वेब चेक–इन** की शुरुआत की गई।

- कोविड परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी शुल्क के भुगतान के एक बार पुनर्निर्धारण उड़ानों के लिए हमने अक्तूबर 2020 में **फ्लाई विद फ्लेक्सिबिलिटी अभियान** शुरू किया, जो 31 मार्च 2021 तक वैध था।

- संपर्क रहित चेक–इन को बढ़ावा देने और सहायक राजस्व बढ़ाने के लिए हवाई अड्डों पर **चेक–इन पर INR 100 शुल्क** की शुरुआत की। नवंबर 20–मार्च 21 तक के लिए 8 लाख राजस्व अर्जित किया।

- नवंबर 2020 में, सभी प्रचालित स्टेशनों पर एलाइंस **एअर ब्रांड/लोगो डिस्प्ले** बाहरी टचपॉइंट (एयरपोर्ट /एफआईडीएस/ वीडियो डिस्प्ले) पर सक्रिय है।

- निम्नलिखित पर प्रकाश डालते हुए नवंबर 2020 में **उत्पाद यूएसपी अभियान** शुरू किया गया था:

  क) कोई मध्य सीट नहीं

  ख) 30" की बेहतर सीट पिच (सबसे संकीर्ण बॉडी जेट से बेहतर)

  ग) एलाइंस एअर एटीआर बहुत कम शोर उत्सर्जित करता है और अपनी सुचारू लैंडिंग के लिए जाना जाता है।

  घ) एटीआर पर्यावरण के अनुकूल हैं और प्रति ट्रिप 40% कम CO_2 उत्सर्जन के साथ हैं

  ड.) नए एटीआर विमान जिनकी औसत आयु 4 वर्ष से कम है।

  च) चालक दल से यात्री अनुपात 1:35

सीएसआर मीडिया स्टोरी (अंग दान)

सीएसआर पहल के रूप में, एलाइंस एअर ने जयपुर से दिल्ली के लिए अपनी उड़ानों में 30 मिनट की देरी की क्योंकि यह डॉक्टरों की एक टीम की प्रतीक्षा कर रही थी, जो राष्ट्रीय राजधानी में चार लोगों की जान बचाने के लिए एक महिला द्वारा दान किए गए अंगों को ले जा रहे थे। डॉक्टरों और पैरामेडिक्स स्टाफ की एक टीम के साथ निकाले गए अंगों को राष्ट्रीय राजधानी में भेजा जाना था।

- **टीकाकरण अभियान:** एलाइंस एअर देश के भीतरी इलाकों में जीवन रक्षक टीकाकरण अभियान का एक हिस्सा था। टीकाकरण अभियान के लिए प्रचालित सेक्टर थे: कोलकाता–गुवाहाटी /कोलकाता–लीलाबाड़ी/कोलकाता–इम्फाल/ कोलकाता–पासीघाट/कोलकाता–दीमापुर/कोच्चि–अगात्ती।

- **ब्रांड दृश्यता और जुड़ाव** के लिए नवंबर 2020 में अभियान शुरू किया गया

  क) क्या आप जानते हैं?

  ख) एलाइंस एअर से यात्रा करने के कारण

  ग) आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है

  घ) वर्ष 2021 में आपका स्वागत है।

- **100 प्रतिशत ओटीपी:** 14 नवंबर 2020 को सभी एलाइंस एअर क्षेत्रों ने 100% ओटीपी प्राप्त किया।

- हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हमारे

पास आत्म विश्वास होना चाहिए। हमारी सरकार से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए, एलाइंस एअर द्वारा की गई कुछ पहलः

क) मेड इन इंडिया डोर्नियर विमानों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

ख) स्वतंत्रता दिवस 2020 पर स्थानीय सोशल मीडिया अभियानों के लिए प्रोएक्टिव वोकल।

ग) भारत के टायर II और टायर III शहरों में क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने वाले देखो भारत देखो के अनुरूप।

घ) अभियान में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना।

– **महिला दिवस (08 मार्च 2021)**

क) दिल्ली से झुमका शहर ''बरेली'' के लिए आरसीएस उड़ान का उद्घाटन, सभी महिला चालक दल द्वारा उड़ान का प्रचालन किया गया।

ख) महिला दिवस के अवसर पर एलाइंस एअर नेटवर्क की उड़ानों में लकी ड्रा कूपन प्रतियोगिता।

ग) एलाइंस एअर ने देश के सभी 4 क्षेत्रों की उड़ानों में सभी महिला क्रू के साथ प्रचालन किया।

घ) एलाइंस एअर ने महिला दिवस पर पूर्व–प्रतिष्ठित महिला नेताओं के साथ भारत की विकास कहानी के पुनर्निर्माण पर फोर्ब्स लाइन प्रवचन में भाग लिया।

ड.) महिला दिवस के अवसर पर एलाइंस एअर में कार्यरत महिलाओं ने कोविड योद्धाओं को सलामी और श्रद्धांजलि देने के लिए 5 किमी की दौड़ लगाई।

– **समर बोनान्जा सेल ऑफर** पूरे नेटवर्क पर 999 रुपये के किराये पर आरंभ किया गया था

क) बिक्री अवधिः 13 से 17 मार्च 2021

ख) यात्रा अवधिः 01 अप्रैल से 30 सितंबर 2021

ग) यात्रा की तारिख मे एक निःशुल्क अपडेट की अनुमति

घ) 60,000 सीटों की पेशकश

ड.) **परिणामः** अप्रैल 2021 के दौरान बुकिंग के लिए बिक्री में 5% से 12% (बिक्री के 5 दिनों की अवधि में) की वृद्धि हुई (डी 30+की विंडो)

च) सभी वितरण चैनलों पर लॉन्च किया गया

छ) मीडिया, सोशल मीडिया, ओटीए, प्रेस विज्ञप्ति, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और गुजराती में क्षेत्रीय प्रेस विज्ञप्तियों पर प्रचारित।

– एलाइंस एअर और सभी डिस्प्ले बोर्ड के सोशल मीडिया हैंडल के लिए बनाई गई सामग्री के साथ **आजादी का अमृत महोत्सव** का प्रचार जल्द ही भारत की आजादी के 75 साल होने का जश्न मना रहा है। थीम को नए आरसीएस मार्गों और ''उड़े भारत, जुड़े भारत, आत्मनिर्भर बने भारत'' के एलाइंस एअर विजन के साथ जोड़ा गया था।

– पिछले एक साल में **कॉल सेंटर और सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट** की भूमिका निभाते हुए हमने कोविड संकट के दौरान यात्रियों की मॉनिटरिंग की।।

क) कॉल सेंटर, यात्री/ट्रैवल एजेंट के लिए संपर्क का पहला बिंदु है। यह हमारे यात्रियों को नई बुकिंग, रद्दीकरण, तिथि

परिवर्तन, योजनाएं, टिकटिंग, फ्रिक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, चेक–इन और कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

ख) एलाइंस एअर के पास मई 2020 के मध्य तक सेल्फ–चेक–इन की सुविधा नहीं थी। हालांकि, संपर्क रहित यात्रा करने के लिए डीजीसीए द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए, एलाइंस एअर ने 25 मई 2020 से प्रभावी कॉल सेंटर से टेली चेक–इन सुविधाएं शुरू कीं। इससे कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल बढ़ाने में मदद मिली।

ग) इसके बाद 23 सितंबर 2020 से एलाइंस एअर ने वेब/मोबाइल चेक–इन सुविधाओं को सक्रिय कर दिया, जिससे कॉल सेंटर पर लोड कम करने में मदद मिली और यात्री अपनी सुविधानुसार खुद को चेक कर सकते थे। कॉल सेंटर और सीएमयू के अधिकारी लगातार यात्रियों को एसएमएस और ई–मेल के जरिए सेल्फ–चेक–इन करने की सलाह देते हैं ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को उनकी उड़ान से पहले चेक–इन किया जा सके।

– कोविड 19 के दौरान **कस्टमर केयर डिपार्टमेंट द्वारा हैंडल की गई शिकायतें**:

क) कोविड के दौरान, मुख्य रूप से, शिकायतें पूरी तरह से लॉक डाउन के कारण फ्लाइट वापस लेने और शेड्यूल में कटौती के कारण रिफंड/रिबुकिंग के लिए थीं।

ख) वेबसाइट पर समय–समय पर अपडेट किए गए एयरलाइन दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रा योजना के रिफंड/पुनर्निर्धारण पर पूरी जानकारी प्रदान करके शिकायतों का निपटारा किया गया।

ग) कुछ शिकायतें, जो रद्दीकरण/पुनर्निर्धारण की कोई सूचना नहीं होने के कारण थीं, को संबंधित नेतृत्व के साथ उठाया गया ताकि पुनः घटना से बचा जा सके और हमारे सम्मानित यात्रियों को निर्बाध सेवाएं प्रदान की जा सकें।

घ) इसके अतिरिक्त, हमें वेबसाइट त्रुटि/गलत बैगेज भत्ता और टिकट/स्टाफ व्यवहार/सेवा शिकायतों को दर्शाने वाले गलत प्रस्थान समय के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो सुधारात्मक उपायों के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को भेजी जाती हैं और तदनुसार यात्रियों को निष्कर्ष दिया जाता है।

ड.) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्राप्त और बंद शिकायतों की स्थिति

तिमाही	प्राप्त शिकायतें	शिकायतें बंद	% शिकायतें बंद
क्यू 1	70	69	99%
क्यू 2	102	101	99%
क्यू 3	80	79	99%
क्यू 4	151	150	99%
वित्तीय वर्ष 2020–21	**403**	**399**	**99%**

– **खानपान सेवाओं द्वारा लागत बचत के उपाय**

कं) कोविड 19 के प्रकोप के कारण 24 मार्च 2020 से प्रभावी लॉकडाउन के कारण एलाइंस नेटवर्क की सभी उड़ानों पर खानपान सेवाएं बंद कर दी गईं।

ख) लॉकडाउन के दौरान कार्गो प्रचालन हेतू केवल ऑपरेटिंग क्रू को सेवाएं दी गई थीं।

ग) यात्रियों के लिए भोजन की लागत में कटौती करने के लिए उपाय किए गए हैं।

घ) 25 मई 2020 को फिर से खानपान का संचालन केवल चालक दल के लिए आरंभ किया गया और किसी भी संभावित खाद्य खतरे से बचने के लिए यात्रियों का भोजन बंद कर दिया गया।

ड.) अब तक एलाइंस एअर के सभी रूट पर यात्रियों को केवल पानी की बोतलें (200 मिली) उपलब्ध कराई जा रही हैं।

च) कर्मीदल के भोजन के लिए लागत कारक और अच्छी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए मेनू डिजाइनिंग की गई है।

छ) अनुबंध की शर्तों के अनुसार दंडात्मक प्रावधान के कारण कैटरर को भोजन की कटौती और दंड दिया गया था।

इंजीनियरिंग पहल

विशिष्ट मदों/क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए, बचाई गई राशि का परिमाण करते हुए, अपनाए गए किफायती उपाय और उपलब्धियां:

संशोधित लीज़ समझौतों पर क्रमशः 28 फरवरी 2021 और 24 दिसंबर 2020 को मैसर्स डीएई लीजिंग (आयरलैंड) और मैसर्स एलिक्स एसेट्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। एएएएल ने लीज़ (डीएई और एलिक्स के साथ) को 2 साल के लिए कोविड राहत देते हुए लीज़ किराए डिस्काउंट के साथ और बढ़ा दिया है।

लीज़कर्ता डीएई के साथ मौजूदा लीज़ समझौते के अनुसार लीज़ किराए पर डिस्काउंट (एलआर) में लगभग 11.28 मिलियन अमरीकी डालर की बचत होती है और लीज़कर्ता एलिक्स के साथ लगभग 5.6 मिलियन अमरीकी डालर की बचत होती है। कुल एलआर बचत लगभग 16.88 मिलियन अमरीकी डालर है।

विमानन ईंधन पर खर्च कम करने के लिए उठाए गए कदम

एटीआर 72 बेड़े में फ्यूल इम्बैलेंस स्नैग का निदान करने के लिए फ्यूल टेस्टर टूल खरीदा गया है और आवश्यकता पड़ने पर उपयोग के लिए एआईईएसएल रखरखाव टीम के लिए टूल स्टोर में उपलब्ध है, यह टूल तेजी से स्नैग का निदान करके उसमें सुधार सुनिश्चित करता है।

इंजीनियरिंग और रखरखाव गतिविधियों का बेस, नई शॉप, प्रमुख कार्यों, बाहरी स्टेशनों सहित विवरण

ट्रांजिट स्टेशनों की संख्या – 47 स्टेशन (31 मार्च 2021 को स्टेशनों की सूची, कोविड महामारी के कारण कटौती की गई)।

बेस स्टेशनों की संख्या – 03 (दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता)।

नाइट हॉल्ट बेस की संख्या–05 (मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और बैंगलोर)।

दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में एआईईएसएल की शॉप पर एएएएल के 21 रोटेबल पूर्जे (अग्निशमक, ऑक्सीजन की बोतलें, बैटरी, एसएससीवीआर, एसएसएफडीआर, ईएलटी आदि) की सर्विस की जा रही है।

विमान तथा पूर्जों व अन्य अधिशेष/अप्रचलित परिसम्पत्तियां, यदि कोई हो, का निपटान/वापसी

लीज़कर्ता मैसर्स एशिया एयरो के साथ 20 मार्च 2019 के हस्ताक्षरित निपटान विलेख के अनुसार, एटीआर 42–320 विमान वीटी–एबीए और वीटी–एबीबी के चार पीडब्लू121 इंजन (ईएसएनः एसी0096, एसी0111, एसी0106 और 121355) को टूलूज, फ्रांस में निर्दिष्ट स्थान पर वापस कर दिया है।

एटीआर 42–320 वीटी–एबीए और वीटी–एबीबी विमानों के हुल को एमएमडी कोलकाता की प्रक्रियाओं के अनुसार नीलामी के माध्यम से निपटाया जाएगा।

अन्य एयरलाइंस/संगठन को प्रदान की जाने वाली इंजीनियरिंग सेवाओं का विवरण और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमः–

1 जनवरी 2015 से एआईईएसएल द्वारा एएएएल की सभी इंजीनियरिंग/रखरखाव गतिविधियां की जा रही हैं। इसलिए एएएएल द्वारा अन्य एयरलाइंस/संगठन को कोई इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं।

गैर–अनुसूचित ऑपरेटरों को कैम/क्यूएम सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं (यदि वे एएएएल से संपर्क करते हैं) क्योंकि एएएएल को एक ऑपरेटर के रूप में 4 साल का अनुभव है।

01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान (क) उपस्कर व पूर्जे (ख) इनवेंटरी नियंत्रण (ग) पूंजीगत मदों के संबंध में आयात का सी आई एफ मूल्य (नई खरीद व मरम्मत नहीं की गई मदें)

एअर इंडिया लिमिटेड, एमएमडी द्वारा रैमको प्रणाली से वर्तमान में नई खरीद, यदि कोई हो, नियंत्रित की जा रही है और एएएएल द्वारा पूर्जों/उपस्करों का केवल विनिमय नियंत्रित किया जा रहा है।

विमान उपयोगिता, इंजीनियरों की उपलब्धता, नए मार्गों /सेवाओं, सुविधाओं के उपयोग आदि के संदर्भ में 2021–22 की योजना और बेड़े के विस्तार की योजना।

मैसर्स हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डोर्नियर प्रोजक्ट के एक भाग के रूप में, डिबरूगढ़ को पासीघाट, तेजू और जीरो से जोड़ने वाले 3 नए पूर्वी मार्ग वर्तमान में चर्चा के पहले चरण में हैं।

उड़ान सुरक्षा

कम्पनी का अपना स्वतंत्र उड़ान सुरक्षा विभाग है जो डीजीसीए की आवश्यकताओं के अनुसार प्रोएक्टिव तरीके से काम करता है। उड़ान सुरक्षा विभाग प्रोएक्टिव कार्यों के तहत FOQA (उड़ान प्रचालन गुणवत्ता आश्वासन) जिसमें नियमित रूप से उड़ान डाटा की निरंतर मॉनिटरिंग आदि जैसे एसएसएफडीआर व सीवीआर तथा बेस स्टेशनों की आंतरिक सुरक्षा लेखा परीक्षा तथा एलाइंस एअर द्वारा प्रचालित लाइन स्टेशनों की सुरक्षा जांच जिसमें एयरफील्ड निरीक्षण, स्पॉट चैक और रैम्प जांच शामिल है, की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में 54 घटनाएं रिपोर्ट की गई। डीजीसीए प्रतिनिधियों सहित कंपनी के स्थायी जांच बोर्ड (पीआईबी) द्वारा 35 घटनाओं की जांच की गई तथा पीआईबी के पास आगे की जांच हेतु 19 मामले लंबित हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में शून्य गंभीर घटनाएं रिपोर्ट की गई। वर्ष 2020–21 में 23 बर्ड हिट/स्ट्राईक की घटनाएं हुईं। पंतनगर में वीटी–आरकेएल के इंजन नंबर #1 के प्रोपेलर ब्लेड नंबर #2, चंडीगढ़ में वीटी–एआईवी के इंजन नंबर #2 में पक्षी का अंतर्ग्रहण, और धर्मशाला में वीटी–आरकेएम के विंग–फ्यूजलेज फिलट एरिया परिणामस्वरूप 03 (तीन) विमानों को नुकसान हुआ। संबंधित एरोड्रम अधिकारियों के साथ–साथ इन घटनाओं के बारे में डीजीसीए को सुधारात्मक उपायों के लिए सूचित किया गया।

विमान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उड़ान सुरक्षा विभाग द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए :

- पूरे संगठन में गुणवत्ता आश्वासन और एसएमएस कार्यान्वयन के लिए एसक्यूएमएस (सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) सॉफ्टवेयर खरीद की प्रक्रिया में है।
- नियामक मानकों के अनुसार इंसीडेंट के रूप में वर्गीकृत उड़ान घटना की जांच पड़ताल डीजीसीए के वायु सुरक्षा निदेशालय (उ.क्षे.) के सहयोग से एयरलाइन के जांच बोर्ड (Investigation Board) द्वारा की जाती है।
- स्थायी जांच बोर्ड की सिफारिशों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।
- एटीआर 72–600 विमान बेड़े की लोड और ट्रिम शीट के अनुसार उड़ान बेड़े की मॉनीटरिंग मासिक आधार पर की जा रही है।
- बेस स्टेशनों/लाइन स्टेशनों की सुरक्षा जांच सुरक्षा लेखा परीक्षा योजना के अनुसार की जाती है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में वेब–एक्स (ऑनलाइन) के माध्यम से 19 स्टेशनों का ऑडिट किया गया।
- FOQA कार्यक्रम के अनुसार केबिन क्रू को सचेत/एडवाइज्ड किया जाता है।
- एसएजी (सुरक्षा कार्रवाई समूह) की बैठकें हर महीने आयोजित की जाती हैं।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में 3 एसआरएम (एसआरबीएम) आयोजित किए गए थे।

प्रशिक्षण

एआईईएसएल और एएएएल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, सभी एएमई (प्रमाणित करने वाले कर्मचारी) को अलग कर दिया गया है और एएएएल से एआईईएसएल में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए विमान संबंधी सभी इंजीनियरिंग प्रशिक्षणों का प्रबंधन एआईईएसएल द्वारा किया जा रहा है।

एएएएल कैमो और प्रशिक्षण विभाग ने डीजीसीए की आवश्यकताओं के अनुरूप 137 कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण/परिचित/जागरूकता पाठ्यक्रम/कक्षाएं आयोजित की गई।

प्रचालन

कम्प्यूटरीकृत उड़ान योजना का कार्यान्वयनः

एलाइंस एअर प्रचालन ने सभी उड़ानों के सीएफपी के लिए वैन्डर को अंतिम रूप दे दिया है। फ्लाइट डिस्पैचर्स को सीएफपी पर प्रशिक्षित किया गया है और परीक्षण उड़ानें की गईं और परिणाम संतोषजनक पाए गए हैं। डीजीसीए की मंजूरी प्राप्त होने के बाद इसे जल्दी ही सभी उड़ानों पर लागू कर दिया जाएगा। कम्प्यूटरीकृत उड़ान योजना वास्तविक हवा और वास्तविक टेक–ऑफ वजन के आधार पर क्रूज उड़ान स्तर को अनुकूलित करेगी जिससे ईंधन की खपत कम होगी।

ईंधन भरा जानाः

अगस्त 2020 से, ईंधन की कीमत में अंतर के आधार पर एलाइंस एअर की उड़ानों में ईंधन भरा जा रहा है। मार्च 2021 माह में, प्रत्येक स्टेशन पर मौजूदा ईंधन मूल्य के आधार पर कुल 24 उड़ान क्षेत्रों को ईंधन भरने के क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। हर महीने ईंधन की कीमत के आधार पर, ईंधन भरने के क्षेत्रों को संशोधित किया जाता है और सभी उड़ान चालक दल और उड़ान प्रेषकों को पेलोड को प्रभावित किए बिना ईंधन भरने के लिए संशोधित प्रचालन नोटिस जारी किया जाता है। आज की तारीख में 39 सेक्टरों को ईंधन भरने के सेक्टर घोषित किए गए हैं।

गोइंग कंर्सन

कंपनी (एअर इंडिया की पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कंपनी होने के कारण) को एअर इंडिया के विनिवेश के बाद पूरी तरह से चालू करने के लिए भारत सरकार से पूर्ण समर्थन प्राप्त है और कंपनी ने अपनी प्रचालन क्षमता और लागत नियंत्रण उपायों में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। चूंकि कंपनी को प्रचालन एवं वित्तीय निष्पादन में सुधार की उम्मीद है और कंपनी को पूरी तरह से चलाने के लिए भारत सरकार से समर्थन प्राप्त है, इसलिए कंपनी के वित्तीय विवरण संचित घाटे और नेट–वर्थ ''गोइंग कंसर्न'' आधार पर तैयार किए गए हैं।"

कंपनी भारत सरकार की योजना 'उड़ान' में एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में उभरी है, जो गैर–सेवित/अल्पसेवित एयरपोर्टों के विकास के साथ विभिन्न टायर II और टायर III शहरों को जोड़ती है। टायर II और टायर III शहरों में वृद्धि अभी भी काफी हद तक अप्रयुक्त है और एलाइंस एअर के इन छोटे हवाई अड्डों पर प्रचालन के लिए उपयुक्त नवीन एटीआर 72–600 बेड़े के साथ सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरने की संभावना है।

कंपनी ने भारत सरकार की 'उड़ान' योजना में प्रमुख संसाधनों का निवेश करने के लिए रणनीतिक योजना बनाई है। 'उड़ान' के तहत एयरलाइन का निष्पादन उत्कृष्ट रहा है, जिसमें कंपनी का प्रचालन सकारात्मक रहा है। कंपनी द्वारा हासिल किए गए कुल उड़ान मार्ग अब 109 हैं। आबंटित मार्गों में से, कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक 73 मार्गों पर प्रचालन किया, जो 31 मार्च 2020 तक 61 मार्ग थे। वर्ष 2020–21 में एएएएल द्वारा प्रचालित कुल मार्ग में से, लगभग 56% उड़ान योजना के तहत थे। एलाइंस एअर उड़ान क्षेत्रों पर अधिक संसाधनों को तैनात करके लाभप्रदता की ओर बढ़ रही है, क्योंकि उड़ान योजना के तहत प्रचालन पर परिचालन लाभ प्राप्त कर रही है। कंपनी द्वारा उड़ान–4.1 में सक्रिय रूप से भाग लिया गया है और अंतिम आवंटन की प्रतीक्षित कर रही है।

एलाइंस एअर टर्नअराउंड की दहलीज पर है और अगले दशक में भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का नेतृत्व करने और एशिया का एक प्रमुख क्षेत्रीय वाहक बनने की ओर अग्रसर है। एलाइंस एअर ने इस वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रतिकूल वित्तीय मापदंडों की प्रवृत्ति

को उलटने की योजना बनाई और इसके बाद लाभ को और मजबूत किया।

जोखिम न्यूनीकरण नीति

कम्पनी द्वारा निरन्तर जोखिम धारणाओं को मॉनीटर किया जाता है तथा विविध क्षेत्रों के जोखिम को कम करने हेतु निवारक कार्रवाई की जाती है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी द्वारा विभिन्न प्रकार के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य करने, जैसे कर अनुपालन, जोखिम मूल्यांकन और कमी, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करना इत्यादि करने हेतु वर्ष 2020–21 के लिए मैसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी, चार्टरित लेखापाल, नई दिल्ली को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

अनुलग्नक–क

निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा निगमित प्रशासन पर जारी डीपीई दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं :

1. निदेशक मंडल

कम्पनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार, कम्पनी में निदेशकों की संख्या तीन से कम और बारह से अधिक नहीं होगी।

31 मार्च, 2021 को निदेशक मंडल

श्री राजीव बंसल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक–एअर इंडिया लि.–अध्यक्ष
श्री विनोद हेजमाड़ी	निदेशक (वित्त) एअर इंडिया लि.
श्री प्रांजोल चन्द्रा	निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय
श्री दीपक सजवान	निदेशक, उप सचिव, नागर विमानन मंत्रालय
सुश्री मीनाक्षी मलिक	निदेशक (वाणिज्य), एअर इंडिया लि.
श्री प्रेम सिंह नेगी	क्षेत्रीय निदेशक–उत्तरी क्षेत्र, एअर इंडिया लि.

वर्ष के दौरान, अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता की गई। बोर्ड ने कंपनी के निष्पादन की समय पर समीक्षा करने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पांच बार बैठकें आयोजित की जिसमें अन्य बातों के साथ साथ एएएएल के वर्तमान 2 एटीआर 42–320 विमानों के स्थान पर 2 नए एटीआर 42–600 विमानों को शामिल करना, विस्तार के लिए नए एटीआर 72 विमानों को शामिल करना, भारत सरकार के एसईएसएफ के लिए बी–747 विमानों का प्रचालन, 03 पीडब्लू127एम इंजनों के लीज़ के लिए निविदा, एमएसएन 1268 (VT–AIX), 1273 (VT–AIY) और 1279 (VT–AIZ) विमानों का लीज समझौता, कोविड 19 संबंधी परिस्थितियां, 2 एटीआर 72–600 विमानों को यात्री विमानों से बदल कर माल वाहक विमान बनाना, अम्फान तुफान के बाद की स्थितियों की जानकारी, लीज़कर्ता मैसर्स डीएई से लीज़ पर लिए गए 13 विमानों का लीज समझौता, 02 पीडब्लू127एम इंजनों को दीर्घावधि के लिए लीज पर लेने और तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए 03 इंजनों को अल्पावधि के लिए किराये पर लेने के लिए नई निविदा, नागर विमानन मंत्रालय के निर्देशानुसार एचएएल के साथ 02 डोर्नियर–228 विमानों के लिए लीज़ समझौते का निष्पादन शामिल है।

2. बोर्ड प्रक्रिया

बोर्ड के निदेशक मण्डल की बैठकें आमतौर पर नई दिल्ली में एअर इंडिया मुख्यालय में आयोजित की जाती हैं। बैठकें अग्रिम रूप से शिड्यूल की जाती हैं। आवश्यकता/अत्यावश्यकता के मामले में प्रस्तावों को सर्कुलेशन द्वारा पारित किया जाता है। कम्पनी के प्रचालन निष्पादन की समीक्षा करने के लिए बोर्ड की एक तिमाही में कम से कम 01 बैठक की जाती है। बैठकों का एजेंडा संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बोर्ड के दस्तावेज निदेशकों को अग्रिम रूप में दिए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की सभी जानकारियों तक पहुंच होती है और वे एजेंडे में चर्चा हेतु किसी भी मामले को शामिल करने की सलाह देने के लिए स्वतंत्र है। बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है और अपेक्षित स्पष्टीकरण प्रदान किए जाते हैं। अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्टों को आवधिक तौर पर बोर्ड में रखा जाता है। कम्पनी के मामलों को बेहतर और ज्यादा ध्यान केन्द्रित करने हेतु, बोर्ड के कुछ मामलों को, इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बोर्ड की समितियों को सौंपा जाता है।

बोर्ड की बैठकों, सामान्य वार्षिक बैठकों, निदेशकों की उपस्थिति, निदेशकों के निदेशक पद और समितियों में पोज़ीशन का ब्यौरा इस प्रकार है :

बोर्ड की बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित तिथि के अनुसार बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईः

13 जुलाई 2020	(162वीं बैठक)
20 अक्तूबर 2020	(163वीं बैठक)
21 जनवरी 2021	(164वीं बैठक)
29 जनवरी 2021	(165वीं बैठक)
23 मार्च 2021	(166वीं बैठक)

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बोर्ड/शेयरधारकों की बैठकों में निदेशकों का उपस्थिति सहित विवरण।

निदेशकों के नाम	शैक्षणिक योग्यता	05 बोर्ड बैठकों में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	समितियों में सदस्यता
श्री राजीव बंसल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक– एअर इंडिया लि.	सिविल इंजीनियर, आईआईटी दिल्ली, फाईनेंस में डिप्लोमा, आईसीएफएआई हैदराबाद, ईएक्सई मास्टर्स इन इन्टेल बिजनेस आईआईएफटी, दिल्ली	5	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड पार्ट–टाइम अध्यक्ष एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेस लि. (एआईएएसएल) एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. (एआईईएसएल) एअर इंडिया एक्सप्रैस लि. (एआईएक्सएल) होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एचसीआई) एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्रा. लि. एअर इंडिया एसैटस होल्डिंग लिमिटेड **(एआईएचएल)** निदेशक एअर मॉरिशस लिमिटेड एअर मॉरिशस होल्डिंग लिमिटेड भारत यंत्र निगम लि.	एआईएल सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एआईएएसएल अध्यक्ष कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी समिति_ सदस्य लेखा परीक्षा समिति, एचसीआई सदस्य लेखा परीक्षा समिति

निदेशकों के नाम	शैक्षणिक योग्यता	05 बोर्ड बैठकों में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	समितियों में सदस्यता
श्री विनोद हेजमाड़ी निदेशक– (वित्त) एअर इंडिया लि. (दिनांक 11.09.2020 से एआईएएसएल, एआईईएसएल एवं एचसीआई में निदेशक पद पर नहीं रहे।)	बी. कॉम, एसीए	5	निदेशक एअर इंडिया लि. एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेस लि. (एआईएएसएल) एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. (एआईईएसएल) एअर इंडिया एक्सप्रैस लि. (एआईएक्सएल) होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एचसीएल) एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्रा. लि. एअर इंडिया एसैटस होल्डिंग लिमिटेड **(एआईएएचएल)**	एएएएल अध्यक्ष एचआर समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति उड़ान संरक्षा समिति एआईएक्सएल अध्यक्ष कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी समिति सदस्य लेखा एवं वित्त समिति एचआर एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एआईएल अध्यक्ष लागत कटौती समिति सदस्य एचआर समिति कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी एवं स्थिरता विकास समिति, शेयर आबंटन समिति चयन समिति उड़ान संरक्षा समिति एआईएएसएल सदस्य कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी समिति_ लेखा परीक्षा समिति, एचसीआई सदस्य लेखा परीक्षा समिति एआईईएसएल सदस्य लेखा परीक्षा समिति

निदेशकों के नाम	शैक्षणिक योग्यता	05 बोर्ड बैठकों में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	समितियों में सदस्यता
				एआईसैट्स अध्यक्ष कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी समिति
सुश्री मीनाक्षी मलिक, निदेशक (वाणिज्य), एअर इंडिया लि. (दिनांक 14.07.2020 से निदेशक पद पर नियुक्ति)	साइंस में स्नातक एवं प्रबंधन (एमबीए) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	4	निदेशक एअर इंडिया लि. (एआईएल) एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्रा. लि. एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. (एआईईएसएल)	
श्रीमती कुसुम लता शर्मा निदेशक (वित्त), नागर विमानन मंत्रालय (दिनांक 27.01.2021 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	एलएलएम	2	निदेशक एअर इंडिया एक्सप्रैस लि. (एआईएक्सएल)	एएएएल अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति सदस्य एचआर समिति एआईएक्सएल अध्यक्ष लेखा परीक्षा एवं वित्त समिति सदस्य सीएसआर समिति एचआर, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निदेशकों के नाम	शैक्षणिक योग्यता	05 बोर्ड बैठकों में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	समितियों में सदस्यता
श्री प्रांजोल चन्द्रा निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	बी.ई. मैकेनिकल	5	निदेशक एअर इंडिया एक्सप्रेस लि. (एआईएक्सएल)	एएएएल अध्यक्ष उड़ान संरक्षा समिति अध्यक्ष/सदस्य लेखा परीक्षा समिति एआईएक्सएल सदस्य लेखा परीक्षा एवं वित्त समिति सीएसआर समिति अध्यक्ष एचआर, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
श्री दीपक सजवान उप सचिव नागर विमानन मंत्रालय (दिनांक 27.01.2021 से निदेशक पद पर नियुक्ति)	स्नातकोत्तर	2	निदेशक एअर इंडिया एक्सप्रेस लि. (एआईएक्सएल)	एएएएल सदस्य लेखा परीक्षा समिति एचआर समिति उड़ान संरक्षा समिति एआईएक्सएल सदस्य लेखा परीक्षा एवं वित्त समिति सीएसआर समिति एचआर, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
श्री प्रेम सिंह नेगी का.नि., उत्तरी क्षेत्र एअर इंडिया लिमिटेड (दिनांक 07.10.2019 से निदेशक पद पर नियुक्ति)	बीएससी/एमबीए (पीजीडीबीए)	4	–	–

3. लेखा परीक्षा समिति

निगमित प्रशासन प्रक्रिया के भाग के रूप में व कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और डीपीई के मार्गदर्शन के अनुपालन के तहत बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2021 को लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थेः

श्री प्रांजोल चन्द्रा	अध्यक्ष
श्री विनोद हेजमाड़ी	सदस्य
श्री दीपक सजवान	सदस्य
श्री राजीव बंसल	स्थायी आमंत्रित

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैंः

- नियुक्ति, पारिश्रमिक और कम्पनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश करना।
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन व लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा व मॉनीटर करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करना और आंतरिक व बाह्य लेखा परीक्षकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के साथ–साथ यह तय करना कि आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य कम्पनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है या नहीं।
- लेखा परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखा परीक्षक के साथ लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्य क्षेत्र के संबंध में चर्चा करना।
- वित्तीय विवरणी और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना, प्रबंधन की प्रतिक्रिया और सांविधिक लेखा परीक्षकों की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना।
- संबंधित पार्टियों के साथ कम्पनी के लेन–देन का अनुमोदन या तदन्तर कोई संशोधन करना।
- अन्तर कारपोरेट ऋण और निवेश की संवीक्षा।
- जहां कहीं भी आवश्यक हो कम्पनी के उपक्रमों या परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करना।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन।
- पब्लिक ऑफर के माध्यम से एकत्र किए गए धन के अंतिम उपयोग की मॉनिटरिंग करना और संबंधित मामले।
- बोर्ड द्वारा वांछित अन्य मामलों पर विचार करना।

अन्य मुद्दों के साथ–साथ कम्पनी के वार्षिक लेखों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व लेखा परीक्षा समिति की वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर तीन बैठकें आयोजित की गई।

20 अक्तूबर, 2020 (19वीं बैठक)
21 जनवरी, 2021 (20वीं बैठक)
23 मार्च, 2021 (21वीं बैठक)

लेखा परीक्षा समिति की बैठक में उपस्थिति

सदस्यों के नाम	बैठक में उपस्थिति की सं.
श्री प्रांजोल चन्द्रा	3
श्री विनोद हेजमाड़ी	3
श्री दीपक सजवान	1
श्रीमती कुसुम लता शर्मा'	1
श्री राजीव बंसल	3

*दिनांक 27.01.2021 से अध्यक्ष पद पर नहीं रहे।

4. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक सामान्य बैठक

	बैठक की तिथि एवं समय	स्थान
35वीं वार्षिक सामान्य बैठक	26 दिसम्बर, 2018 को 1100 बजे	बोर्ड रूम, एयरलाइंस हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड़, नई दिल्ली–110001
36वीं वार्षिक सामान्य बैठक	26 सितम्बर, 2019 को 1500 बजे	बोर्ड रूम, एयरलाइंस हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड़, नई दिल्ली–110001
असाधारण सामान्य बैठक	11 फरवरी, 2020 को 1200 बजे	बोर्ड रूम, एयरलाइंस हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड़, नई दिल्ली–110001
37वीं वार्षिक सामान्य बैठक	29 दिसम्बर, 2020 को 1130 बजे	वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित की गई

कृते व निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ता./–
(राजीव बंसल)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 22 अक्तूबर 2021

आचार संहिता

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

हस्ता./–
(विनीत सूद)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22 अक्तूबर 2021

फार्म सं. एमआर–3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में एमआर–3 में दिए गए प्रारूप के सार को बदले बिना आवश्यक समझे गए संशोधनों के साथ जारी किया गया)

सेवा में,
सभी सदस्य
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड
(पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड)
एलाइंस भवन, अन्तर्देशीय टर्मिनल–1,
आई.जी.आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037

कोविड –19 के व्यापक प्रकोप और उसके परिणामस्वरूप बाद में लॉकडाउन लागू होने के कारण, हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए, लॉकडाउन अवधि के दौरान हमारे अधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है और 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए मैंने **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (सीआईएनः यू51101डीएल1983जीओआई016518) (इसके बाद 'कंपनी' के नाम से जानी जाएगी)** द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के पालन एवं उचित निगमित कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे मुझे निगमित कार्यों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर हमारी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार मिला।

क. अपना अभिमत व्यक्त करते समय, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि–

i. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक मत व्यक्त करना है।

ii. हमने लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकार्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और पद्धति का हमने पालन किया है, वे हमारी राय का उचित आधार प्रदान करती हैं।?

iii. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और खाता पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

iv. जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

v. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित था।

vi. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

ख. कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए और हमें उपलब्ध कराए गए अन्य अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान

की गई जानकारी के आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा करने, हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कोविड–19 महामारी के प्रसार के कारण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए, हम इसके द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, कंपनी ने, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कंपनी को इस तरह से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन उचित बोर्ड प्रक्रिया (विधिवत विकसित) और अनुपालन तंत्र उस सीमा तक और जैसा लागू हो, मौजूद है।

ग. हमने प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखाबहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों, फाइल किए गए रिटर्न तथा कम्पनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की ऑनलाइन जांच की :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियमः

(ii) सुरक्षा संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके तहत बनाए गए नियम।

(iii) कंपनी के इक्विटी शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन को सुविधाजनक बनाने की सीमा तक डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत तैयार विनियम और उपनियम।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अधीन तैयार नियम व विनियम के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार। कंपनी के पास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश नहीं है।

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों का रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यापार के अलावा कंपनी प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत कोई भी निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश कंपनी पर लागू नहीं है।

(VI) कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और कंपनी के नामित अधिकारियों द्वारा जारी प्रबंधन प्रतिनिधित्व पत्रों के आधार पर, कंपनी ने कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू निम्नलिखित कानूनों का पालन किया है:

(क) एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 और उसके अधीन बनाए गए नियम

(ख) कैरिज बाई एयर एक्ट, 1972 और उसके अधीन बनाए गए नियम

(ग) एयरक्राफ्ट (खतरनाक माल की ढुलाई) नियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियम

(घ) नागर विमानन महानिदेशक द्वारा जारी नागर विमानन आवश्यकताएं

(ड.) पर्यावरण संरक्षण के तहत निर्धारित अधिनियम।

(च) टोकियो कन्वेंशन एक्ट, 1975

(छ) एंटी–हाईजैकिंग एक्ट, 1982

(ज) सुप्ररेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टस एगेन्स्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट 1982

हमने निम्नलिखित लागू अनुच्छेदों के अनुपालन की भी जांच की है। भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मण्डल की बैठकें (एसएस –1) और सामान्य बैठकें (एसएस –2) के संबंध में जारी सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त वर्णित अधिनियमों, नियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अधिनियम की धारा 205 के तहत परिकल्पित अनुपालन प्रमाण पत्र नहीं रखने की सीमा को छोड़कर अनुपालन किया है।

हम बताते हैं कि कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2017 दिनांक 5 जुलाई 2017 के तहत स्वतंत्र निदेशकों

की नियुक्ति से छूट प्राप्त है।

घ. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

I. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में ऊपर जो कहा गया है, उसके अधीन, समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के तहत और एअर इंडिया कंपनी द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के अनुसार किए गए थे। एयर इंडिया लिमिटेड जिसकी कंपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

II. सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकें आयोजित करने का पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची पर विस्तृत नोट विधिवत रूप से अग्रिम रूप से भेजे गए और बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता के लिए कार्यसूची पर और अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है।

III. अधिकांश निर्णय निदेशकों के बीच चर्चा और विचार–विमर्श के माध्यम से किए जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में ऐसी प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं जिन्हें कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि निम्नलिखित के मद्देनजर लागू कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके (i) अनुपालन प्रमाणपत्र जैसा कि अधिनियम की धारा 205 के तहत परिकल्पित है, त्रैमासिक रूप से रखा जा सकता है ताकि निदेशकों को लागू कानूनों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया जा सके और (ii) सभी चार तिमाहियों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किए गए अवलोकन और सुझाव

ड. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कोई भी घटना नहीं हुई है–

i) सार्वजनिक/अधिकार/शेयरों का अधिमान्य निर्गम/डिबेंचर/स्वेट इक्विटी आदि।

ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा लिया गया प्रमुख निर्णय।

iii) विलय/समामेलन/पुनर्निर्माण, आदि।

iv) विदेशी तकनीकी सहयोग

कृते ढोलकिया एण्ड एसोसिएट एलएलपी
(कम्पनी सचिव)
हस्ता./–
(सीएस भूमित्रा वी. ढोलकिया)
डैजीनेटेड पार्टनर
एफसीएस: 977/सीपी: 507
यूडीआईएन : F000977C001300891

स्थान: मुम्बई
दिनांक : 27 अक्तूबर 2021

वर्ष 2020–21 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ''ख''

फॉर्म संख्या एमजीटी 9–वार्षिक रिटर्न से उद्धरण

31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष

का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण

1	सीआईएन	यू51101डीएल1983जीओआई016518
2	पंजीकरण की तारीख	13/09/1983
3	कंपनी का नाम	एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड)
4	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	सरकारी कम्पनी
5	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	'एलाइंस भवन' अन्तर्देशीय टर्मिनल, आईजीआई एयरपोर्ट, टर्मिनल–1, नई दिल्ली–110037
6	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	जी, नहीं
7	पंजीकार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता और संपर्क विवरण	लागू नहीं

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां (कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख करें)

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	यात्री, भोजन तथा माल के वहन एवं किसी अन्य प्रयोजन के लिए विश्व के सभी देशों में अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर्देशीय हवाई परिवहन सेवाओं की स्थापना, अनुरक्षण एवं प्रचालन करना ।	511	100

III. होल्डिंग, सहायक तथा संबद्ध कंपनी का विवरण:

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीआईएन	होल्डिंग/सहायक/संबंद्ध	शेयरों का %	लागू धारा
1	एअर इंडिया लिमिटेड 113, एयरलाइन्स हाउस, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110 001ण	यू62200डीएल2007जीओआई161431	होल्डिंग	100%	2(46)

IV. शेयर धारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा):

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2020 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2021 को)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	वर्ष के दौरान	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(क) वैयक्तिक/एचयूएफ									
(ख) केन्द्र सरकार									
(ग) राज्य सरकार									
(घ) निगमित निकाय	40,224,993	7	40,225,000	100	40,224,993	7	40,225,000	100	0.00
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्था									
(च) अन्य कोई									
प्रवर्तक (क) की कुल शेयर धारिता	**40,224,993**	**7**	**40,225,000**	**100**	**40,224,993**	**7**	**40,225,000**	**100**	**0.00**
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	लागू नहीं								
1. संस्थाएं									
(क) म्युचुअल फंड/ यूटीआई									
(ख) बैंक/वित्तीय संस्था									
(ग) केन्द्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार									
(ङ) वेंचर कैपिटल फंड									
(च) बीमा कंपनियां									
(छ) वित्तीय संस्थान									
(ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड									
(झ) अन्य (स्पष्ट करें) विदेशी बैंक									
उप–जोड़ (ख) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रेणीवार शेयर धारिता									

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2020 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2021 को)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
2. गैर–संस्थाएं	लागू नहीं								
(क) निगमित निकाय (मार्केट मेकर + एलएलपी)									
i) भारतीय									

ii) विदेशी									
ख) वैयक्तिक									
i) 1 लाख रुपए तक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक									
ii) 1 लाख रुपए से अधिक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक									
ग) अन्य (स्पष्ट करें)									
i) अनिवासी भारतीय									
ii) अनिवासी भारतीय – गैर प्रत्यावर्तित									
iii) पदधारक									
iv) निदेशक									
v) हिंदु अविभाजित परिवार									
vi)विदेशी निगमित निकाय									
vi)विदेशी नागरिक									
vii) क्लीयरिंग सदस्य									
viii)न्यास									
ix)विदेशी निकाय – डी आर									
उप–जोड़ (ख) (2):–	.	.	.	.	.	.	.	.	.
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) =	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	.	.	.	.	.	.	.	.	.
कुल योग (क+ख+ग)	**40,224,993**	**7**	**40,225,000**	**100**	**40,224,993**	**7**	**40,225,000**	**100**	**0.00**

ख) प्रवर्तक की शेयरधारिता-

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान शेयर धारिता में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का %	
1	अपने नामितियों सहित एअर इंडिया लिमिटेड	40,225,000	100	शून्य	40,225,000	100	शून्य	0.00

ग) प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें) –कोई परिवर्तन नहीं

क्र.सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में				
	एअर इंडिया लिमिटेड	40,225,000	100	40,225,000	100
	वर्ष के अंत में				
	एअर इंडिया लिमिटेड	40,225,000	100	40,225,000	100

घ) पहले दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का पैटर्न : (निदेशक, प्रवर्तक तथा जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा):

क्र.सं.	पहले 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	लागू नहीं				
2					
3					
4					
5					

ङ) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक तथा प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	श्री राजीव बंसल	1	0	1	0
2	श्री विनोद हेजमाड़ी	1	0	1	0
3	श्री प्रेम सिंह नेगी	1	0	1	0

V. ऋणग्रस्तता – ब्याज बकाया/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(करोड़ रुपए में)

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण		जमा	कुल ऋणग्रस्तता
	राशि भारतीय मुद्रा में	राशि भारतीय मुद्रा में		राशि भारतीय मुद्रा में	राशि भारतीय मुद्रा में

वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता					
i) मूल राशि	-	17118163862.57	*	-	17118163862.57
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	-	-		-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	-	-		-	-
कुल (i+ii+iii)	-	**17118163862.57**		-	**17118163862.57**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन					
*जोड़	-	3539062955.01		-	3539062955.01
*कमी	-	-		-	-
निवल परिवर्तन	-	**3539062955.01**		-	**3539062955.01**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	-	-		-	-
i) मूल राशि	-	19043227899.07		-	19043227899.07
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	-	1613998918.50		-	1613998918.50
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	-	-		-	-
कुल (i+ii+iii)	-	**20657226817.57**		-	**20657226817.57**

*** पूर्व आंकड़े इंड एएस के अनुसार पुनः दिए गए हैं। पूर्वावधि मदों को संगत गत वर्ष में लिया गया है।**

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक :

(अंकों में)

क्र.सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम**					**कुल राशि**
1	सकल वेतन	-	-	-	-	-	-
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-	-
4	लाभ के प्रतिशत के रूप में कमीशन अन्य उल्लेख करें	-	-	-	-	-	-
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)	-	-	-	-	-	-

	कुल (क)	-	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार सीमा	-	-	-	-	-	-

*कंपनी में कोई प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक नहीं हैं ।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	.	.	.	.	.	.
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	.	.	.	.	.	.
	कमीशन	.	.	.	.	.	.
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप–समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क)	.	.	.	.	.	.
	कुल (1)	.	.	.	.	.	.
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक	.	.	.	.	.	.
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	.	.	.	.	.	.
	कमीशन	.	.	.	.	.	.
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	.	.	.	.	.	.
	कुल (2)	.	.			.	.
	कुल (ख) = (1+ 2)	.	.	.	.	.	.
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	.	.	.	.	.	.
	अधिनियम के अनुसार कुल मिलाकर सीमा	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.

ग. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(आंकडे रु में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कुल
1	सकल वेतन	20,17,251	**	12,88,043	33,05,294
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-

	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-
	लाभ के % के रूप में	-	-	-	-
	अन्य स्पष्ट करें	-	-	-	-
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)	-	-	-	-
	कुल	**20,17,251**	**	**12,88,043**	**33,05,294**

** सहा महाप्रबंधक, वित्त, एअर इंडिया लिमिटेड के पद की ज़िम्मेदारियों के अलावा वे कंपनी सचिव का पद भी संभाल रहे हैं।

VII. दंड/सजा/अपराधों की कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सजा/लगाए गए कंपाउंडिंग जुर्माने का विवरण	प्राधिकरण [आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट]	अपील, यदि की गई है (विवरण दें)
क. कंपनी– शून्य					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ख. निदेशक– शून्य					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी–शून्य					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-

कृते व निदेशक मण्डल की ओर से
हस्ता./–
(राजीव बंसल)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 22 अक्तूबर 2021

वर्ष 2020–21 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक –ग

फॉर्म संख्या एओसी– 2 (अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे नियम के तहत कतिपय आर्म लैंथ संव्यवहार शामिल हैं।

1. संविदाओं, व्यवस्थाओं और संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं:

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित व्यवस्था या संव्यवहार, नहीं किए गए हैं, जो कि आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं।

2. आर्म लैंथ आधार पर संविदाओं, व्यवस्थाओं और संव्यवहारों का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 188(1) के अधीन कम्पनी द्वारा किए गए सभी संबंधित अनुबंध/व्यवस्था/संव्यवहार, आर्म लैंथ आधार पर व व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किए गए थे जिन्हें दिनांक 22 अक्तूबर 2021 को कंपनी द्वारा आयोजित 169वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। आर्म लैंथ आधार पर संविदाओं, व्यवस्थाओं और संव्यवहारों का ब्यौरा इस प्रकार है :

संबंधित पक्ष का नाम और एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) के साथ उसके संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	लेन–देन की अवधि	लेन–देन की मुख्य शर्तें	राशि मिलियन रु. में
एअर इंडिया लि. (एआईएल) होल्डिंग कम्पनी	एअर इंडिया लि. से प्राप्त व्यय/सेवाएं	1 अप्रैल 2020–31 मार्च 2021	एअर इंडिया लि. से प्राप्त व्यय/सेवाएं	
	1. हैंडलिंग			33.16
	2. एसओडी			6.21
	3. कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय			71.80
	4. निगमित गारंटी प्रभार			22.00
	5. एआईएल द्वारा प्रभारित ब्याज			1614.00
	6. बीमा			11.30
	7. अन्य व्यय			0.87
	कुल			1759.17
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. (एआईईएसएल) (एअर इंडिया लि. की सहायक कम्पनी)	**व्यय**			
	1. मरम्मत अन्य	1 अप्रैल 2020–31 मार्च 2021	व्यय	453.44
	2. ब्याज			117.10
	कुल			570.54

;एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लि. (एआईएएसएल) पूर्व में एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि. के नाम से जानी जाती है! (एअर इंडिया लि. की सहायक कम्पनी)	**व्यय**	1 अप्रैल 2020– 31 मार्च 2021	व्यय	
	हैंडलिंग प्रभार			124.00
	ब्याज			75.32
	कुल			199.32
एअर इंडिया एक्सप्रैस लि. (एअर इंडिया लि. की सहायक कम्पनी)	**व्यय**	1 अप्रैल 2020– 31 मार्च 2021	व्यय	0.13
	इन्वेंटरी का स्थानांतरण			
	कुल			0.13
एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्रा. लि. (एअर इंडिया लि. के साथ संयुक्त उद्यम)	**व्यय**	1 अप्रैल 2020– 31 मार्च 2021	व्यय	
	हैंडलिंग प्रभार			124.63
	कुल			124.63
भारतीय होटल निगम (एअर इंडिया लि. की सहायक कम्पनी)	**व्यय**	1 अप्रैल 2020– 31 मार्च 2021	व्यय	
	होटल आवास			1.09
	कुल			1.09

कृते व निदेशक मण्डल की ओर से
हस्ता./–
(राजीव बंसल)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 22 अक्तूबर 2021

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अन्तर्गत एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा 143 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2021 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ऐसा किया हुआ कहा गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** की वर्ष 31 मार्च, 2021 की वित्तीय विवरणियों की संपूरक लेखा परीक्षा की है। संपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के आधार–पत्र के बिना स्वतंत्र रुप से की गई है व प्रमुख रुप से लेखा परीक्षकों व कम्पनी के कर्मचारियों की जांच व कुछ लेखा रिकार्डों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरी संपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं, अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो मेरी दृष्टि में आए हैं और मेरे विचार में संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वित्तीय विवरणियों की बेहतर समझ उपलब्ध करवाने में आवश्यक है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को प्रस्तुत करना चाहता हूं जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित ऑडिट रिपोट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

i) गैर चालू परिसंपत्ति

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण [नोट 2 (क)] – 22.59 करोड़ रु.

उपरोक्त में वर्ष 2020–21 के दौरान मैसर्स प्रैट एंड व्हिटनी, कनाडा से एयरो इंजन रोटेबल्स (पीडब्ल्यू 127एम) की खरीद के लिए 14.68 करोड़ रूपए (1,950,000 अमरीकी डॉलर) शामिल हैं। नए इंजन (पीडब्ल्यू 127एम) की कुल लागत 23.43 करोड़ रूपए (3,112,831 अमरीकी डॉलर) है। हालांकि, कंपनी ने इस नए इंजन को दो पुराने इंजनों के प्रतिस्थापन में 14.68 करोड़ रूपए (नए इंजन की लागत = 3,112,831 अमरीकी डॉलर घटा दो पुराने इंजनों का मूल्य = 1,162,831 अमरीकी डॉलर) के अंतिम वार्ता मूल्य पर खरीदा है। नया इंजन को 23.43 करोड़ रुपये की शुद्ध निपटान राशि के स्थान पर 14.68 करोड़ रूपए के निवल निपटान राशि पर बुक किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को रु. 8.55 करोड़ निम्न–विवरण, अन्य आय को रु. 8.75 करोड़ निम्न विवरण और मूल्यह्रास को 0.2 करोड़ रूपए निम्न–विवरण पर लेखांकित किया गया है और इसके परिणामस्वरूप घाटे को 8.55 करोड़ रुपए अति–विवरण के रूप में लेखांकित किया गया है।

ii) चालू परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियां

ऋण (नोट 10) – 32.48 करोड़ रु.

उपरोक्त में क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ बैंक गारंटी (बी.जी) के रूप में 16.42 करोड़ रुपये की प्रतिभूति जमा राशि शामिल है। जो बैंक के पास सावधि जमा के प्रतिशरी ग्रहणाधिकार के तहत थे।

i. दिनांक 31 जुलाई 2020 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 0.92 करोड़ रुपए के दो मूल बैंक गारंटी लौटाई गई हैं। इसलिए, 0.92 करोड रुपये की सीमा तक सावधि जमा नकद और नकद समकक्ष के रूप में आसानी से उपलब्ध हैं और इसे नकदी प्रवाह विवरण पर इंड एएस–7 के पैरा–7 के अनुसार 'नकद और नकद समकक्ष' के तहत दर्शाया जाना चाहिए था।

ii. 15.50 करोड़ रुपये की प्रतिभूति जमा को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार 'नकद और नकद समकक्ष के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष' के तहत 'बैंकों के साथ शेष राशि के रूप में मार्जिन मनी या उधार, गारंटी, अन्य प्रतिबद्धताओं के प्रति सुरक्षा' के तहत दर्शाया जाना चाहिए था।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप ऋणों को 16.42 करोड़ रुपये, नकद और नकद समकक्ष के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष राशि को 15.50 करोड़ रुपये और नकद और नकद समकक्ष 0.92 करोड़ रुपये है।

साथ ही, नकदी प्रवाह विवरणी के तहत वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष में 0.92 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं, चूंकि यह राशि प्रचालनात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत शामिल है, इस प्रकार, नकदी प्रवाह विवरण उस सीमा तक कम है और इसके परिणामस्वरूप, नकदी प्रवाह विवरण से संबंधित इंड एएस–का अनुपालन नहीं किया गया है।

ख. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–''क''

निर्धारण वर्ष 1997–98 के लिए 1.40 करोड़ रूपए की आयकर मांग के संबंध में सीआईटी (अपील) को पहले ही दिनांक 23 नवंबर 2004 के आदेश के तहत खारिज कर दिए गए थे और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने भी दिनांक 28 जनवरी 2020 को इस अपील को खारिज कर दिया था, जिसे कंपनी द्वारा 25 फरवरी, 2020 को विधिवत रूप से प्राप्त किया गया था। चूंकि इस अपील को आईटीएटी द्वारा खारिज कर दिया गया है और कर देयता का मामला किसी भी मंच पर विवादित नहीं है, इसे स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैरा–7 (ग) के तहत विवादित वैधानिक बकाया के तहत प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।

ग. नकद प्रवाह पर टिप्पणियाँ

i) प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद – 397.97 करोड़ रु.

वित्तीय गतिविधियों/(प्रयुक्त) से निवल नकद (423.45) करोड़ रु.

उपरोक्त में 203.18 करोड़ रुपए एअर इंडिया लिमिटेड को देय ब्याज (161.40 करोड़ रुपये), ईंधन कंपनियों को (21.35 करोड़ रुपये) और संबंधित पक्षों को देय ब्याज (20.43 करोड़ रुपये) है। उपरोक्त ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया है और इसे 'लघु अवधि ऋण' शीर्ष के तहत देय शेष राशि में शामिल किया गया है। गैर–नकद मद होने के कारण ब्याज को प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की गणना करते समय पहले ही निवल लाभ और हानि से समायोजित किया जा चुका है। चूंकि ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, इसे वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए था और इसे प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की गणना करते समय लघु अवधि ऋण के तहत प्रचालन देनदारियों में समायोजित नहीं किया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप, प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त नकदी) में 203.18 करोड़ रु. और इसके परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह के विवरण से संबंधित इंड एएस–7 का अनुपालन नहीं हुआ है।

ii) प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद – 397.97 करोड़ रु.

निवेश गतिविधियों में/(प्रयुक्त) से निवल नकद – (0.41) करोड़ रु.

वर्ष के दौरान 16.07 करोड़ रुपये की स्थायी परिसंपत्ति खरीदी गई है, हालांकि, 16.03 करोड़ रुपये का भुगतान केवल विक्रेताओं को किया गया है और शेष रुपये का भुगतान किया गया है। व्यापार देय (नोट संख्या–18) के तहत 0.04 करोड़ रु. दिखाया जा रहा है। कंपनी ने प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की गणना करते हुए ट्रेड देय में वृद्धि/कमी के तहत अपना प्रभाव लिया है और साथ ही निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत स्थायी परिसंपत्ति की खरीद को कुल 16.07 करोड़ रुपये खरीद राशि में दिखाया गया है।

चूंकि वेंडर को 0.04 करोड़ रु. का भुगतान नहीं किया गया है, इसे निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत स्थायी परिसंपत्तियों

की खरीद के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त तरीके से गैर–चित्रण के परिणामस्वरूप प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की अधिकता और निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह को 0.04 करोड़ रु. और इसके परिणामस्वरूप, नकदी प्रवाह के विवरण से संबंधित इंड एएस–7 का अनुपालन नहीं हुआ है।

iii) प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद – 397.97 करोड़ रु.

प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी का परिकलन करते समय, अप्राप्त विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ को प्रचालन आस्तियों/दायित्वों में वृद्धि/कमी के समायोजन पर तदनुरूपी प्रभाव के साथ लाभ–हानि खाते के विवरण के अनुसार करपूर्व निवल लाभ या हानि से 6.55 करोड़ रु. का समायोजन नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह के विवरण से संबंधित इंड एएस–7 का अनुपालन नहीं किया गया है।

घ. प्रकटीकरण पर टिप्पणी

इक्विटी और देयताएं

चालू देयताएं

व्यापार देय (नोट संख्या 18)– 890.06 करोड़ रु.

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में 0.49 करोड़ रु. का व्यापार देय को अलग–अलग तुलन पत्र में दर्शाया नही गया है और साथ ही खातों के नोटों में राशि का गलत चित्रण किया गया था जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुपालन में नहीं है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता./–
(रिना अकोईजाम)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(अंतःसंरचना)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 07 अक्तूबर, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अन्तर्गत एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा 143 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2021 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ऐसा किया हुआ कहा गया है। मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** की वर्ष 31 मार्च, 2021 की वित्तीय विवरणियों की संपूरक लेखा परीक्षा की है। संपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के आधार–पत्र के बिना स्वतंत्र रुप से की गई है व प्रमुख रुप से लेखा परीक्षकों व कम्पनी के कर्मचारियों की जांच व कुछ लेखा रिकार्डों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरी संपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं, अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो मेरी दृष्टि में आए हैं और मेरे विचार में संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वित्तीय विवरणियों की बेहतर समझ उपलब्ध करवाने में आवश्यक है। मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को प्रस्तुत करना चाहता हूं जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित ऑडिट रिपोट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।	

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ **i) गैर चालू परिसंपत्ति** **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण [नोट 2 (क)] – 22.59 करोड़ रु.** उपरोक्त में वर्ष 2020–21 के दौरान मैसर्स प्रैट एंड व्हिटनी, कनाडा से एयरो इंजन रोटेबल्स (पीडब्ल्यू 127एम) की खरीद के लिए 14.68 करोड़ रूपए (1,950,000 अमरीकी डॉलर) शामिल हैं। नए इंजन (पीडब्ल्यू 127एम) की कुल लागत 23.43 करोड़ रूपए (3,112,831 अमरीकी डॉलर) है। हालांकि, कंपनी ने इस नए इंजन को दो पुराने इंजनों के प्रतिस्थापन में 14.68 करोड़ रूपए (नए इंजन की लागत = 3,112,831 अमरीकी डॉलर घटा दो पुराने इंजनों का मूल्य = 1,162,831 अमरीकी डॉलर) के अंतिम वार्ता मूल्य पर खरीदा है। नया इंजन को 23.43 करोड़ रुपये की शुद्ध निपटान राशि के स्थान पर 14.68 करोड़ रूपए के निवल निपटान राशि पर बुक किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को रु. 8.55 करोड़ निम्न–विवरण, अन्य आय को रु. 8.75 करोड़ निम्नविवरण और मूल्यह्रास को 0.2 करोड़ रूपए निम्न–विवरण पर लेखांकित किया गया है और इसके परिणामस्वरूप घाटे करे 8.55 करोड़ अति–विवरण के रूप में लेखांकित किया गया है।	कंपनी की नीति के अनुसार और लेखा मानकों के अनुसार, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत चालानों के आधार पर खरीदी गई किसी भी पूंजीगत वस्तु को लेखा पुस्तकों में लेखांकित किया जाना चाहिए। हमें मैसर्स प्रैट एंड व्हिटनी, कनाडा से इंजन नंबर ईडी–1881 की खरीद के लिए 1.95 मिलियन अमरीकी डालर के चालान प्राप्त हुए हैं। इस बात की सराहना की जा सकती है कि एयरलाइन उद्योग में बाजार की स्थिति और संबंधित विक्रेता को दिए गए वर्तमान/भविष्य के प्रतिबद्ध व्यवसाय के आधार पर कैटलॉग मूल्य और वास्तविक खरीद मूल्य में हमेशा व्यापक भिन्नता होती है। खरीद मूल्य दोनों पक्षों द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार की गई वार्ता और अन्य भावी प्रतिबद्धताओं के आधार पर निकाला गया था। उक्त मामले में, मैसर्स प्रैट एंड व्हिटनी द्वारा 1.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर के चालान उठाए गए हैं और नियमों के अनुसार, कंपनी ने निर्माता द्वारा उठाए गए चालान मूल्य पर इंजन के पूंजीकरण के लिए विचार किया है। जैसा कि पैरा में उल्लेख किया गया है, इंजन की अदला–बदली एक अलग घटना है और इसका इस खरीद से कोई सरोकार नहीं है। विचाराधीन इंजन क्रमांक सं. 121163 और 121261, एटीआर–42 विमान से संबंधित थे, जिसे मैसर्स एब्रिक से पट्टे पर लिया गया था। पट्टा समझौते के अनुसार, निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद विमान पट्टेदार को वापस कर दिया जाएगा। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, पुनर्वितरण की लागत बहुत अधिक मानी जाती थी, इसलिए, प्रबंधन ने विमान के पुनर्वितरण के बदले मुआवजे के लिए पट्टेदार के साथ

	बातचीत शुरू की। मुआवजे की राशि पर दोनों पक्षों द्वारा इस तथ्य पर विचार करते हुए विधिवत सहमति व्यक्त की गई थी कि विमान पहले ही अपने लाइफ सर्कल का उपभोग कर चुका है और भविष्य में प्रचालित नहीं किया जा सकता है। पट्टेदार को भुगतान की गई मुआवजे राशि को वर्ष 2015–16 में रि–डिलीवरी लागत के रूप में दर्ज किया गया था। विमान को स्क्रैप के रूप में कोलकाता में खड़ा किया गया था और बाद में, प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात इसे एमएसटीसी लिमिटेड को बेच दिया गया है। एलाइंस एअर के लेखाबहियों में इस विमान के लिए कोई मूल्य निर्दिष्ट नहीं किया गया है। प्रैट एंड व्हिटनी को इंजन की वापसी एलाइंस एअर द्वारा किया गया एक सौदा है जो उनके साथ कुल व्यावसायिक भागीदारी पर विचार कर रहा है और किसी विशेष घटना के लिए उल्लिखित नहीं है। सरकारी लेखापरीक्षक ने इंजन को 23.43 करोड रु. की लागत मूल्य पर बुक करने की सिफारिश की है।. । लागत मूल्य विक्रेता द्वारा उठाए प्रस्तुत बीजक राशि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस मामले में चालान का मूल्य पी एंड डब्ल्यूसी (इंजन का ओईएम) द्वारा जारी 1.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और एएएएल ने इसे चालान मूल्य के आधार पर बुक किया है, जो आईसीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार है। उपरोक्त के मद्देनजर, एलाइंस एअर द्वारा की गई कार्रवाई को लेखा नीति और दिशा–निर्देशों को नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है।
ii) **चालू परिसंपत्तियां** **वित्तीय परिसंपत्तियां** **ऋण (नोट 10) – 32.48 करोड़ रु.** उपरोक्त में क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ बैंक गारंटी (बी.जी) के रूप में 16.42 करोड़ रुपये की प्रतिभूति जमा राशि शामिल है। जो बैंक के पास सावधि जमा के प्रतिशरी ग्रहणाधिकार के तहत थे।	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय संपर्क योजना के कार्यान्वयन के लिए नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) की ओर से क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। चयनित एयरलाइन ऑपरेटर समझौते (एसएओए) के अनुसार, एयरलाइन ऑपरेटर (एएएएल) को खंड संख्या 3.15 के समझौते के अनुसार निष्पादन गारंटी जमा करनी होगी।

i. दिनांक 31 जुलाई 2020 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 0.92 करोड़ रुपए के दो मूल बैंक गारंटी लौटाई गई हैं। इसलिए, 0.92 करोड रुपये की सीमा तक सावधि जमा नकद और नकद समकक्ष के रूप में आसानी से उपलब्ध हैं और इसे नकदी प्रवाह विवरण पर इंड एएस–7 के पैरा–7 के अनुसार 'नकद और नकद समकक्ष' के तहत दर्शाया जाना चाहिए था। ii. 15.50 करोड़ रुपये की प्रतिभूति जमा को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार 'नकद और नकद समकक्ष के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष' के तहत 'बैंकों के साथ शेष राशि के रूप में मार्जिन मनी या उधार, गारंटी, अन्य प्रतिबद्धताओं के प्रति सुरक्षा' के तहत दर्शाया जाना चाहिए था। उपरोक्त के परिणामस्वरूप ऋणों को 16.42 करोड़ रुपये, नकद और नकद समकक्ष के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष राशि को 15.50 करोड़ रुपये और नकद और नकद समकक्ष 0.92 करोड़ रुपये है।	खंड संख्या–3.15 में कहा गया है कि चयनित एयरलाइन प्रचालक इस योजना के तहत आरसीएस उड़ान के प्रचालन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के साथ 03 वर्ष का अनुबंध करेगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय, चयनित एयरलाइन ऑपरेटर को पहले वर्ष में ऐसे चयनित एयरलाइन ऑपरेटर को प्रदान की जाने वाली कुल वीजीएफ राशि के 5% के बराबर राशि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को एक निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। (प्रचलित प्रणाली के अनुसार, प्रारंभिक बैंक गारंटी एक वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तुत की जा रही है और बाद में आरसीएस मार्गों की निरंतरता के आधार पर आगे बढ़ा दी गई है)। खंड संख्या 3.15.4.1 के अनुसार, यदि एयरलाइन हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत प्रस्तावित मार्ग पर अनुसूचित उड़ानों को कम से कम 70% तक प्रचालन करने में विफल रहता है तो चयनित एयरलाइन प्रस्तुत निष्पादन गारंटी को भुनाने के लिए उत्तरदायी होगा। खंड 3.15.4.1 की शर्तों के अनुसार आरसीएस उड़ान प्रचालन आरंभ होने के एक वर्ष पूरा होने पर क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा, चयनित एयरलाइन प्रचालक को निष्पादन गारंटी वापस कर दी जाएगी। जैसा कि सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा नकद और नकद समकक्षों के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष के तहत उपरोक्त राशि दिखाने के लिए सिफारिश की गई है, निम्नलिखित कारणों से विचार नहीं किया जाता है: 1. सुरक्षा जमा आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए बैंक गारंटी के रूप में जमा की जाती है जिसे पश्चात प्रचालन हेतु 3 वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। 2. खंड संख्या 3.15.4.1 के तहत कम से कम 70% प्रचालन ऑपरेशन की पुष्टि पर बैंक गारंटी जारी करना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुमोदन के अध्यधीन है। 3. हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, 2017 में जमा की गई बैंक गारंटी उपरोक्त आधार पर एएआई के पास है। प्रस्तुतीकरण की उपरोक्त प्रक्रिया का पालन पूर्ववर्ती वर्षों में किया जा रहा है और किसी भी प्राधिकरण से कोई अवलोकन प्राप्त नहीं हुआ है।

साथ ही, नकदी प्रवाह विवरणी के तहत वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष में 0.92 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं, चूंकि यह राशि प्रचालनात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत शामिल है, इस प्रकार, नकदी प्रवाह विवरण उस सीमा तक कम है और इसके परिणामस्वरूप, नकदी प्रवाह विवरण से संबंधित इंड एएस–7 का अनुपालन नहीं किया गया है।	संबंधित आरसीएस प्रचालन की अवधि के दौरान प्रचालित अनुसूचित उड़ानों के 70% की पुष्टि होने पर ही एएआई से मंजूरी के साथ गारंटी वापस की जाएगी। उपरोक्त स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बैंक गारंटी की समाप्ति के बाद भी, इसे बैंक द्वारा तब तक जारी नहीं किया जा सकता है जब तक कि खंड संख्या 3.15.4.1 के तहत प्रचालन आवश्यकता प्राप्त करने पर एएआई से मुक्त आदेश प्राप्त नहीं होता है। प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इसे ऋण/सुरक्षा जमा (नोट संख्या – 10) के तहत दिखाया गया था। (ii) एएआई से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनांक 31 मार्च 2021 को बैंक गारंटी के विरुद्ध 9.22 मिलियन रु. सावधि जमा बैंक के पास लियन के तहत पड़ा हुआ था। बैंक द्वारा बैंक गारंटी के खिलाफ राशि रखी गई थी, इसकी सूचना नोट संख्या 10 सुरक्षा जमा के तहत दी गई थी। एएआई द्वारा जारी पत्र वर्ष 2021–22 में बैंक को जमा कर दिया गया है और एएएएल द्वारा बैंक को राशि जमा करने पर, इसे नकद समकक्ष के रूप में दिखाया जाना है। वर्ष 2020–21 में इस राशि को एएएएल बैंक खाते में जमा नहीं किया गया है, इसलिए इसे सुरक्षा जमा के रूप में दिखाया गया है। उपरोक्त कार्रवाई इंड एएस–7 के अनुरूप है।
ख. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ **स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–''क''** निर्धारण वर्ष 1997–98 के लिए 1.40 करोड रूपए की आयकर मांग के संबंध में सीआईटी (अपील) को पहले ही दिनांक 23 नवंबर 2004 के आदेश के तहत खारिज कर दिए गए था और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने भी दिनांक 28 जनवरी 2020 को इस अपील को खारिज कर दिया था, जिसे कंपनी द्वारा 25 फरवरी, 2020 को विधिवत रूप से प्राप्त किया गया था। चूंकि इस अपील को आईटीएटी द्वारा खारिज कर दिया गया है और कर देयता का मामला किसी भी मंच पर विवादित नहीं है, इसे स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैरा–7 (ग) के तहत विवादित वैधानिक बकाया के तहत प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।	हालाँकि, आईटीएटी ने दिनांक 28.01.2020 की अपील को खारिज कर दिया है, आज तक एएएएल को धारा–250 (आईटीएटी द्वारा पारित आदेश और सीआईटी (ए) द्वारा दिया गया अपील प्रभाव) के तहत कोई अपील प्रभाव आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके आधार पर अंतिम मांग का पता लगाया जा सकता है। . इस संबंध में, एलाइंस एअर ने पुनः आयकर विभाग से अपील प्रभाव आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, व्यय की गैर–निर्धारणीय प्रकृति के कारण राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया था।

ग. नकदी प्रवाह पर टिप्पणियाँ **i)प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद–397.97 करोड़ रु.** **वित्तीय गतिविधियों/(प्रयुक्त) से निवल नकद (423.45) करोड़ रु.** उपरोक्त में 203.18 करोड़ रुपए एअर इंडिया लिमिटेड को देय ब्याज (161.40 करोड़ रुपये), ईंधन कंपनियों को (21.35 करोड़ रुपये) और संबंधित पक्षों को देय ब्याज (20.43 करोड़ रुपये) है। उपरोक्त ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया है और इसे 'लघु अवधि ऋण' शीर्ष के तहत देय शेष राशि में शामिल किया गया है। गैर–नकद मद होने के कारण ब्याज को प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की गणना करते समय पहले ही निवल लाभ और हानि से समायोजित किया जा चुका है। चूंकि ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, इसे वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए था और इसे प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की गणना करते समय लघु अवधि ऋण के तहत प्रचालन देनदारियों में समायोजित नहीं किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त नकदी) में 203.18 करोड़ रु. और इसके परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह के विवरण से संबंधित इंड एएस–7 का अनुपालन नहीं हुआ है।	अवलोकन नोट किया गया है। कृपया इस बात की प्रशंसा की जाए कि एएएएल द्वारा नकदी प्रवाह के प्रारूप का कुछ वर्षों से पालन किया जा रहा है और पिछले कई वर्षों में लेखापरीक्षकों और सीएजी द्वारा इसे विधिवत प्रमाणित किया गया है। होल्डिंग कंपनी और अन्य सहायक कंपनियों द्वारा दिनांक 31.03.2021 तक अतिदेय राशि पर ब्याज की राशि वसूल की जा रही है। एलाइंस एअर संबंधित पक्षों के साथ किए गए मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) के आधार पर धारक कंपनी और अन्य सहायक कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ उठा रही है। एलाइंस एअर को बिल की गई सेवाओं की लागत को एक प्रचालन गतिविधि माना गया है और अतिदेय राशि पर लगाए गए ब्याज को वित्तीय गतिविधियों के रूप में माना जा रहा है। दिनांक 31.03.2021 को वास्तविक नकद शेष पर पहुंचने के लिए, वित्तीय गतिविधि होने के कारण ब्याज लागत को कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ और (हानि) पर पहुंचने के लिए लाभ और हानि राशि के साथ समायोजित किया गया है और बाद में, प्रचालन से उत्पन्न वास्तविक नकदी पर पहुंचने की देयता को प्रचालन में वापस जोड़ा गया है। 1. एअर इंडिया और अन्य पक्षों को ब्याज राशि का भुगतान न करने को वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह के खिलाफ समायोजित किया गया है। 2. सरकारी लेखापरीक्षक का प्रस्ताव है कि भुगतान न की गई ब्याज राशि को लाभ और हानि राशि (जैसा कि नकदी प्रवाह विवरण में एएएएल द्वारा किया गया है) में समायोजित किया जाएगा और एएएएल द्वारा वर्तमान ऋण (एअर इंडिया की शेष राशि)) में इसे समायोजित करने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी और देय व्यापार के साथ शेष (तुलन पत्र के अनुसार संव्यवहारों की शेष राशि का मिलान करने

	के लिए) और वित्तीय गतिविधियों के तहत नकदी प्रवाह के साथ समायोजित से बचा जा सकता। सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा उठाए गए बिंदुओं को नोट किया जाता है और नकदी प्रवाह विवरण में वर्ष 2021–22 के लिए लेखा पुस्तकों को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा। प्रस्तुतीकरण के प्रस्तावित परिवर्तन का वित्तीय विवरण पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम वित्तीय वर्ष 2021–22 में अपनी लेखा पुस्तकों को प्रस्तुत करने के सरकारी लेखा परीक्षक के सुझाव को लागू करने के लिए सहमत हैं।
ii) प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद – 397.97 करोड़ रु. **निवेश गतिविधियों में/(प्रयुक्त) से निवल नकद – (0.41) करोड़ रु.** वर्ष के दौरान 16.07 करोड़ रुपये की स्थायी परिसंपत्ति खरीदी गई है, हालांकि, 16.03 करोड़ रुपये का भुगतान केवल विक्रेताओं को किया गया है और शेष रुपये का भुगतान किया गया है। व्यापार देय (नोट संख्या–18) के तहत 0.04 करोड़ रु. दिखाया जा रहा है। कंपनी ने प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की गणना करते हुए ट्रेड देय में वृद्धि/कमी के तहत अपना प्रभाव लिया है और साथ ही निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत स्थायी परिसंपत्ति की खरीद को कुल 16.07 करोड़ रुपये खरीद राशि में दिखाया गया है। चूंकि वेंडर को 0.04 करोड़ रु. का भुगतान नहीं किया गया है, इसे निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। उपरोक्त तरीके से गैर–चित्रण के परिणामस्वरूप प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की अधिकता और निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह को 0.04 करोड़ रु. और इसके परिणामस्वरूप, नकदी प्रवाह के विवरण से संबंधित इंड एएस–7 का अनुपालन नहीं हुआ है।	अवलोकन को नोट कर लिया गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान भुगतान किए गए 4 लाख रु. की राशि को स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद के कारण नकदी प्रवाह में निवेश गतिविधि के रूप में माना गया है और इसे प्रचालन से निवल नकदी प्रवाह को ऋणदाता के रूप में भी दिखाया गया था। उपरोक्त का वित्तीय विवरण और सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा सुझाए गए संशोधित प्रस्तुतिकरण पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसका बाद के वर्षों में ध्यान में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, वास्तविक अवधारणा के अनुसार राशि महत्वपूर्ण नहीं है।
iii) प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद – 397.97 करोड़ रु. प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी का परिकलन करते समय, अप्राप्त विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ को प्रचालन आस्तियों/दायित्वों में वृद्धि/कमी के समायोजन पर तदनुरूपी प्रभाव के साथ लाभ–हानि खाते के विवरण के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ या हानि से 6.55 करोड़ रु. का समायोजन नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह के विवरण से संबंधित इंड एएस–7 का अनुपालन नहीं किया गया है।	अवलोकन अच्छी तरह से नोट किया गया है। सरकारी लेखापरीक्षा के अनुसार, कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ/हानि पर पहुंचने के लिए अप्रयुक्त विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ और हानि को अलग से दिखाया जाना है।

	उपरोक्त कार्रवाई के बजाय, राशि को व्यापार देय के प्रति समायोजित किया गया है और प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी उत्पादन हमारे नकदी प्रवाह विवरण में किया गया है, जिसका लगातार पालन किया जा रहा है और प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह इंड एएस–7 के अनुसार समान रहेगा। इसका वित्तीय विवरण पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले वित्तीय वर्ष 2021–22 में सुझाए गए संशोधित प्रस्तुतिकरण पर विचार किया जाएगा।
घ. प्रकटीकरण पर टिप्पणी **इक्विटी और देयताएं** **चालू देयताएं** **व्यापार देय (नोट संख्या 18)– 890.06 करोड़ रु.** सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में 0.49 करोड़ रु. का व्यापार देय को अलग–अलग तुलन पत्र में दर्शाया नही गया है और साथ ही खातों के नोटों में राशि का गलत चित्रण किया गया था जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुपालन में नहीं है।	हमारे नोट–41 को खातों के लिए नोट्स का हिस्सा बनाते हुए देखें, दिनांक 31.03.2021 तक एमएसएमई विक्रेताओं को बकाया राशि का प्रकटन करता है। वही गलती से एमएसएमई शीर्ष के तहत नोट संख्या 18 के तहत नहीं दिखाया गया है लेकिन भारत में विक्रेता के तहत दिखाया गया है जो नोट संख्या–18 का भाग है। व्यापार देय के तहत दिखाया गया कुल शेष सही है और तुलन पत्र में दर्शाया गया है। सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा देय व्यापार को दो भागों (i) एमएसएमई के तहत (ii) एमएसएमई के अतिरिक्त अन्य में विभाजित करने के सुझाव के अनुसार संशोधित प्रस्तुति को आगामी वर्ष में लागू किया जाएगा। इसका वित्तीय विवरण पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

,,,,,,,,,,,,

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड
इंड एएस वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

मत

हमने, **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (''कम्पनी'')** के इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2021 तक की अवधि का तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाते का विवरण, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी, वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश सहित और अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है।

हमारे मत में, और हमें उपलब्ध सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम 2013 यथा संशोधित (''अधिनियम'') कम्पनी की वास्तविक स्थिति 31 मार्च, 2021 को दी गई जानकारी तथा समाप्त वर्ष में हानि, अन्य व्यापक आय, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप वास्तविक तथा निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्धारित लेखाकंन मानकों के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसएएस) पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट की इंड एएस वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं व इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां हमने पूरी कर दी हैं। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्रदान किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा मत के आधार पर वित्तीय विवरणियां पर्याप्त और उपयुक्त है।

<u>मामले का महत्व</u>

निम्नलिखित नोट पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है:

क) नोट सं. 42 के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण गोइंग कंर्सन आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि निरंतर संचित हानि के कारण कंपनी की नेटवर्थ पूरी तरह से समाप्त हो गई।

ख) वित्तीय विवरणों के नोट सं. 54 जो कि SARS-CoV-2 (''कोविड–19'') महामारी के कारण कंपनी के प्रचालन और परिणाम पर प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित अनिश्चितता के संभावित प्रभावों के बारे में बताते हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।

अन्य मामलों संबंधी पैरा

यात्री कमीशन के 40.65 मिलियन रुपए, पीजीपी को एमएसएफ कमीशन के 18.06 मिलियन रुपए, क्रेडिट कार्ड पर बैंक शुल्क के 16.83 मिलियन रुपए को एआईएल द्वारा आबंटित राशि के आधार पर लेखांकित किया गया है, और हम इस विश्वास करते हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।

इंड एएस वित्तीय विवरण से इतर अन्य सूचना और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट शामिल है। इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक हमें अन्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य जानकारी शामिल रही है और हम किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर बताई गई अन्य सूचनाएं जब उपलब्ध हो जाए तो, उनका पठन करें और ऐसा करते समय ध्यान दें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी सूचना या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बयानी है। यदि अन्य सूचना पर किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है और हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

दूसरी रिपोर्ट पढ़ते समय यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें आवश्यकता पड़ने पर शासन–विधि को इस संबंध में सूचित करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत (भारतीय लेखा मानकों) नियम 2015, यथा संशोधित अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों सहित कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, अन्य व्यापक आय के साथ नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन की वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी, कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लेखित मामलों के संदर्भ में, कम्पनी के निदेशक मंडल की है। जिम्मेदारी में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व अन्य अनियमिताएं व धोखाधड़ी की जांच व रोकथाम हेतु अधिनियम के प्रावधानों के तहत समुचित कार्यान्वयन और लेखा रिकार्ड का रख–रखाव रखना, समुचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करना, यथोचित व विवेकपूर्ण निर्णय व आंकलन करना शामिल है तथा लेखा रिकार्डों की सटीकता व पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु लागू प्रभावी पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण डिजाइन, तैयार व लागू करना, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने में संगत हो, जो वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाए व धोखाधड़ी व गलती के कारण होने वाली किसी भी व्यापक त्रुटि से रहित हो।

इंड एएस वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, गोइंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी रखने की कम्पनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा लागू हो। गोइंग कंसर्न से संबंधित मामले तथा लेखांकन हेतु गोइंग कंसर्न आधार का प्रयोग प्रबंधन की जिम्मेदारी है, जब तक कि प्रबंधन कम्पनी को या तो लिक्विटेड करने या प्रचालन बंद करने की मंशा रखता हो और प्रबंधन के पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प मौजूद ना हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणियां समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं और हमारा मत शामिल करते हुए लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर के आश्वासन हैं, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि एसएएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा, सदैव, मौजूद होने पर महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगी। धोखाधड़ी और त्रुटि से गलतबयानी हो सकती है और व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है यदि वे इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकें।

एसएएस के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी को पहचानें और आंकलन करें और इन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन व निष्पादित करें, और हमारे मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं करने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, चूकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती करना, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणी के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या इस प्रकार के नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के गोइंग कंसर्न आधार की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि गोइंग कंसर्न के रूप में कम्पनी के जारी रहने में सार्थक संदेह उत्पन्न करने वाली घटनाएं या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो उस स्थिति में हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणीयों से संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, यदि इस प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने मत को संशोधित करना। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक हमारे निष्कर्ष, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं तथापि भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं या परिस्थितियों के कारण कंपनी गोइंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी नहीं रख सकेगी।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और पता लगाना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुति करते हुए दर्शाते हैं।

अन्य मामलों में हम, लेखा परीक्षा को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हुए, जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञात होती है, शासन से संपर्क करते हैं।

हम शासन को स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने संबंधी विवरणी उपलब्ध करवाते हैं और हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले सभी संबंधों व अन्य मामलों के संबंध में यथा लागू संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें सूचित करते हैं।

अन्य वैधानिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम 2013 की उपधारा (11) एवं धारा 143 के संदर्भ में केन्द्र सरकार, भारत द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 3 और 4 में लागू सीमा तक उल्लिखित मामलों पर विवरण **अनुलग्नक ''क''** में दिया गया हैं।

2. कम्पनी के रिकार्ड और बहियों की इस जांच के आधार पर जो हमें उचित लगे और ''**अनुलग्नक ''ख'',** में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उपनिर्देशों में हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हों।

   (ख) हमारे मतानुसार कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं, जैसा कि इन खाता बहियां की हमारी

जांच से स्पष्ट होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता के साथ अन्य व्यापक आय और नकदी प्रवाह विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण इस रिपोर्ट के साथ खाता की लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं।

(घ) हमारे मतानुसार उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरणियां कम्पनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम 2015 यथा संशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार है।

(ड.) 31 मार्च, 2021 तक निदेशक मंडल से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए अनुसार, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के तहत 31 मार्च, 2021 को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(च) कंपनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संदर्भ में व इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में, **अनुलग्नक 'ग'** में हमारी अलग रिपोर्ट को देखें।

(छ) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची v के खंड साथ पठित 197 के प्रावधान, जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित हैं। एमसीए अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ज) हमारे मतानुसार व हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना व दिए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में कम्पनी (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में।

1. कंपनी ने लंबित लिटिगेशन के मामले में वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को नोट सं. 30 में प्रकट किया है।
2. कम्पनी ने डैरिवेटिव संविदा सहित, दीर्घावधि संविदा नहीं की जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि हो।
3. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन व प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

कृते व उनकी ओर से
एस. के. कपूर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्याः 000745C

हस्ता./–
(वी. बी. सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या–073124
यूडीआईएन सं.: 21073124AAAADP9102

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जुलाई 2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक क''

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के सदस्यों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के खातों पर हमारी समतिथि रिपोर्ट के संदर्भ में ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट'' भाग के पैरा 1 के अन्तगर्त

1) **स्थिर परिसम्पत्तियों के संबंध में:**

क) कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड रखे हैं जिसमें परिमाणात्मक विवरण और स्थिर परिसम्पत्तियों की स्थिति शामिल है।

ख) जैसा कि हमें बताया गया कि कंपनी द्विवार्षिक आधार पर स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करती है। वित्त वर्ष 2020–21 में दिल्ली स्टेशन की स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है। सार्स–कोविड–2 (''कोविड–19'') वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप हैदराबाद और कोलकाता स्टेशनों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया जा सका है, इसलिए हम उपर्युक्त दोनों स्टेशनों के संबंध में विसंगति, यदि कोई हो, पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

ग) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार, पर कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में कोई स्थिर संपत्ति शामिल नहीं है और तदनुसार आदेश के पैरा 3(i)(ग) के तहत अपेक्षाएं, कंपनी पर लागू नहीं है।

2) **इनवेंटरी के संबंध में**

(क) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन का कार्य द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है। इनवेंटरी का भौतिक सत्यापन जो वित्त वर्ष 2020–21 में पूरा होने वाला था, सार्स–कोविड–2 (''कोविड–19'') की वैश्विक महामारी के कारण पूरा नहीं हो सका।

(ख) उपरोक्त जानकारी के अनुसार, चूंकि इनवेंटरी का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूरा नहीं हो सका है, इसलिए, यदि कोई विसंगति हो तो हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं

3) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लाइबिल्टी पार्टनरशिप या अन्य पार्टियों को कोई आरक्षित या अनारक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(iii)(क), (ख) और (ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

4) हमारे मत में और हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के तहत कम्पनी ने किसी भी प्रकार का ऋण या निवेश या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है अतः इस धारा के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

5) कंपनी ने अधिनियम और कंपनियों (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 की धारा 73 से 76 के प्रावधान के अन्तर्गत किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3 (v) आदेश के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

6) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। इस प्रकार, आदेश का पैराग्राफ 3 (vi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

7) (क) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार खातों और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, सहित निर्विवाद वैधानिक देयताओं के संबंध में खाते की पुस्तकों में कटौती / अर्जित की गई राशि माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस और अन्य वस्तुगत सांविधिक देय कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित

रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा करवाए जा रहे हैं।

(ख) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस और अन्य सामग्री सांविधिक बकाया के संबंध में कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च, 2021 को, देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए, पिछले वर्ष देय सेवा कर की राशि 31.13 मिलियन रु. को छोड़कर बकाया नहीं थी। (मामला मैसर्स गति लिमिटेड के साथ विवादित है।):

(ग) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार भविष्य निधि, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस, उपकर और अन्य सामग्री सांविधानिक देय राशि का निम्नलिखित के अलावा कोई बकाया नहीं है, जो किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं हुई हैं।

क्र.स.	अध्यादेश का नाम	बकाया की प्रकृति	बकाया राशि (मिलियन रु. में)	राशि से संबंधित अवधि	फोरम जहां विवाद लम्बित है।
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	17.43	मूल्यांकन वर्ष 2000–01	आईटीएटी
2	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	14.04	मूल्यांकन वर्ष 1997–98	सीआईटी (अपील)

8) हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थान या बैंक से कोई भी ऋण नहीं लिया है। कंपनी के पास सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं था और वर्ष के दौरान जारी किए गए कोई डिबेंचर नहीं थे या 31 मार्च 2021 तक बकाया नहीं थे।

9) कम्पनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर या आगे के सार्वजनिक ऑफर या आवधिक ऋण से पैंसा नहीं जुटाया है। तदनुसार आदेश का खण्ड 3(ix) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

10) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को रिपोर्ट करने के लिए और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या अधिकारियों द्वारा कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई है।

11) दिनांक 5 जून, 2015 की एमसीए अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के संबंध में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 के खंड v अनुच्छेद 197 के प्रावधान सरकारी कम्पनी होने के कारण कम्पनी पर लागू नहीं होते। अतः आदेश का खंड 3(xi) कंपनी पर लागू नहीं होता।

12) हमारे मतानुसार कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधाान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

13) हमारे मत में, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन–देन में, कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 177 और 188 का अनुपालन किया गया और लागू लेखांकन मानकों में अपेक्षित इंड एएस वित्तीय विवरणियों (संदर्भ नोट सं. (37)) में इसका विवरण दिया गया है।

14) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान शेयरों का प्रैफरैन्श्यल या निजी तौर पर आबंटन या पूर्णतया या अंशतः परिवर्तनीय डिबैंचर का आबंटन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

15) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर–नकद लेन देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

16) हमारे मत में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा (45IA) के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

कृते व उनकी ओर से
एस. के. कपूर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्याः 000745C

हस्ता./–
(वी. बी. सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या–073124
यूडीआईएन सं.: 21073124AAAADP9102

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जुलाई 2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ''ख''

मैसर्स एलाइंस एअर एविएशन लि. के सदस्यों को कम्पनी के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणीयों के लिए ''अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट खण्ड के तहत'' हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैरा 2 के संदर्भ में।

क्र.सं.	कम्पनी अधिनियम 2013 के 143 (5) दिशा निर्देश	निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर	आर्थिक प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ खातों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन का प्रभाव। यदि कोई हो, तो बताएं।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली यानी एसएपी (डाटा प्रोसेसिंग में सिस्टम एप्लिकेशन और उत्पाद) के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है। तथापि कंपनी एआईएल के माध्यम से यात्री, कार्गो, सामान और अन्य राजस्व से संबंधित डाटा प्रोसेसिंग के लिए बाहरी एजेंसी की सेवाओं का लाभ उठा रही है क्योंकि एअर इंडिया लि. (एआईएल) एआईएल की प्रणाली का उपयोग बुकिंग आदि के लिए किया गया है, जो कंपनी के आईटी सिस्टम से बाहर है। उपलब्ध रिकॉर्ड और जानकारी के अनुसार इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार, मूल कंपनी आउटसोर्स एजेंसी द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा की संपूर्णता, प्रामाणिकता और सटीकता का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों का अनुपालन कर रही है।	कोई नहीं
2.	क्या ऋण के भुगतान में असमर्थता के कारण लेंडर द्वारा क्या वर्तमान ऋण मामलों का कोई पुनर्गठन/छूट/ब्याज राइट ऑफ करना/ऋण/ब्याज इत्यादि का कोई मामला है। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि एक सरकारी कंपनी ऋणदाता है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)	लागू नहीं मूल कंपनी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता को छोड़कर, कंपनी किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता से कोई ऋण नहीं ले रही है।	कोई नहीं

3.	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या इनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए (अनुदान/सब्सिडी इत्यादि) प्राप्त धनराशि/प्राप्य की समुचित गणना/इसको निबंधन और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से उपयोग किया गया है? विचलन मामलों की सूची बनाएं।	क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) और वाएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत प्राप्त राशि/प्राप्य को छोड़कर, इस वर्ष के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है, जिसका लेखा–जोखा किताबों में समुचित रूप से रखा गया है।	कोई नहीं

कृते व उनकी ओर से
एस. के. कपूर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्याः 000745C

हस्ता./–
(वी. बी. सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या–073124
यूडीआईएन सं.: 21073124AAAADP9102

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जुलाई 2021

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत के सी एंड एजी के यू/एस 143(5) के निर्देशों/उप निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) के खातों का ऑडिट किया है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते व उनकी ओर से
एस. के. कपूर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्याः 000745C

हस्ता./–
(वी. बी. सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या–073124
यूडीआईएन सं.: 21073124AAAADP9102

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जुलाई 2021

एलाइंस एअर एविएशन लि. की वित्तीय विवरणियों पर हमारी रिपोर्ट में ''अन्य विधिक व नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' शीर्ष के तहत पैरा 3 (च) में संदर्भित अनुलग्नक ''ग''

कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड (i) के अनुच्छेद 143 के उप खंड 3 के अधीन आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 के एलाइंस एअर एविएशन लि. (''कम्पनी'') के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा, समतिथि को समाप्त वर्ष के कम्पनी की वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन की उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय विवरणी के संदर्भ में मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिर्पोटिंग (गाइडेंस नोट) तथा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार, जैसा बताया गया है कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर लागू की है और दोनों भारत के इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकांउडेंट द्वारा जारी किए गए हैं। हमें नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन व लेखा परीक्षा की योजना व निष्पादन करने की आवश्यकता है ताकि इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय विवरणी के संदर्भ में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रखे गए तथा क्या सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से ये नियंत्रण प्रभावी रुप से कार्य करते रहे।

हमारी लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग उसकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण दोष मौजूद होने व जोखिम का आंकलन और जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और उनका मूल्यांकन करना है। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत बयान से जोखिम के आकलन सहित, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग व सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्वान्तों के अनुसार बाहय उद्देश्यों हेतु तैयार वित्तीय विवरणियों की विश्वसनीयता हेतु उचित आश्वासन उपलब्ध करने हेतु डिजाइन की जाती है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल हैं जो–:

1. रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरणानुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और प्रबंधन को सही और उचित रुप से दर्शाती है।

2. सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, वित्तीय विवरणी तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार लेन–देन के उचित रिकार्ड हेतु आश्वासन प्रदान करना और कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकृत किए जाने के अनुसार ही किए जाते हैं।

3. कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जिसका कम्पनी की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या रोकथाम या समय पर पता लगने संबंधी उचित आश्वासन देना।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या नियंत्रण पर प्रबंधन को अनुचित प्रत्यादिष्ट करने की संभावना सहित त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है, जिसकी पहचान नहीं हो पाती है। साथ ही भविष्य के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन होते हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार उपरोक्त ''क्वालिफाइड मत'' पैरा में उल्लिखित 'मल्टीरियल वीकनेस के प्रभावों के अलावा कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण विषयों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है व वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी रुप से कार्य कर रहे थे। जो आईसीएआई द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर जारी गाइडेंस नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के घटकों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित हैं।

कृते व उनकी ओर से
एस. के. कपूर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्याः 000745C

हस्ता./–
(वी. बी. सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या–073124
यूडीआईएन सं.: 21073124AAAADP9102

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जुलाई 2021

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
इंड एएस वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट **मत** हमने, **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (''कम्पनी'')** के इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2021 तक की अवधि का तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाते का विवरण, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी, वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश सहित और अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है। हमारे मत में, और हमें उपलब्ध सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम 2013 यथा संशोधित (''अधिनियम'') कम्पनी की वास्तविक स्थिति 31 मार्च, 2021 को दी गई जानकारी तथा समाप्त वर्ष में हानि, अन्य व्यापक आय, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप वास्तविक तथा निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं।	
मत का आधार हमने कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्धारित लेखाकंन मानकों के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसएएस) पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट की इंड एएस वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं व इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां हमने पूरी कर दी हैं। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्रदान किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे मत के आधार पर पर्याप्त और उपयुक्त है।	

मामले का महत्व	
क) नोट सं. 42 के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण गोइंग कंर्सन आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि निरंतर संचित हानि के कारण कंपनी की नेटवर्थ पूरी तरह से समाप्त हो गई।	नोट सं. 42 के संदर्भ में उपयुक्त प्रकटन किए गए हैं। एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी होने के कारण, एलाइंस एअर को अपने प्रचालन आरंभ रखने में भारत सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। एलाइंस एअर ने विभिन्न लागत नियंत्रण उपायों के साथ–साथ प्रचालन कुशलता और बेहतर वित्तीय निष्पादन के साथ मार्गों के युक्तिकरण जैसे विभिन्न उपाय किए हैं। कंपनी, टायर II और टायर III शहरों को जोड़ने वाली भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना 'उड़ान' में एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में उभरी है, एलाइंस एअर को अरुणाचल प्रदेश से गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ से जीरो, तेजू, पासीघाट जैसे शहरों से जोड़ने का कार्य सौंपा गया है, जिसके लिए एलाइंस एअर ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से दो डोर्नियर विमान लेने की योजना बनाई है, ताकि वाणिज्यिक प्रचालन में भारत में निर्मित विमानों से प्रचालन आरंभ करने के साथ ही यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। एलाइंस एअर टर्नअराउंड की स्थिति के समीप है और अगले दशक में भारत में क्षेत्रीय सम्पर्क योजना का नेतृत्व करने और एशिया का एक प्रमुख क्षेत्रीय वाहक बनने के लिए तैयार है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार ने एएएएल के विनिवेश का प्रस्ताव नहीं दिया है और कंपनी क्षेत्रीय सम्पर्कता प्रदान करने वाले विमानन क्षेत्र में अग्रणी क्षेत्रीय घरेलू पक्ष के रूप में उभरेगी। भारत सरकार द्वारा एलाइंस एअर को त्वरित और सुरक्षित मूवमेंट हेतु भारत के प्रत्येक भाग को वायुमार्ग से जोड़ने के भारत सरकार के उद्देश्यों को पूरा करन का कार्य सौंपा गया है।
ख) वित्तीय विवरणों के नोट सं. 54 जो कि SARS-CoV-2 (''कोविड–19'') महामारी के कारण कंपनी के प्रचालन और परिणाम पर प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित अनिश्चितता के संभावित प्रभावों के बारे में बताते हैं। उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।	नोट नं. 54 का संदर्भ लेते हुए उपयुक्त प्रकटन किए गए हैं। वर्तमान कोविड–19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर विमानन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण कम यात्री वाहकों और यात्रा प्रतिबंधों तथा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रचालन प्रतिबंधों के बावजूद, प्रबंधन ने लागत नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया है जैसा कि उपरोक्त नोट में बताया गया है। उल्लिखित तथ्यों सहित वर्ष 2021–22 के दौरान प्रबंधन ने रीयल–टाइम किराया प्रबंधन की प्रणाली को अपनाया है और

	आरसीएस मार्गों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर उत्पादकता और यात्रियों की संख्या में सुधार हुआ है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन, दोनों प्रकार की योजनाओं के एक भाग के रूप में, जिसके द्वारा हमने कम मांग पर नियोजित रद्दीकरण की प्रणाली के द्वारा प्रचालनिक लागत में बचत की है। नियोजित रद्दीकरण के साथ, अच्छा निष्पादन करने वाले मार्गों पर उडान आवृत्ति में वृद्वि की जा रही है और नए आरसीएस और वीजीएफ क्षेत्रों की योजना बनाई जा रही है। वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण, लोड में गिरावट और बढ़ी हुई लागत को देखते हुए, जबकि प्रचालन का स्तर नीचे गया है, हमारे मार्गों का पुनःअवलोकन/पुनर्निर्धारण किया गया है, जिससे और अधिक घाटे वाले मार्गों (अल्प अवधि और पाक्षिक आधार पर मूल्यांकन) (मामला–दर–मामला आधार पर) को कम/बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण विमानन क्षेत्र को प्रभावित करने वाली कोविड की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए, लागत में कमी करने और राजस्व संवर्धन के लिए कुछ उड़ान रोटेशन को पुनः आरंभ किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, प्रबंधन को वांछित टर्नअराउंड प्राप्त करने का आश्वासन दिया जाता है।
अन्य मामलों संबंधी पैरा यात्री कमीशन के 40.65 मिलियन रुपए, पीजीपी को एमएसएफ कमीशन के 18.06 मिलियन रुपए, क्रेडिट कार्ड पर बैंक शुल्क के 16.83 मिलियन रुपए को एआईएल द्वारा आबंटित राशि के आधार पर लेखांकित किया गया है, और हम इस विश्वास करते हैं। उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।	नोट सं. 37 घ (iv) में उपयुक्त प्रकटन किया गया है। इस राशि को एआई और एएएएल के बीच मौजूदा एमएसए के अनुसार लेखांकित किया गया है।
इंड एएस वित्तीय विवरण से इतर अन्य सूचना और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट शामिल है। इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक हमें अन्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य जानकारी शामिल रही है और हम किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।	

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर बताई गई अन्य सूचनाएं जब उपलब्ध हो जाए तो, उनका पठन करें और ऐसा करते समय ध्यान दें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी सूचना या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बयानी है। यदि अन्य सूचना पर किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है और हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी रिपोर्ट पढ़ते समय यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें आवश्यकता पड़ने पर शासन–विधि को इस संबंध में सूचित करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए।	
इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी अधिनियम की धारा 133 के तहत (भारतीय लेखा मानकों) नियम 2015, यथा संशोधित अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों सहित कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, अन्य व्यापक आय के साथ नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन की वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी, कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लेखित मामलों के संदर्भ में, कम्पनी के निदेशक मंडल की है। जिम्मेदारी में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व अन्य अनियमिताएं व धोखाधड़ी की जांच व रोकथाम हेतु अधिनियम के प्रावधानों के तहत समुचित कार्यान्वयन और लेखा रिकार्ड का रख–रखाव रखना, समुचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करना, यथोचित व विवेकपूर्ण निर्णय व आंकलन करना शामिल है तथा लेखा रिकार्डों की सटीकता व पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु लागू प्रभावी पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण डिजाइन, तैयार व लागू करना, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने में संगत हो, जो वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाए व धोखाधड़ी व गलती के कारण होने वाली किसी भी व्यापक त्रुटि से रहित हो। इंड एएस वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, गोइंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी रखने की कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने, प्रकटन, जैसा लागू हो। गोइंग कंसर्न से संबंधित मामले तथा लेखांकन हेतु गोइंग कंसर्न आधार का प्रयोग प्रबंधन की जिम्मेदारी है, जब तक कि प्रबंधन कम्पनी को या तो लिक्विटेड	

करने या प्रचालन बंद करने की मंशा रखता हो और प्रबंधन के पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प मौजूद ना हो। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।	
इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणियां समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं और हमारा मत शामिल करते हुए लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर के आश्वासन हैं, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि एसएएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा, सदैव, मौजूद होने पर महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगी। धोखाधड़ी और त्रुटि से गलतबयानी हो सकती है और व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है यदि वे इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकें। एसएएस के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम भीः	
• वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी को पहचानें और आंकलन करें और इन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन व निष्पादित करें, और हमारे मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं करने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती करना, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है। • लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणी के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या इस प्रकार के नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।	

• उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना। • प्रबंधन द्वारा लेखांकन के गोइंग कंसर्न आधार की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि गोइंग कंसर्न के रूप में कम्पनी के जारी रहने में सार्थक संदेह उत्पन्न करने वाली घटनाएं या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो उस स्थिति में हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणियों से संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, यदि इस प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने मत को संशोधित करना। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक हमारे निष्कर्ष, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं तथापि भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं या परिस्थितियों के कारण कंपनी गोइंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी नहीं रख सकेगी। • प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और पता लगाना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुति करते हुए दर्शाते हैं। अन्य मामलों में हम, लेखा परीक्षा को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हुए, जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञात होती है, शासन से संपर्क करते हैं। हम शासन को स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने संबंधी विवरणी उपलब्ध करवाते हैं और हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले सभी संबंधों व अन्य मामलों के संबंध में यथा लागू संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें सूचित करते हैं।	
अन्य वैधानिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट 1. कम्पनी अधिनियम 2013 की उपधारा (11) एवं धारा 143 के संदर्भ में केन्द्र सरकार, भारत द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 3 और 4 में लागू सीमा तक उल्लिखित मामलों पर विवरण **अनुलग्नक ''क''** में दिया गया हैं।	

2. कम्पनी के रिकार्ड और बहियों की इस जांच के आधार पर जो हमें उचित लगे और "**अनुलग्नक "ख"**, में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उपनिर्देशों में हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम अधिनियम की धारा 143(5) के तहत अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हों।

(ख) हमारे मतानुसार कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं, जैसा कि इन खाता बहियां की हमारी जांच से स्पष्ट होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता के साथ अन्य व्यापक आय और नकदी प्रवाह विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण इस रिपोर्ट के साथ खाता की लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं।

(घ) हमारे मतानुसार उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरणियां कम्पनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम 2015 यथा संशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार है।

(ङ.) 31 मार्च, 2021 तक निदेशक मंडल से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए अनुसार, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के तहत 31 मार्च, 2021 को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(च) कंपनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संदर्भ में व इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में, **अनुलग्नक 'ग'** में हमारी अलग रिपोर्ट को देखें।

(छ) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची V के खंड साथ पठित 197 के प्रावधान, जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित हैं। एमसीए अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ज) हमारे मतानुसार व हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना व दिए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में कम्पनी (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में। 1. कंपनी ने लंबित लिटिगेशन के मामले में वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को नोट सं. 30 में प्रकट किया है। 2. कम्पनी ने डैरिवेटिव संविदा सहित, दीर्घावधि संविदा नहीं की जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि हो। 3. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन व प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।	

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ''क' पर प्रबंधन के उत्तर

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के सदस्यों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के खातों पर हमारी समतिथि रिपोर्ट के संदर्भ में ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट'' भाग के पैरा 1 के अन्तगर्त	
1) **स्थिर परिसम्पत्तियों के संबंध में:** • कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड रखे हैं जिसमें परिमाणात्मक विवरण और स्थिर परिसम्पत्तियों की स्थिति शामिल है।	यह कथन सही है।
• जैसा कि हमें बताया गया कि कंपनी द्विवार्षिक आधार पर स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन करती है। वित्त वर्ष 2020–21 दिल्ली स्टेशन के लिए स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन शुरू किया गया था, लेकिन SARS-CoV-2 (''कोविड–19'') के लॉकडाउन और वैश्विक महामारी के कारण पूरा नहीं किया जा सका और हैदराबाद और कोलकाता स्टेशनों के लिए भौतिक सत्यापन अभी तक उल्लेखित कारणों के अनुसार आरंभ नहीं किया गया है। उपरोक्त दो स्टेशनों के बारे में यदि कोई विसंगति हो तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। • प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार, पर कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में कोई स्थिर संपत्ति शामिल नहीं है और तदनुसार आदेश के पैरा 3(i)(ग) के तहत अपेक्षाएं, कंपनी पर लागू नहीं है।	समुचित प्रकटन नोट सं. 32 (क) में दिए गए हैं। यह कथन सही है।
2) **इनवेंटरी के संबंध में** • हमें दी गई जानकारी के अनुसार, इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन का कार्य द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है। इनवेंटरी का भौतिक सत्यापन जो वित्त वर्ष 2020–21 में पूरा होने वाला था, SARS-CoV-2 (''कोविड–19'') की वैश्विक महामारी के कारण पूरा नहीं हो सका। • उपरोक्त जानकारी के अनुसार, चूंकि इनवेंटरी का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूरा नहीं हो सका है, इसलिए, यदि कोई विसंगति हो तो हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं	समुचित प्रकटन नोट सं. 32 (ख) में दिए गए हैं। प्रबंधन ने इनवेंटरी सत्यापन के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी है और इसे वर्ष 2021–22 में पूरा किया जाएगा।
3) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लाइबिल्टी पार्टनरशिप या अन्य पार्टियों को कोई आरक्षित या अनारक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(iii)(क), (ख) और (ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।	यह कथन सही है।

4) हमारे मत में और हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के तहत कम्पनी ने किसी भी प्रकार का ऋण या निवेश या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है अतः इस धारा के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
5) कंपनी ने अधिनियम और कंपनियों (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 की धारा 73 से 76 के प्रावधान के अन्तर्गत किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3 (v) आदेश के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
6) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। इस प्रकार, आदेश का पैराग्राफ 3 (vi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।	यह कथन सही है।
7) (क) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार खातों और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, सहित निर्विवाद वैधानिक देयताओं के संबंध में खाते की पुस्तकों में कटौती / अर्जित की गई राशि माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस और अन्य वस्तुगत सांविधिक देय कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा करवाए जा रहे हैं।	यह कथन सही है।
(ख) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस और अन्य सामग्री सांविधिक बकाया के संबंध में कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च, 2021 को, देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए, पिछले वर्ष देय सेवा कर की राशि 311.30 मिलियन रु. को छोड़कर बकाया नहीं थी। (मामला मैसर्स गति लिमिटेड के साथ विवादित है):	यह कथन सही है। नोट सं. 45 में उपयुक्त प्रकटीकरण दिया गया है। मैसर्स गति लिमिटेड के साथ मामला विवादास्पद होने के कारण सेवा कर की राशि जमा नहीं करवाई गई है। अंतिम निर्णय के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
(ग) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार भविष्य निधि, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस, उपकर और अन्य सामग्री सांविधानिक देय राशि का निम्नलिखित के अलावा कोई बकाया नहीं है, जो किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं हुई हैं।	यह कथन सही है।

क्र. स.	अध्यादेश का नाम	बकाया की प्रकृति	बकाया राशि (मिलियन रु. में)	राशि से संबंधित अवधि	फोरम जहां विवाद लम्बित है।
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	17.43	मूल्यांकन वर्ष 2000–01	आईटीएटी
2	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	14.04	मूल्यांकन वर्ष 1997–98	सीआईटी (अपील)

8) हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थान या बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है। कंपनी के पास सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं था और वर्ष के दौरान जारी किए गए कोई डिबेंचर नहीं थे या 31 मार्च 2021 तक बकाया नहीं थे।	यह कथन सही है।
9) कम्पनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर या आगे के सार्वजनिक ऑफर या आवधिक ऋण से पैंसा नहीं जुटाया है। तदनुसार आदेश का खण्ड 3 (ix) कंपनी पर लागू नहीं होता है।	यह कथन सही है।
10) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को रिपोर्ट करने के लिए और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या अधिकारियों द्वारा कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई है।	यह कथन सही है।
11) दिनांक 5 जून, 2015 की एमसीए अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के संबंध में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 के खंड v अनुच्छेद 197 के प्रावधान सरकारी कम्पनी होने के कारण कम्पनी पर लागू नहीं होते। अतः आदेश का खंड 3(xi) कंपनी पर लागू नहीं होता।	यह कथन सही है।
12) हमारे मतानुसार कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधाान कम्पनी पर लागू नहीं होते।	यह कथन सही है।
13) हमारे मत में, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन–देन में, कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 177 और 188 का अनुपालन किया गया और लागू लेखांकन मानकों में अपेक्षित इंड एएस वित्तीय विवरणियों (संदर्भ नोट सं. (37)) में इसका विवरण दिया गया है।	यह कथन सही है।
14) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान शेयरों का प्रैफरैन्श्यल या निजी तौर पर आबंटन या पूर्णतया या अंशतः परिवर्तनीय डिबैंचर का आबंटन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
15) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर–नकद लेन देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
16) हमारे मत में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45IA) के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।	यह कथन सही है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ''ख'' पर प्रबंधन के उत्तर

क्र.सं.	कम्पनी अधिनियम 2013 के 143 (5) दिशा निर्देश	निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर	प्रबंधन के उत्तर	आर्थिक प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ खातों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन का प्रभाव। यदि कोई हो, तो बताएं।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली यानी एसएपी (डाटा प्रोसेसिंग में सिस्टम एप्लिकेशन और उत्पाद) के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है। तथापि कंपनी एआईएल के माध्यम से यात्री, कार्गो, सामान और अन्य राजस्व से संबंधित डाटा प्रोसेसिंग के लिए बाहरी एजेंसी की सेवाओं का लाभ उठा रही है क्योंकि एआईएल की प्रणाली का उपयोग बुकिंग आदि के लिए किया गया है, जो कंपनी के आईटी सिस्टम से बाहर है। उपलब्ध रिकॉर्ड और जानकारी के अनुसार इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार, मूल कंपनी आउटसोर्स एजेंसी द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा की संपूर्णता, प्रामाणिकता और सटीकता का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों का अनुपालन कर रही है।	यह कथन सही है। सभी लेखांकन प्रविष्टियां वित्तीय लेखांकन मॉड्यूल एसएपी के माध्यम से की जाती है। इनवेंटरी और राजस्व लेखांकन में एसएपी वित्तीय मॉड्यूल के साथ इंटरफेस है।	कोई नहीं
2.	क्या ऋण के भुगतान में असमर्थता के कारण लेंडर द्वारा क्या वर्तमान ऋण मामलों का कोई पुनर्गठन/छूट/ब्याज राइट ऑफ करना/ऋण/ब्याज इत्यादि का कोई मामला है। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि एक सरकारी कंपनी ऋणदाता है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	लागू नहीं मूल कंपनी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता को छोड़कर, कंपनी किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता से कोई ऋण नहीं ले रही है।	यह कथन सही है।	कोई नहीं

3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/प्राप्य की समुचित गणना/इसको निबंधन और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से उपयोग किया गया है? विचलन मामलों की सूची बनाएं।	क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) और वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत प्राप्त राशि/प्राप्य को छोड़कर, इस वर्ष के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है, जिसका लेखा–जोखा किताबों में समुचित रूप से रखा गया है।	यह कथन सही है।	कोई नहीं

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ''ग'' पर प्रबंधन के उत्तर

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
एलाइंस एअर एविएशन लि. की वित्तीय विवरणियों पर हमारी रिपोर्ट में ''अन्य विधिक व नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' शीर्ष के तहत पैरा 2 (च) में संदर्भित अनुलग्नक ''ग'' **कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड (i) के अनुच्छेद 143 के उप खंड 3 के अधीन आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट** हमने 31 मार्च, 2021 के एलाइंस एअर एविएशन लि. (''कम्पनी'') के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा, समतिथि को समाप्त वर्ष के कम्पनी की वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ की है।	
आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन की उत्तरदायित्व कंपनी का प्रबंधन, इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।	यह कथन सही है।
लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय विवरणी के संदर्भ में मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिर्पोटिंग (गाइडेंस नोट) तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार, जैसा बताया गया है कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर लागू की है और दोनों भारत के इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकांउडेंट द्वारा जारी किए गए हैं। हमें	

नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन व लेखा परीक्षा की योजना व निष्पादन करने की आवश्यकता है ताकि इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय विवरणी के संदर्भ में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रखे गए तथा क्या सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से ये नियंत्रण प्रभावी रुप से कार्य करते रहे। हमारी लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग उसकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण दोष मौजूद होने व जोखिम का आंकलन और जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और उनका मूल्यांकन करना है। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत बयान से जोखिम के आंकलन सहित, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।	
वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग व सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्वान्तों के अनुसार बाहय उद्देश्यों हेतु तैयार वित्तीय विवरणियों की विश्वसनीयता हेतु उचित आश्वासन उपलब्ध करने हेतु डिजाइन की जाती है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल हैं जो–:	
1. रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरणानुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और प्रबंधन को सही और उचित रुप से दर्शाती है।	यह कथन सही है।
2. सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, वित्तीय विवरणी तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार लेन–देन के उचित रिकार्ड हेतु आश्वासन प्रदान करना और कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकृत किए जाने के अनुसार ही किए जाते हैं।	यह कथन सही है।

3. कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जिसका कम्पनी की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या रोकथाम या समय पर पता लगने संबंधी उचित आश्वासन देना।	यह कथन सही है।
वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या नियंत्रण पर प्रबंधन को अनुचित प्रत्यादिष्ट करने की संभावना सहित त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है, जिसकी पहचान नहीं हो पाती है। साथ ही भविष्य के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन होते हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।	आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जोखिम मैट्रिक्स को प्रभावी प्रबंधन नियंत्रण तंत्र द्वारा नियंत्रित किया गया है। वर्ष 2020–21 में अन्य नियंत्रण कारक को सृजित करने वाला कोई नया क्रियात्मक क्षेत्र स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए प्रबंधन का मत है कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं।
मत हमारे मतानुसार कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण विषयों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है व वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी रुप से कार्य कर रहे थे। जो आईसीएआई द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर जारी गाइडेंस नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के घटकों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित हैं।	

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2021 को मिलियन रुपये में	31 मार्च, 2020 को मिलियन रुपये में
परिसम्पत्तियां			
1 **गैर–चालू परिसम्पत्तियां**			
(i) सम्पत्ति, संयत्रं और उपस्कर	2(क)	**225.94**	91.23
(ii) राइट ऑफ यूज़ परिसम्पत्तियां	2(ख)	**22,055.70**	19,053.33
(iii) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
क) व्यापार प्राप्य		**-**	-
ख) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	3	**714.03**	815.32
(iv) आयकर परिसम्पत्तियां (निवल)	4	**498.03**	397.28
(v) आस्थिगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)		**-**	-
(vi) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	5	**2,760.56**	2,470.60
2 **चालू परिसम्पत्तियां**			
(i) इनवेटंरी	6	**291.54**	296.97
(ii) वित्तीय परिसम्पत्तियां		**-**	-
क) व्यापार प्राप्य	7	**636.60**	787.55
ख) नकद और नकद समकक्ष	8	**48.87**	307.75
ग) बैंक शेष उपरोक्त (ख) के अलावा	9	**22.72**	14.36
घ) ऋण	10	**324.84**	443.96
च) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	11	**116.77**	189.21
(iii) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	12	**1,053.56**	804.42
कुल परिसम्पत्तियां		**28,749.16**	25,671.98
इक्विटी और देयताएं			
1 इक्विटी			
(i) i) इक्विटी शेयर पूंजी	13	**4,022.50**	4,022.50
(ii) ii) अन्य इक्विटी	14	**(30,534.10)**	(26,934.78)
2 **देयताए**			
(i) **गैर चालू देयताएं**			
क) वित्तीय देयताएं			
i) उधार		**-**	-
ii) लीज़ देयताएं	15	**21,954.42**	21,651.18
iii) अन्य वित्तीय देयताएं		**-**	-
ख) प्रावधान	16	**639.57**	587.49
ग) अन्य गैर चालू देयताएं		**-**	-
(ii) **चालू देयताएं**			
क) वित्तीय देयताएं			
i) उधार	17	**20,656.16**	17,111.08
ii) व्यापार देयताएं	18	**8,900.61**	8,219.68
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	19	**2,714.53**	549.39
ख) प्रावधान	20	**3.82**	2.12
ग) अन्य चालू देयताएं	21	**391.65**	463.32
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**28,749.16**	25,671.98
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व अन्य विवरणात्मक नोट इंड ए एस वित्तीय विवरणियों का अविभाज्य भाग हैं।	**01-55**		

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745सी

हस्ता/–
(राजीव बंसल)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 00245460

हस्ता/–
(विनोद हेजमाड़ी)
निदेशक
डीआईएन सं. 07346490

हस्ता/–
(हरप्रीत ए.डी. सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
(वी.बी. सिंह)
आईसीएआई पार्टनर
सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 21073124एएएएडीपी9102

हस्ता/–
(मंजिरी एम. वझे)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस16028

हस्ता/–
(अम्बर कुमार मंडल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली,
दिनांकः 14 जुलाई, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरणी

	विवरण	नोट सं.	2020–21 की अवधि हेतु राशि	2019–20 की अवधि हेतु राशि
			मिलियन रुपये में	मिलियन रुपये में
I	राजस्व			
1	प्रचालन से	**22**		
	i) अनुसूचित यातायात सेवाएं		**2,535.79**	7,136.04
	ii) गैर अनुसूचित यातायात सेवाएं		**1,988.29**	2,419.72
	iii) अन्य प्रचालन राजस्व		**11.31**	374.53
2	अन्य आय	**23**	**56.88**	1,881.25
II	**कुल राजस्व (12)**		**4,592.27**	11,811.54
III	व्यय			
	विमान ईंधन एवं तेल		**787.97**	1,963.24
	अन्य प्रचालन व्यय	**24**	**2,064.21**	3,397.59
	स्टाक इन ट्रेड की खरीद		**-**	-
	तैयार माल की इनवेंटरी में, कार्य प्रगति पर और स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन		**-**	-
	कर्मचारी लाभ व्यय	**25**	**1,148.98**	1,878.14
	वित्तीय लागत	**26**	**1,406.95**	4,542.15
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	**2 क और 2 ख**	**2,407.79**	2,287.89
	अन्य व्यय	**27**	**377.31**	94.53
IV	**कुल व्यय**		**8,193.21**	14,163.55
V	**असाधारण मदों पूर्व लाभ/(हानि) और कर (II-IV)**		**(3,600.94)**	(2,352.01)
VI	**असाधारण मदें**		**-**	-
VII	**कर से पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**(3,600.94)**	(2,352.01)
VIII	**कर व्ययः**			
1	चालू कर		**-**	-
2	आस्थगित कर		**-**	-
IX	**वर्ष के लिए कर के पश्चात लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**(3,600.94)**	(2,352.01)
X	**अन्य व्यापक आय**			
	क. मदें जिन्हें लाभ एवं हानि विवरणी में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	– पारिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन		**1.62**	(3.74)
	– आयकर संबंधी मदों का लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		**-**	-
XI	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (अवधि के लिए लाभ/(हानि)) और अन्य व्यापक आय शामिल है**		**(3,599.32)**	(2,355.75)
XII	**प्रति इक्विटी शेयर आय**	**28**		
	(1) मूल		**(89.52)**	(58.47)
	(2) डायल्यूटिड		**(89.52)**	(58.47)
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व अन्य विवरणात्मक नोट इंड ए एस वित्तीय विवरणियों का अविभाज्य भाग हैं।	**01-55**		

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745सी

हस्ता/–
(राजीव बंसल)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 00245460

हस्ता/–
(विनोद हेजमाड़ी)
निदेशक
डीआईएन सं. 07346490

हस्ता/–
(हरप्रीत ए.डी. सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
(वी.बी. सिंह)
आईसीएआई पार्टनर
सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 21073124एएएएडीपी9102

हस्ता/–
(मंजिरी एम. वझे)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस16028

हस्ता/–
(अम्बर कुमार मंडल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली,
दिनांकः 14 जुलाई, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी

क) इक्विटी शेयर पूंजी	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	शेयरों की सं.	(राशि मिलियन रु. में)	शेयरों की सं.	(राशि मिलियन रु. में)
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	40,225,000	4,022.50	40,225,000	4,022.50
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	**40,225,000**	**4,022.50**	**40,225,000**	**4,022.50**

ख) अन्य इक्विटी

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
1.04.2020 को शेष	(26,938.32)	3.54	(26,934.78)
वर्ष के लिए लाभ हानि	(3,600.94)	-	(3,600.94)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	1.62	1.62
वर्ष के लिए कुल अन्य व्यापक आय	**(30,539.26)**	**5.16**	**(30,534.10)**
31.03.2021 को शेष	**(30,539.26)**	**5.16**	**(30,534.10)**
01.04.2019 को शेष	(24,003.60)	**18.32**	**(23,985.29)**
इंड एएस 116 का प्रभाव–लीज़	(593.74)	-	(593.74)
01.04.2019 को पुनः घोषित शेष	**(24,597.35)**	**18.32**	**(24,579.03)**
वर्ष के लिए लाभ हानि	(2,352.01)	-	(2,352.01)
छुट्टी नगदीकरण हेतु ओसीआई के प्रारंभिक शेष का समायोजन	11.03	(11.03)	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	(3.74)	(3.74)
वर्ष के लिए अन्य कुल व्यापक आय	**(26,938.32)**	**3.54**	**(26,934.78)**
31.03.2020 को शेष	**(26,938.32)**	**3.54**	**(26,934.78)**

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745सी

हस्ता/–
(वी.बी. सिंह)
आईसीएआई पार्टनर
सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 21073124एएएएडीपी9102

स्थानः नई दिल्ली,
दिनांकः 14 जुलाई, 2021

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता/–
(राजीव बंसल)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 00245460

हस्ता/–
(विनोद हेजमाड़ी)
निदेशक
डीआईएन सं. 07346490

हस्ता/–
(हरप्रीत ए.डी. सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
(मंजिरी एम. वझे)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस16028

हस्ता/–
(अम्बर कुमार मंडल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

विवरण	2020-21		2019-20	
	मिलियन रुपये में		मिलियन रुपये में	
क) प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
लाभ–हानि विवरणी के अनुसार कर से पूर्व निवल लाभ और हानि		**-3600.94**		**-2352.01**
जमा/(घटा) – गैर प्रचालन के लिए समायोजन				
व्यय/आय और गैर नकद मदें				
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	**2,407.79**		2,287.89	
प्रावधान/गैर दावा देयताएं–रिटन बैक	**(1.58)**		(1,801.00)	
बट्टे खाते प्रावधान	**-**		23.68	
इंड एएस 116 के अनुसार ब्याज वित्तीय लागत व लीज़ पर विनिमय अंतर	**(634.46)**		2,714.10	
ब्याज और वित्तीय लागत	**2,041.40**		1,828.05	
जमा पर ब्याज आय	**(55.30)**		(80.25)	
हिस्से पूर्जों के अप्रचलन के लिए प्रावधान	**(19.48)**		57.72	
		3,738.38		**5,030.20**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि)		**137.44**		**2,678.19**
प्रचालन परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन				
अन्य बैंक शेष	**(8.36)**		205.47	
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	**(289.95)**		(1,075.20)	
इनवेंटरी	**26.42**		(139.51)	
व्यापार प्राप्य	**150.95**		175.62	
ऋण	**119.12**		(268.58)	
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	**72.44**		(50.96)	
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	**(249.15)**		(406.59)	
		(178.52)		**(1,559.75)**
प्रचालन देयताओं में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन				
व्यापार देय	**680.99**		2,515.07	
अन्य चालू देयताएं	**(71.67)**		68.71	
लघु अवधि ऋण	**3,545.08**		777.52	
लघु अवधि प्रावधान	**1.70**		(0.06)	
अन्य वित्तीय देयताएं	**(53.32)**		68.66	
दीर्घावधि प्रावधान	**18.71**	**4,121.51**	**16.99**	**3,443.14**
प्रचालन से प्राप्त नकद		**4,080.42**		**4,561.58**
घटाकरः टीडीएस सहित/(रिफंडेड) अदा किया गया आयकर		**(100.76)**		(208.22)
प्रचालन गतिविधियों (क) से निवल नकद		**3,979.67**		**4,353.36**

ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
क) स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद	**(160.65)**		(15.04)	
ख) लीन अधीन एफडीआर से प्राप्ति	**101.29**		278.45	
ग) जमा पर ब्याज आय	**55.30**		80.25	
निवेश गतिविधियों (ख) से/(प्रयुक्त) में निवल नकद		**(4.07)**		**343.67**
ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
क) चालू देयता का इक्विटी में रुपांतरण				
ख) लीज़ भुगतान	**(2,193.07)**		(2,599.71)	
ग) ब्याज भुगतान	**(2,041.40)**	**(4,234.48)**	(1,828.05)	(4,427.76)
वित्तीय गतिविधियों (ग) से/(प्रयुक्त) में निवल नकद		**(4,234.48)**		(4,427.76)
(घ) नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्धि/(हानि) (क.ख.ग)		**(258.88)**		269.26
(ड़) वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष		**307.75**		38.48
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष (घ+ड.)		**48.87**		307.75

नोट : उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी ''नकदी प्रवाह विवरणी'' पर इंड एएस–7 के अनुरुप "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत तैयार की गई है।

पिछले वर्ष के आकड़े पुनःवर्गीकृत/पुनःव्यवस्थित किए गए हैं।

(रु. मिलियन में)

विवरण	2020-21	2019-20
नकद और नकद समकक्ष		
बैंक में शेष		
चालू खाते में	**48.86**	307.47
हाथ में रोकड़	**0.01**	0.28
अंत शेष	**48.87**	**307.75**

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745सी

हस्ता/–
(राजीव बंसल)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 00245460

हस्ता/–
(विनोद हेजमाड़ी)
निदेशक
डीआईएन सं. 07346490

हस्ता/–
(हरप्रीत ए.डी. सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
(वी.बी. सिंह)
आईसीएआई पार्टनर
सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 21073124एएएएडीपी9102

हस्ता/–
(मंजिरी एम. वझे)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस16028

हस्ता/–
(अम्बर कुमार मंडल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली,
दिनांकः 14 जुलाई, 2021

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के इंड एएस वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में लेखांकन नीतियां

नोट सं. 1 महत्वपूर्ण नीतियों का सारांश

इस नोट में, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की सूची दी गई है। यह नीतियां प्रस्तुत सभी वर्षों में निरन्तर लागू की गई है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। यह वित्तीय विवरण एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के लिए है। जब तक अन्यथा न कहा गया हो लेखों के सभी आकड़े रुपए (मिलियन) में हैं।

1. कंपनी सूचना/ओवरव्यू

पृष्ठभूमिः

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) कंपनी अधिनियम, 1956 अब पूर्व कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत भारत सरकार की कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है। कम्पनी वायु परिवहन के व्यवसाय में है जिसमें मुख्य रूप से यात्री और कार्गो सेवाएं और अन्य संबंधित सेवाएं सम्मिलित हैं। कंपनी मुख्य रूप से भारत में टायर–2 और टायर–3 शहरों के बीच प्रचालन करती है। वर्ष के अंत में, कंपनी के विमान बेड़े में, 18 एटीआर 72–600 विमान हैं।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एलाइंस भवन, अंतरदेशीय टर्मिनल–1, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली –110037 पर स्थित है।

2. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

(i) अनुपालन संबंधी कथन

कंपनी के वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों इंड एएस व निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2015 को जारी अधिसूचना के तहत जारी नियमों के साथ पठित के अनुसार व कंपनी अधिसूचना (इंड एएस) नियम, 2015 के साथ लागू कानूनों के तहत संशोधनों व जारी अधिनियम सहित तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांत व अधिनियम के संगत प्रावधान के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणियों गोइंग कंर्सन आधार पर लेखांकन की अक्रूअल प्रणाली आधार पर तैयार की जाती है।

कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय विवरणियों को दिनांक 14.07.2021 को जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया।

(ii) मापन के आधार

कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं जिन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उचित मूल्य अथवा परिशोधित लागत पर आंका जाता है, को छोड़कर, वित्तीय विवरण प्रोद्भूत आधार पर मूल लागत रीतियों के तहत तैयार किए गए हैं।

(iii) जारी मानक–परन्तु अभी प्रभावी नहीं

निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) वर्तमान मानकों हेतु नए मानक या संशोधनों को अधिसूचित करता है। 01 अप्रैल, 2021 से लागू ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है।

(iv) महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान/निर्णय

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंध वर्ग ने निर्णय, आंकलन तथा पूर्वानुमान का उपयोग किया है जिससे लेखांकन नीतियां तथा परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व व्यय की रिपोर्ट की गई राशियां प्रभावित हुई हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आंकलनों तथा अंतर्निहित पूर्वधारणाओं की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। जहां आवश्यक हो लेखांकन आंकलनों में संशोधन को प्रत्याशित रूप से मान्य किया जाता है।

आंकलनों तथा निर्णयों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों (संबंधित लेखांकन नीतियों में उल्लेखानुसार) जिनका वित्तीय विवरणों पर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नानुसार है :

क) परिसंपत्तियों की क्षति

ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के उपयोगी जीवन तथा शेष मूल्य का मापन तथा लागत के किन घटकों को पूंजीबद्ध किया जा सकता है, इसका मूल्यांकन।

ग) निवेश संपत्ति के रूप में संपत्ति के वर्गीकरण का आधार।

घ) विक्रय के लिए रखी गैर चालू परिसंपत्तियों के वर्गीकरण का आधार।

ड.) पुनः डिलीवरी की लागत का आंकलन।

च) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान व वसूली की संभावना के आधार पर न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता।

छ) परिभाषित लाभ दायित्वों की पहचान एवं मापन।

ज) लीज़ वर्गीकरण निश्चित करने के लिए अपेक्षित निर्णय।

झ) उचित मूल्यों तथा प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन।

ट) कराधान विवादों तथा कानूनी दावों के निपटान के लिए आर्थिक लाभों को समाहित करने वाले संसाधनों का आउटफलो अपेक्षित होगा, इसकी संभावना निश्चित करने के लिए निर्णय लेना अपेक्षित होता है।

ठ) वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य मापन।

3. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

नीचे दी गई लेखांकन नीतियां, इन वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई सभी अवधियों पर समान रूप से लागू की गई है।

I- प्रचालन चक्र तथा चालू व गैर चालू वर्गीकरण

चालू व गैर चालू वर्गीकरण

वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं का प्रस्तुतीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के तहत उपलब्ध चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर किया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों व देयताओं को गैर चालू परिसंपत्तियों व देयताओं में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन चक्र

कंपनी सेवा क्षेत्र में है, कंपनी का कोई विशेष प्रचालन चक्र नहीं है तथापि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के अनुसार 12 माह की अवधि को ''प्रचालन साइकल'' के रूप में अपनाया गया है।

II संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

क. प्रारंभिक पहचान व मापन

क) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की कीमत को परिसम्पत्ति के रुप में मान्य किया जाता है, यदि

(i) संभावना है कि, भविष्य में मद से संबंधित आर्थिक लागत ईकाई को प्राप्त हों, व

(ii) मद की लागत विश्वसनीय रुप से मापी जा सके।

ख) परिसम्पत्ति के रुप में मान्यता हेतु योग्य होने के लिए सम्पत्ति, संयत्र, संरचना व उपकरण की मद को लागत पर मापना होगा।

सम्पत्ति, संयत्र व उपकरण की मद की लागत में निम्न शामिल हैं:

(i) व्यापार छूट व रिबेट घटाने के बाद, आयात शुल्क व गैर–धन वापसी योग्य क्रय कर सहित, उसका क्रय मूल्य;

(ii) परिसम्पत्ति के अधिग्रहण व उसे लोकेशन तक लाने में लगी अनुषंगिक लागत व प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत प्रकार के प्रचालन करने में आवश्यक रुप से सक्षम होना और जहां लागू हो, लिए गए ऋण पर ब्याज, व इसके अभिप्रेत प्रयोग हेतु संबंधित परिसम्पत्ति को कार्य करने लायक स्थिति तक लाने की तिथि तक।

ग) यदि किसी सम्पत्ति, संयत्र व उपकरण की मदों के महत्वपूर्ण भागों का उपयोगी जीवन भिन्न–भिन्न है, तो उनकी गणना अलग सम्पत्ति, संयत्र व उपकरण के अलग घटक के रुप में की जाती है।

ख. आगामी मान्यता व मापन

आगामी लागत, परिसम्पत्ति की कैरिंग राशि में शामिल होती है या अलग परिसम्पत्ति के रुप में मान्य की जाती है, जैसा समुचित हो, जब इस बात की संभावना हो कि भविष्य में व्यय से संबंधित आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होंगे व मद की लागत का मापन विश्वसनीय रुप से किया जा सके। अन्य सभी मरम्मत व अनुरक्षण को खर्च किए जाने के समय लाभ व हानि विवरणियों में प्रकाशित किया जाता है।

कम्पनी द्वारा इंड एएस 16 ''सम्पत्ति, संयत्र व उपकरण'' के अनुसार कॉस्ट मॉडल अपनाया गया है व संपत्ति, संयत्र व उपकरण का मापन लागत आधार पर, संचित मूल्यह्रास व संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है।

ग. मूल्यह्रास/परिशोधन

क) मूल लागत के 5% मूल्य को शेष रखते हुए, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II (अन्यथा उल्लेख होने की स्थितियों को छोड़कर) में दिए गए प्रावधान के अनुसार परिसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के उपयोगी जीवन के आधार पर स्ट्रेट लाइन विधि से मूल्यह्रास निर्धारित किया जाता है। प्रबंध वर्ग द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन तथा शेष मूल्य की समीक्षा की जाती है।

ख) किसी संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण के जीवन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में प्रावधान नहीं किया गया है, तो मूल लागत के 5% मूल्य को शेष रखते हुए उनका निर्धारण तकनीकी रूप से क्वालीफाइड व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तथा उसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, उनका विवरण निम्नानुसार है:

1. **रोटेबल्स :**

विमानों के विमान रोटेबल्स को खरीद के संगत वर्ष से, संबंधित विमान बेड़े के, औसतन शेष उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

2. **स्थल सहायता उपस्कर (जीएसई)**

लीज़ पर लिए गए सीआरजे एवं एटीआर विमानों के स्थल सहायता उपकरणों (जीएसई) पर मूल्यह्रास, का प्रावधान, प्रयोग की तिथि से, कुल विमान लीज़ माह की तुलना में, विमान द्वारा पूर्ण किए गए लीज़ माह पर आधारित होती है।

ग) इंजन तथा एयरफ्रेम से संबंधित प्रमुख ओवरहॉल लागतों को अलग घटक के रूप में दर्शाया जाता है तथा प्रमुख ओवरहॉल के बीच प्रत्याशित जीवन पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

घ) आधुनिकीकरण/परिवर्तन पर प्रमुख संशोधनों/साज–सज्जा पर, लगाई गई लागत को उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

च) अवधि के दौरान खरीदी गई/बेची गई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना प्रोराटा आधार पर की जाती है।

मूल्यह्रास को निम्न उपयोगी जीवन आधार पर प्रभारित किया गया है।

परिसम्पत्तियों का विवरण	उपयोगी जीवन
संयत्र व उपकरण	5 वर्ष
फर्नीचर व फिक्चर	10 वर्ष
वाहन	8 वर्ष
डाटा प्रोसिंग उपकरण	3 वर्ष
स्थल सहायता उपकरण (एटीआर)	उपरोक्त पॉलिसी II ख (2) के अनुसार
चिकित्सा उपकरण	15 वर्ष
एयरफ्रेम रोटेबल	लीज़ अवधि पर आधारित
एयरो इंजन रोटेबल	लीज़ अवधि पर आधारित

घ. अमान्यकरण

संपति, संयत्र व उपकरण की कोई मद व प्रारंभ में मान्य किसी महत्वपूर्ण भाग को निपटान के समय या उसके उपयोग या निपटान से, भविष्य में कोई आर्थिक लाभ न होने की स्थिति में– अमान्य किया जाता है। संपत्ति, संयत्र या उपकरण के (संपत्ति, संयत्र व उपकरण के निवल निपटान प्राप्तियों/व फेयर वेल्यू व संपत्ति, संयत्र व उपकरण की कैंरिग राशि के अंतर पर गणना की जाती है) को अमान्य किए जाने से होने वाले लाभ या हानि को, संपत्ति व उपकरण के अमान्य किए जाने पर लाभ व हानि विवरणी में शामिल किया जाता है। भिन्न घटक के रूप में गणना किए गए घटक की कैरिंग राशि को बदलने या संपत्ति, संयत्र व उपकरण, जिससे घटक संबंधित है के अमान्य होने पर अमान्य किया जाता है।

ड. परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन क्रमिक आधार पर किया ताकि प्रत्येक परिसंपत्तियों का सत्यापन दो वर्ष में एक बार हो सके तथा सत्यापन के समय पाई गई विसंगति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने व उसे अंतिम रूप देने के वर्ष में समायोजित कर दिया जाता है।

III. विक्रय के लिए अभिनिर्धारित गैर–चालू परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों को विक्रय के लिए अभिनिर्धारित श्रेणी में तब रखा जाता है जब उनके निरंतर उपयोग के बजाय उनकी वर्तमान स्थिति में उनका विक्रय करने से प्रमुख रूप से उनका मूल्य बढ़ने की बहुत अधिक संभावना रहती है। ऐसी परिसंपत्तियों का निवल बही मूल्य, स्थिर परिसंपत्तियों से ''विक्रय के लिए अभिनिर्धारित'' परिसंपत्तियों में अंतरित कर दिया जाता है तथा इनका निवल मूल्य इनके स्वीकृत मूल्य या उचित मूल्य में से विक्रय की लागत घटाकर अंकित किया जाता है। परिसम्पतियों के विक्रय के लिए अभिनिर्धारण श्रेणी में स्थानांतरित किए जाने पर, मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता।

क्षति हानि को, परिसंपत्ति की किसी आरंभिक या तदनंतर विक्रय कीमत घटाकर उचित मूल्य पर, राइट–डाउन हेतु, मान्य किया जाता है। लाभ को उचित मूल्य में, परिसंपत्ति के विक्रय की कीमत घटाकर, परंतु पूर्व में मान्य किए गए किसी संचित क्षति हानि से अधिक नहीं, किसी पूर्ववर्ती वृद्धि हेतु मान्य किया जाता है।

IV. अमूर्त परिसंपत्तियां

क. आरंभिक मान्यता व मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण व उन्हें मान्य तभी किया जाता है जब इस बात की संभावना हो कि भविष्य में परिसंपत्ति से संबंधित अपेक्षित आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त हों और परिसम्पत्ति की कीमत विश्वसनीय रूप से मापी जा सके।

अमूर्त परिसंपत्तियां अर्जन लागत पर रिकार्ड की जाती हैं जिसमें अर्जन तथा स्थापना से संबंधित आनुषंगिक लागत सम्मिलित होती हैं।

अमूर्त परिसंपत्ति की कीमत में उसका क्रय मूल्य, आयात शुल्क व गैर धन वापसी क्रय कर सहित, व्यापार छूट व रिबेट घटाकर व परिसंपत्ति के अभिप्रेत प्रयोग हेतु उसे तैयार करने में हुए सीधे व्यय, शामिल है।

ख. आगामी लागत व मापन

आगामी लागत को पूंजीकृत किया जाता है जब वह भविष्य में विशिष्ट परिसंपत्ति जिससे वह संबंधित है, के आर्थिक लाभ में वृद्धि करें। अमूर्त परिसंपत्तियों पर अन्य सभी व्ययों को स्टैंडअलोन लाभ व हानि विवरणी में, व्यय करने के समय, मान्य किया जाता है।

ग. परिशोधन

जिन अमूर्त परिसंपत्तियों का निश्चित उपयोगी जीवन है, उन्हें स्ट्रैट लाइन विधि पर, अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधन किया जाता है व प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष इसकी समीक्षा की जाती है।

क) यात्री सेवा प्रणाली सॉफ्टवेयर, 10 वर्ष से अधिक, और

ख) अन्य सॉफ्टवेयर/वेबसाइट, 5 वर्ष से अधिक

निश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की रेजीडयूल वेल्यू को शून्य माना जाता है।

घ. अमान्यकरण

अमूर्त परिसंपत्तियों को अमान्य किया जाए :

क) निपटान पर, या

ख) जब उसके प्रयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हों।

अमूर्त परिसंपत्तियों को अमान्य करने से हुए लाभ या हानि को अमूर्त परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्ति व कैरिंग राशि के अन्तर के रूप में मापा जाता है व परिसंपत्ति के अमान्य होने पर लाभ व हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

V. लीज़

कंपनी द्वारा लीज़ देयताओं की गणना हेतु निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किए गए।

समान परिसंपत्तियों के समान आर्थिक वातावरण में, अंतिम तिथि को समान परिस्थितियों में, लीज़ के पोर्टफोलियो के लिए एकल औसत छूट दर का प्रयोग।

क. पट्टाकर्ता के रूप में:

कंपनी अनुबंध के प्रारंभ में ही निर्धारण करती है कि क्या अनुबंध में कोई लीज़ है। अनुबंध या अनुबंध में लीज़ सम्मिलित

होती है, यदि अनुबंध में प्रतिफल के बदले कुछ समय तक पहचानी गई परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रण का अधिकार सौंपा जाता है। अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति के प्रयोग पर नियंत्रण के अधिकार का पता लगाने के लिए, कंपनी निर्धारित करती है कि क्याः

अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल हो और

लीज़ अवधि के दौरान परिसंपति के प्रयोग से वस्तुतः सभी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, और;

कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग पर निर्देश देने का अधिकार है।

1) राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियां

क) प्रारंभिक मान्यता व मापनः

प्रारंभिक तिथि को, राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियों (आरओयू परिसंपत्ति) का मापन, लागत पर किया जाता है। लागत में निम्न शामिल हैं –

क) लीज़ देयता के बराबर राशि

ख) प्रारंभिक तिथि से पहले किया गया लीज़ भुगतान

ग) कोई सीधी लागत

घ) रि–डिलीवरी कर्तव्यों के संबंध में किए जाने वाले व्यय की लागत का अनुमान

ड.) घटाकर, लीज़ की शर्तों में उपकरण उत्पादक से प्राप्त कोई प्रोत्साहन

ख) आगामी मापन

प्रारंभिक तिथि के पश्चात आरओयू परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयत्र व उपकरण हेतु लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है यानि आरओयू को लागत, संचित मूल्यह्रास व संचित क्षति हानि घटाकर, लागत पर मापा जाता है।

लीज़ संशोधनों के कारण लीज़ देयताओं में किसी पुनः मापन प्रभाव को दर्शाने हेतु आरओयू परिसंपत्तियों को तद्नुसार समायोजित किया जाता है।

खंड सं. VII में उल्लेखित नीति के अनुसार आरओयू परिसंपत्तियों क्षति अधीन होगी।

2) लीज़ देयताएं :

क) प्रारंभिक मान्यता व मापन

आंरभिक तिथि को कंपनी लीज़ भुगतान, जो उस तिथि तक अदा नहीं किए गए को, वर्तमान मूल्य पर मापती है। लीज़ देयताओं में निम्न सम्मिलित हैं –

क) लीज़ किराए

ख) लीज़ समाप्ति हेतु पैनल्टी का भुगतान यदि लीज़ टर्म में, कंपनी द्वारा समाप्ति के विकल्प का प्रयोग प्रकट को।

ग) घटाकर, प्राप्त प्रोत्साहन

लीज़ भुगतान को लीज़ में शामिल ब्याज दर यदि तत्परता से प्रयोग कर निर्धारित किया जा सके का प्रयोग कर डिस्कांउट किया जाता है। यदि वह दर तत्परता से निर्धारित नहीं की जा सके तो कंपनी द्वारा इन्क्रीमेंटल उधार दर का प्रयोग किया जाता है।

इन्क्रीमेंटल उधार दर वह ब्याज दर है जो कंपनी द्वारा समान अवधि, समान सुरक्षा पर, समान आर्थिक

वातावरण में आरओयू परिसंपत्तियों को समान मूल्य की परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए निधि उधार लेने के लिए अदा की जाएगी।

ख) आगामी मापन

प्रारंभिक तिथि के पश्चात्, लीज़ देयता की राशि में ब्याज की संवृद्धि दर्शानें हेतु वृद्धि कर दी जाती है व भुगतान की गई लीज़ पर घटा दी जाती है। साथ ही, लीज़ में कोई संशोधन होने की स्थिति में, जिसमें लीज़ अवधि, लीज़ भुगतान शामिल हैं या आधार भूत परिसंपत्ति की खरीद के विकल्प का निर्धारण होने पर लीज़ देयताओं की कैरिंग राशि का पुनः मापन किया जाता है।

3. लीज़ अवधि

प्रारंभिक तिथि को कंपनी लीज़ अवधि का निर्धारण करती है जिसमें, आरंभिक लीज़ की गैर–रद्द किए जाने योग्य अवधि, जिनके लिए परिसंपत्ति का उपयोग किया जाना अपेक्षित है, लीज़ को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प सहित कवर की जाने वाली अवधि, यदि कंपनी यथोचित रूप से प्रारंभिक तिथि को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए आश्वस्त हो, शामिल हैं।

4. मूल्यह्रास

आरओयू के रूप में रखी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को स्ट्रेट लाइन आधार पर आरओयू परिसंपत्तियों की आरंभिक तिथि से लेकर उपयोगी जीवन के अंत में शीघ्रातिशीघ्र या लीज़ अवधि की समाप्ति पर, लाभ व हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है।

5. अन्य लीज़

इंड एएस 116 की परिधि से बाहर अन्य किसी लीज़ से संबंधित लीज़ भुगतान लघु अवधि लीज़ (12 माह या उससे कम अवधि की लीज़) या न्यून मूल्य लीज।़ इन लघु अवधि या न्यून मूल्य लीज़ हेतु कंपनी लीज़ की शर्तों पर, लीज़ भुगतान को स्ट्रेट लाइन आधार पर प्रचालन व्यय के रुप में मान्य करती है।

6. रि–डिलीवरी के लिए प्रावधान

कंपनी के बेड़े में विमान लीज़ पर हैं। लीज़ के अनुबंधों के तहत अनुबंधित रूप से सहमति के अनुसार, निर्धारित अनुबंध वापसी शर्तों के तहत, लीज़ की अवधि की समाप्ति पर विमानों को लीज़कर्ताओं को फिर से रि–डिलीवर किया जाना है। लीज़ के आरंभ के समय, रि–डिलीवरी दायित्वों को प्रबंधन द्वारा, ऐतिहासिक प्रवृत्तियों और डेटा के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और अपेक्षित आउटफ्लो के वर्तमान मूल्य पर उपयोग संपत्ति के अधिकार के लिए पूंजीकृत किया जाता है, जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक होता है और इसे देनदारियों के तहत रि–डिलीवरी के प्रावधान में क्रेडिट किया जाता है।

रि–डिलीवरी प्रभारों का तदन्तर मापन, प्रबंधन अनुमानों के आधार पर किया जा रहा है, जो मुख्य रूप से अपेक्षित लागत और छूट दरों से संबंधित अनुमानों के आधार पर अपेक्षित दायित्व परिपक्वता अनुसूची के अनुरूप है। इसलिए अनुमान सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि प्रावधान कंपनी द्वारा वहन की जाने वाली अपेक्षित लागतों के वर्तमान मूल्य के अनुरूप है। अनुमान के लिए बनाई गई धारणा का लगातार अनुपालन किया जा रहा है। रि–डिलीवरी शुल्कों के अनुमानों में कोई भी परिवर्तन, सीधे आरओयू परिसंपत्तियों में समायोजित किया जाता है और रि–डिलीवरी के प्रावधान के अनुरूप समायोजन किया जाता है।

7 निर्माता क्रेडिट (नकद एवं गैर नकद इंसैंटिव)

निर्माता क्रेडिट का अर्थ है किसी भी रिबेट, छूट, प्रोत्साहन भुगतान और अन्य क्रेडिट के रूप में नकद इंसैंटिव और गैर–नकद–आधारित इंसैंटिव जो ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) द्वारा प्रदान किए जाते हैं और बाद में लैसर द्वारा

लीज़ समझौते के समय ग्राहक को दिए जाते हैं।

नकद इंसैंटिव :

कंपनी लीज़ के तहत विमान के अधिग्रहण के संबंध में ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) या लीज़कर्ता से प्रोत्साहन प्राप्त करती है। इन इंसैंटिवों को संबंधित विमान या विमान घटकों के लीज़ के प्रारंभ में, उपयोग के अधिकार परिसंपत्ति की वहन राशि में कमी के रूप में दर्ज किया जाता है।

गैर–नकद इंसैंटिवः

गैर–नकद इंसैंटिवों को कंपनी को देय होने के समय, आस्थगित संपत्ति और संबंधित आस्थगित इंसैंटिव आरंभ कर दर्ज किया जाता है। इन इंसैंटिवों को स्वामित्व वाले विमानों के मामले में संबंधित विमान और विमान घटकों की लागत में कमी के रूप में दर्ज किया जाता है। लीज़ के तहत रखे गए विमानों के मामले में, प्रोत्साहन को संबंधित विमान या लीज़ पर लिए गए विमान घटकों के लीज़ के प्रारंभ में संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार की वहन राशि में कमी के रूप में दर्ज किया जाता है।

VI. इनवेंटरी :

क. इनवेंटरी

1) इनवेंटरी में मुख्य रूप से भंडार एवं पूर्जे तथा खुले उपकरण (संपत्ति, संपदा तथा उपकरण के मानदंडों को पूरा करने के अतिरिक्त) व एटीएफ आते हैं।

2) विस्तार योग्य/उपयोग योग्य कजपूर्जों को प्रारंभिक जारी करने के समय पर प्रभारित किया जाता है। इसमें वे कलपूर्जे सम्मिलित नहीं हैं जो मरम्मत योग्य कलपूर्जों की मरम्मत के लिए होते हैं और जिन्हें रिपेयर वर्क के पूरा हो जाने के बाद वर्क आर्डर समाप्त हो जाने पर प्रभारित किया जाता है।_

ख. इनवेंटरी का मूल्यांकन

1) इनवेंटरी को न्यूनतम लागत तथा नेट रीलाइजेबल वैल्यू (एनआरवी) पर दर्शाया जाता है। सेवाएं प्रदान करने में, उपयोग में लाए गए भंडार एवं पूर्जे, खुले उपकरणों तथा ईंधन के लिए एनआरवी को लागत से नीचे नहीं दिखाया जाता, केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जहां ऐसी मदों की कीमत में कमी आ जाती है तथा यह अनुमान लगाया जाता है कि सेवा प्रदान करने की लागत उसके विक्रय मूल्य से अधिक होगी।

2) इनवेंटरी की लागत में गैर वापसी रियायत तथा छूट को घटाकर आने वाली लागत तथा इनवेंटरी को वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लगने वाली सभी लागत सम्मिलित है तथा इसका निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है।

3) वर्ष के अंत में, फ्रेट ड्यूटी और बीमा को वर्ष के दौरान इनवेंटरी की खपत की तुलना में क्लोजिंग इनवेंटरी के अनुपात के आधार पर व्यय किया जाता है। विमान के पुर्जों पर भुगतान किए गए अनाबंटित कस्टम ड्यूटी को इनवेंटरी के तहत दिखाया गया है।

4) वर्ष के अंत में, फ्रेट ड्यूटी और बीमा का व्यय वर्ष के दौरान इनवेंटरी की खपत के लिए क्लोजिंग इनवेंटरी के अनुपात के आधार पर किया जाता है। विमान के पुर्जों पर भुगतान किए गए असंबद्ध कस्टम ड्यूटी को इनवेंटरी के तहत दिखाया गया है।

ग. इनवेंटरी के मूल्य में कमी

1) विमान भंडार और हिस्से–पूर्जों के लिए अप्रचलन की व्यवस्था निम्नानुसार हैः–

i. नीचे दिए गए (ii) ,वं (iii) को छोड़कर पांच वर्ष से अधिक समय के लिए (5 प्रतिशत की वसूली योग्य की राशि

के बराबर) अचल रहने वाली इनवेंटरी हेतु प्रावधान किया जाता है तथा इसको इनवेंटरी के मूल्य से हटा दिया जाता है।

ii. फेज़ आउट किए गए विमान बेड़े की इनवेंटरी को अनुमानित विक्रय मूल्य पर दर्शाया जाता है जब तक कि उसका उपयोग किसी अन्य विमान में न किया जा सके।

iii. विशेष रूप से ड्राई/वेट लीज़ पर लिए गए विमानों से संबंधित इनवेंटरीज का प्रावधान, वर्ष के अंत में कुल लीज़ अवधि की तुलना में पूरी की गई लीज़ अवधि के आधार पर किया जाता है।

2) गैर–वैमानिकी भंडार और हिस्से–पूर्जों की पांच वर्षों से अधिक समय तक अचल रहने वाली इनवेंटरी के लिए पूर्ण अप्रचलन प्रावधान किए जाते हैं।

3) स्क्रैप किए गए विमानों के कैनिब्लाइजेशन से प्राप्त पूर्जों को एक रूपए मूल्य पर लेखांकित किया जाता है।

VII. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर कंपनी द्वारा गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की क्षति के कोई संकेत होने का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार का कोई संकेत होने की स्थिति में परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाकर इंड एएस–36 के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

क्षति परीक्षण

क्षति परीक्षण हेतु, परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्तियों के सबसे छोटे समूह में रखा जाता है जो निरन्तर प्रयोग से नकद इनफ्लो उत्पन्न करते हैं, जो अन्य परिसम्पत्तियों के नकद इनफ्लो से या नकद उत्पन्न करने वाले यूनिट (सीजीयू) से व्यापक रुप से स्वतंत्र हैं।

किसी परिसम्पत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि, उसके प्रयोग मूल्य से अधिक व उसके उचित मूल्य से विक्रय कीमत घटाकर प्रयोग मूल्य भविष्य के अनुमानित नकद इनफ्लो, छूट, दर का प्रयोग कर वर्तमान मूल्य पर डिस्काउंटिड, जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आंकलन और परिसम्पत्ति या सीजीयू से संबंधित विशेष जोखिम को दर्शाता है, पर आधारित है।

क्षति हानि की पहचान

क्षति हानि को इस स्थिति में मान्य किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की कैरिंग राशि उसके अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो। क्षति हानि का लाभ व हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

क्षति हानि का निरसन

अनुमानित प्रयोग में परिवर्तन होने पर वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने हेतु क्षति हानि का निरसन होता है। इस प्रकार के निरसन उसी सीमा तक किए जाते हैं जिस सीमा तक परिसंपत्ति की कैरिंग राशि निर्धारित कैरिंग राशि से मूल्यह्रास या परिशोधन का निवल से अधिक न हो यदि कोई क्षति हानि मान्य नहीं की गई है।

किसी परिसंपत्ति हेतु किसी क्षति हानि के निरसन को तुंरत लाभ व हानि विवरणी में मान्य किया जाए।

VIII. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को अनुदान प्राप्त होने के तथा सभी संलग्न शर्तों के अनुपालन के युक्तिसंगत आश्वासन के पश्चात मान्य किया जाता है।

सरकारी अनुदान को लाभ एवं हानि के रूप में उस अवधि में जिसमें कंपनी द्वारा संगत लागतों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है व जिसकी क्षतिपूर्ति अनुदान द्वारा की जाती है व व्यवस्थित आधार पर मान्य किया जाना चाहिए।

सरकारी अनुदान, जो व्यय या पिछली अवधि में हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्य होता है उसकी उस अवधि को लाभ व हानि में मान्य किया जाता है जिसमें वह प्राप्य होता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को तुलन पत्र में आस्थगित आय के रूप में दर्शाया जाता है तथा उसकी पहचान संबंधित परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगी आयु में व्यवस्थित आधार पर लाभ व हानि में की जाती है।

IX. राजस्व निर्धारण

क. प्रचालन से राजस्व

राजस्व को उस सीमा तक मान्य किया जाता है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त हो और राजस्व का मापन विश्वसनीय रूप से हो सके।

इंड एएस 115 के तहत स्वीकृत वस्तुओं या सेवाओं के अधिकार को ग्राहक को सौंपे जाने पर, राजस्व के रूप में मान्य किया जाता है। राजस्व का मापन छूट को छोड़कर इन्सेन्टिव, थर्ड पार्टी की ओर से एकत्रित राशि या अन्य समान मदों, जो ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध में निर्दिष्ट की गई हैं प्राप्त या प्राप्ति योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर किया जाता है।

ख. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राजस्व को निम्नानुसार मान्य किया जाता है।

क) यात्री, कार्गो तथा डाक राजस्व

यात्री, कार्गो व डाक राजस्व को प्रारंभिक चरण में जब यातायात सेवा, यात्रा किए जाने के आधार पर उपलब्ध करवाई जाती है, यात्री को दी गई छूट, थर्ड पार्टी की और से एकत्रित राशि, लागू कर व एयरपोर्ट कर जैसे यात्री सेवा शुल्क, प्रयोक्ता विकास शुल्क इत्यादि यदि कोई हो, मान्य किया जाता है।

ख) ब्लॉकड स्पेस व्यवस्था/कोड शेयर

ब्लॉकड स्पेस व्यवस्था/कोड शेयर राजस्व/व्यय को वास्तविक आधार पर कोड शेयर भागीदारों से प्राप्त अपलिफ्ट डेटा के आधार पर मान्य किया जाता है। जहाँ भी कोड शेयर भागीदारों से विवरण उपलब्ध नहीं हैं, राजस्व/व्यय को दस्तावेजों/प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बुक किया जाता है तथा समायोजनों को, यदि कोई हो, इस प्रकार की सूचना की उपलब्धता के समय किया जाता है।

ग) वाइबिलिटी गेप फंडिंग (VGF) व क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)

वाइबिलिटी गेप फंडिंग (VGF) व क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) की गणना प्रोद्भूत आधार पर राजस्व व प्रचालन लागत के अंतर के आधार पर की जाती है व इसे प्रचालन आय माना जाता है।

घ) अन्य प्रचालन राजस्व

वस्तुएं डिलीवर करने या सेवाएं प्रदान करने पर ही अन्य प्रचालन राजस्व को मान्य किया जाता है।

ड.) अन्य राजस्वः

i) ब्याज से होने वाली आय को समय अनुपात आधार पर प्रभावी ब्याज प्रणाली का उपयोग करते हुए मान्य किया जाता है। किराए से होने वाली आय को समय अनुपात आधार पर मान्य किया जाता है।

ii) बीमा कंपनियों से प्राप्य दावों को बीमा कंपनियों द्वारा उनकी स्वीकृति पर ही लेखों में दर्ज किया जाता है।

iii) वैंडरों से प्राप्त वारंटी दावे/क्रेडिट नोट को क्रेडिट नोट के दावों/प्राप्ति की स्वीकृति पर मान्य किया जाता है।

iv) अन्य मदें:

स्क्रैप विक्रय, चिकित्सा, शैक्षिक तथा अन्य बिना वेतन अवकाश का उपयोग करने हेतु कर्मचारी से प्रतिपूर्ति, आपूर्तिकर्ताओं से ब्याज के दावों, अन्य स्टाफ दावों तथा लॉस्ट बैगेज दावों की गणना नकद आधार पर की जाती है।

X. ऋण लागत

– परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में चालू पूंजीगत कार्य सहित, अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से लगाई गई ऋण लागत को परिसंपत्तियों के व्यावसायिक प्रयोग के आरंभ होने की तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है।

– क्वालिंगफाइंग परिसंपत्ति वह है जो अपेक्षित प्रयोग हेतु तैयार होने में पर्याप्त समय आवश्यक रूप से लेती है।

– 10.00 मिलियन रुपए से अधिक मूल्य की अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए उपयोग की गई ऋण की निधियों अथवा दीर्घकालिक ऋणों की प्राप्ति के पूर्वानुमान में अन्य अस्थायी ऋणों पर लगाया गया ब्याज, उस अर्जन के समय के बकाया ऋणों पर भारित औसत ऋण दर पर पूंजीकृत किया जाता है।

– अन्य उधार लागत को उस विधि में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है, जिस अवधि में वे खर्च किए गए। उधार लागत में उस सीमा तक विनिमय अंतर शामिल है, जिस सीमा तक वे उधार लागत में समायोजित माने जाते हैं।

XI. फंक्शनल मुद्रा और प्रीजेन्टेशन मुद्रा

कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन ईकाई के कार्य मुख्य अर्थिक वातावरण की मुद्रा (फंक्शनल करेंसी) में किया जाता है। वित्तीय विवरणियां भारतीय रू. मुद्रा (आईएनआर) में जो कंपनी की फंक्शनल व प्रीजेन्टेशन मुद्रा है में प्रस्तुत की जाती है।

XII. विदेशी मुद्रा लेन–देन

क) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें

i) विदेशी स्टेशनों से संबंधित विदेशी मुद्रा राजस्व तथा व्यय लेन–देनों को निर्धारित मासिक दरों (प्रकाशित आयटा दरों पर आधारित) पर रिकार्ड किया जाता है। परिवहन के लिए एयरलाइनों के साथ इंटरलाइन समझौता, संबंधित माह के लिए आयटा द्वारा प्रकाशित विनिमय दर पर किया जाता है।

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा परिचालित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेन–देनों की प्राप्ति/निपटारे के कारण होने वाले लाभ/(हानि) और मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं के परिवर्तन को लाभ–हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

ख) देयता तथा ऋणों व अग्रिमों जिनके लिए संदेहास्पद प्रावधान किए जाते हैं, वर्ष के अंत में उनके संबंध में किसी भी विनिमय परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि उनके प्राप्त होने की संभावना नहीं होती।

XIII. कर्मचारी लाभः

क) लधु अवधि कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ देयतायें जैसे वेतन व बोनस इत्यादि जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर, जिसके भीतर कर्मचारी ने अपनी संबोधित सेवाएं दी, 12 माह के भीतर पूर्णतः निपटाए जाने अपेक्षित है, को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर कर्मचारी सेवाओं में मान्य किया जाता है और देयताओं के भुगतान पर अदा की जाने वाली अपेक्षित गैर छूट प्राप्त राशि पर मापा जाता है।

ख) रोजगार समाप्ति के पश्चात लाभ योजना

कर्मचारियों को दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभ में निश्चित अंशदान योजना व निश्चित लाभ योजना शामिल हैं।

क) निश्चित लाभ योजना– पोस्ट इम्प्लाई कम्पनी लाभ योजना है जिसके तहत एक ईकाई दूसरी ईकाई (फंड) में नियत अंशदान करती है और चालू और पूर्वावधि में कर्मचारी सेवाओं से संबंधित लाभ हेतु सभी कर्मचारियों को अदा करने हेतु निधि के पास पर्याप्त परिसम्पत्ति न होने पर आगे अंशदान हेतु विधिक या रचनात्मक से उत्तरदायी नहीं है। परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान के दायित्व को कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के वर्ष में लाभ व हानि विवरणी भी कर्मचारी लाभ व्यय के तहत मान्य किया जाता है। पूर्वप्रदत्त अंशदान को परिसम्पत्ति के रुप में नकद रीफंड या भविष्य में होने वाले भुगतान में कमी होने पर मान्य किया जाता है।

ख) परिभाषित लाभ योजना, परिभाषित अंशदान योजना से अलग एक पोस्ट कर्मचारी लाभ योजना है।

ग्रेच्यूटी व भविष्य निधि योजना के लिए भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज देयता तक कंपनी की देयता है और परिभाषित लाभ योजना के श्रेणी में आते हैं।

कंपनी भविष्य निधि में, पूर्व निर्धारण दर पर, नियत अंशदान एक भिन्न ट्रस्ट को अदा करती है जो निधि को अनुमत सिक्यूरिटीज़ में निवेश करती है। वर्ष के लिए अंशदान को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का दायित्व है कि वह नियत अंशदान करें व सदस्य हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम रिटर्न दर सुनिश्चित करें।

कंपनी ग्रेच्यूटी के लिए उत्तरदायी है। योजना के तहत सेवा निवृत्त, रोजगार पर रहते हुए मृत्यु होने या रोजगार की टर्मिनेशन, कर्मचारी के संबंधित वेतन व सेवा कार्यकाल के आधार पर एक मुश्त राशि का भुगतान निहित कर्मचारी को किया जाता है। कंपनी की ग्रेच्यूटी योजना अनफंडिड है।

(ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

छुट्टी नकदीकरण के रूप में होने वाले लाभ को अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में दिखाया जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कंपनी का कुल दायित्व भविष्य में उस लाभ राशि की व्यवस्था करना है जिसे कर्मचारी ने वर्तमान तथा पूर्व के वर्षों में अपनी सेवा के बदले अर्जित किया है। इस लाभ को वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दायित्व को अनुमानित यूनिट क्रेडिट प्रणाली का उपयोग करके एक वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मापा जाता है। पुनर्मूल्यांकन को लाभ प्राप्त होने के वर्ष में लाभ–हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

XIV. आयकर

आयकर व्यय में आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर व्यय को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में सीधे मान्य मदों को छोड़कर, लाभ या हानि खाते में मान्य किया जाता है। उस स्थिति में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

चालू कर वर्ष के दौरान कर योग्य आय, अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग कर व पिछले वर्ष के संबंध में देय कर में किसी समायोजन पर देय, अपेक्षित कर है।

आस्थगित कर को तुलन पत्र विधि का प्रयोग कर, वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु व कराधान उद्देश्य हेतु प्रयुक्त राशि, परिसंपत्तियों व देयताओं की कैरिंग राशि के अस्थायी अंतर हेतु प्रावधान करते हुए मान्य किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि को अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कानूनों पर आधारित रिवर्स होने पर अस्थायी अंतर पर लागू होना अपेक्षित है। यदि वर्तमान कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो तो, आस्थगित कर संपत्तियां तथा देयताएं ऑफसेट होगी तथा यह उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आय करों से संबंधित है। परंतु वे मौजूदा कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का निवल आधार पर निपटान करना चाहते हैं अन्यथा कर परिसंपत्तियां तथा देयताएं एक साथ वसूली जाएंगी।

आस्थगित कर को लाभ या हानि के रूप में मान्य किया जाता है, उस सीमा तक के अलावा जब वह ओसीआई या इक्विटी में सीधे मान्य की गई मदों से संबंधित हो, इस मामले में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्य किया जाता है, कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके एवज में अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और इस सीमा तक कम की जाती है कि इस बात की संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होगा।

XV. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) गणना में बहुत अधिक मात्रा में अनुमान वाले प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) होता है तथा यह संभावना होती है कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देते हुए संसाधनों का आउटफ्लो आवश्यक होगा। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है, तो प्रावधानों को वर्तमान पूर्व कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता के विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन अनुमानों की समीक्षा की जाती है तथा उन्हें वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने हेतु समायोजित किया जाता है। प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ तथा हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

ख) पूर्व घटनाओं से उद्भूत होने वाली संभावित देयताओं के संबंध में प्रत्येक नोट के माध्यम से प्रासंगिक देयताओं को दर्शाया जाता है किंतु उनकी उपस्थिति की पुष्टि, भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं (जो कंपनी के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं होती) के होने या न होने से होती है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटने या न घटने से होगी जो कंपनी के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को उद्घाटित किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का प्राप्त होना संभावित है।

प्रावधान में परिवर्तन

प्रत्येक समीक्षाधीन अवधि के अंत में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। यदि इस बात की संभावना न हो कि दायित्व का निपटान करने के लिए, आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देते हुए संसाधनों का आउटफ्लों आवश्यक होगा तो प्रावधान को उलट दिया जाता है।

जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय की अवधि को दर्शाने के लिए प्रत्येक अवधि में प्रावधान की कैरिंग राशि बढ़ जाती है। इस वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्राप्त है।

XVI. नकद एवं नकद समकक्ष

नकद एवं नकद समकक्ष में, बैंक और हाथ में नकद राशि तथा तीन माह या इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा सम्मलित हैं जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम़ की शर्त के अधीन हैं।

XVII. प्रति शेयर आय

कंपनी अपने इक्विटी शेयरों के लिए मूल एवं डायल्यूटेड आय/(हानि) प्रति शेयर (ईपीएस) का डाटा प्रस्तुत करती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयर धारकों को देय कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित शेयर संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटिड आय की गणना वर्ष के दौरान कर पश्चात् समायोजित निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं डायल्यूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों के कुल योग से भाग देकर की जाती है।

XVIII. उचित मूल्य मापन

कंपनी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स को प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को उचित मूल्य पर मापती है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त होगा या खरीद की तारीख पर बाजार सहभागियों के बीच एक

व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है। भले ही वह मूल्य प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित किया गया हो।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए, उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 में, उस डिग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिस पर उचित मूल्य मापदण्ड के लिए इनपुट अवलोकनीय हैं और इसकी संपूर्णता में उचित मूल्य माप के लिए इनपुट महत्वपूर्ण हैं, जो इस प्रकार वर्णित हैं:

स्तर 1: इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु उद्धत कीमतें (असमायोजित) निष्क्रिय बाजार हैं, जिन्हें इकाई माप तिथि पर एक्सेस कर सकती है।

स्तर 2: इनपुट्स लेवल 1 में शामिल अन्य उद्धृत मूल्य इनपुट हैं, से इतर, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति के लिए पालनीय हैं, और

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट अपालनीय इनपुट हैं

वे परिसंपत्तियां और देयताएं जिनकी पहचान तुलन पत्र में आवर्ती आधार पर की जाती है, उनके लिए कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनः आकलन (न्यूनतम स्तर इनपुट, जोकि समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्त्वपूर्ण होती है, के आधार पर) करके निर्धारित करती है कि उनका स्थानांतरण पदानुक्रम में दिए गए स्तरों के बीच हुआ हैं अथवा नहीं।

उचित मूल्य प्रकटनों के उद्देश्य के लिए कंपनी ने परिसम्पत्ति और देयता की प्रकृति, विशेषता व जोखिमों तथा उपरोक्त वर्णन के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर के आधार पर परिसम्पत्तियों और देयताओं की श्रेणियां निर्धारित की हैं।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त होगा या खरीद की तारीख पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है।

उचित मूल्य माप इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए लेनदेन होता है या:

– संपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में या

– एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में ।

प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार कंपनी को/द्वारा सुलभ होना चाहिए।

XIX. वित्तीय उपकरण

कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिससे एक एन्टिटी की वित्तीय परिसम्पत्ति तथा दूसरी एन्टिटी की वित्तीय देयता अथवा एक्विटी इन्स्ट्रूमेंट की उत्पत्ति होती है, वित्तीय उपकरण होता है।

क. वित्तीय परिसम्पत्तियां

(i) वर्गीकरण

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को, परवर्ती रूप से परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से, उचित मूल्य या लाभ–हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह की विशेषताओं के संचालन हेतु इसके बिज़नेस मॉडल के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है।

(ii) आरंभिक पहचान एवं मापन

समस्त वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान आरंभ में उचित मूल्य प्लस, जहां वित्तीय परिसंपत्तियां यदि लाभ एवं हानि

विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न की गई हों तो, ट्रांज़ैक्शन लागतें जो वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन में देय हैं, पर की जाती है।

(iii) परवर्ती मापन

परवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए वित्तीय परिसंपत्तियां निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं:

क. परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियां :

डेरिवेटिव और विशेष निवेशों को छोड़कर कोई वित्तीय परिसंपत्ति, यदि वह एक ऐसे बिज़नेस मॉडल में रखी गई हो, जिसका उद्देश्य, किसी परिसंपत्ति को संविदात्मक नकदी प्रवाह को वसूल करने के लिए, उस परिसंपत्ति को धारण (होल्ड) करना हो और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा शर्त में एकमात्र रूप से, मूल राशि और बकाया मूल राशि पर ब्याज के भुगतान के नकदी प्रवाह की विशेष तिथियों का वर्णन हो, बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाती है।

ख. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

विशेष निवेश वाली कोई वित्तीय परिसंपत्ति, यदि वह एक ऐसे बिज़नेस मॉडल में रखी गई हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को वसूलने एवं वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने जैसे दोनों कार्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा शर्त में एक मात्र रूप से मूल राशि और बकाया मूल राशि पर ब्याज के भुगतान के नकदी प्रवाह की विशेष तिथियों का वर्णन हो, बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से बाद में उचित मूल्य पर मापी जाती है। कंपनी ने अपने निवेशों के लिए अप्रतिसंहरणीय चुनाव किया है जिन्हें इसके बिज़नेस मॉडल के आधार पर अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में परवर्ती बदलाव प्रस्तुत करने के लिए इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग. लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

डेरिवेटिव्स वाली कोई वित्तीय परिसंपत्ति जो उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं की गई है वह बाद में लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाती है।

(iv) मान्यता समापन

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता मुख्यतः तब समाप्त की जाती है जब इस परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हों। जिसमें कंपनी न तो स्वामित्व के सभी जोखिमों और रिवार्ड को न तो हस्तांतरित करती है और न ही उसे बनाए रखती है। यह वित्तीय परिसंपत्ति के नियंत्रण को बनाए नहीं रखती है।

कोई लाभ या हानि, लाभ और हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त है।

(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों, जिसमें व्यापार प्राप्य अथवा कॉन्ट्रैक्ट राजस्व और समस्त लीज़ प्राप्य इत्यादि सम्मिलित हैं, पर क्षति हानि के मापन एवं पहचान हेतु प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल के आधार पर क्षति का निर्धारण करती है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट हानि को 12 महीने की ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाता है, जब तक कि प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, उस स्थिति में उन वित्तीय परिसंपत्तियों को जीवनकाल ईसीएल में मापा जाता है। ईसीएल मॉडल का उपयोग करके नुकसान भत्ते में परिवर्तन (वृद्धिशील या उलट), लाभ और हानि में, क्षति लाभ या हानि के रूप में पहचाने जाते हैं।

(vi) बट्टे खाते में डालना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि तब बट्टे खाते में (आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः) उस मात्रा में डाल

दी जाती है जब उसकी वसूली की वास्तविक संभावना न हो। सामान्यत यह ऐसा मामला होता है जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रतिपक्ष के पास ऐसी परिसंपत्तियां अथवा आय के साधन नहीं हैं जो बट्टे खाते में डाले जाने के अधीन राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह सृजित कर सकें। तथापि, जो वित्तीय परिसंपत्तियां बट्टे खाते में डाल दी गई हैं वे अब भी देय राशि की वसूली के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं के अनुपालन हेतु बाध्यकरण गतिविधियों के अधीन हैं।

ग. वित्तीय देयताएं

(i) आरंभिक मान्यता एवं मापन

समस्त वित्तीय देयताओं की मान्यता आरंभ में, ऋणों, उधारियों और देयों के संबंध में, उचित मूल्य पर और प्रत्यक्ष रूप से देय निवल ट्रांजैक्शन लागतों पर की जाती है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में ट्रेड और अन्य देय तथा बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधारियों और डेरिवेटिव वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स सम्मिलित हैं।

(ii) वर्गीकरण

कंपनी, समस्त वित्तीय देयताओं को, लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं को छोड़कर, परवर्ती रूप से परिशोधित लागत पर किए गए मापन के अनुसार वर्गीकृत करती है। डेरिवेटिव्स सहित ऐसी देयताएं, परवर्ती रूप से उचित मूल्य पर मापी जाएंगी और किसी भी ब्याज व्यय सहित शुद्ध लाभ और हानि, लाभ और हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त हैं।

वित्तीय देयता को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे ट्रेडिंग हेतु रोकी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, या यह एक डेरीवेटिव है या इसे प्रारंभिक मान्यता पर इस तरह नामित किया गया है।

(iii) परवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन, नीचे किए गए वर्णन के अनुसार, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

आरंभिक मान्यता के पश्चात, ब्याज वाले ऋण एवं उधारियां, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करते हुए, परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य किया जाता है जब देयताओं को ईआईआर परिशोधित प्रक्रिया के माध्यम से डि–रिकोनाइज्ड किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना, अर्जन पर किसी छूट या प्रीमियम और फीस अथवा लागत जो कि ईआईआर का अभिन्न भाग होते हैं, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन को, लाभ एवं हानि विवरणी में, वित्तीय लागतों के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

ख) लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से, उचित मूल्य पर, वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग संबंधी व वित्तीय देयताएं और लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य के अनुसार आरंभिक पहचान पर विनिर्दिष्ट वित्तीय देयताएं सम्मिलित हैं। वित्तीय देयताओं को तब ''ट्रेडिंग हेतु'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब यदि उनका नजदीकी कालावधि में पुनः क्रय करने के उद्देश्य के लिए वहन किया गया हो। इस श्रेणी में, कंपनी द्वारा अपनाए गए डेरिवेटिव फाइनेंशियल इन्स्ट्रूमेंट सम्मिलित हैं, जो इंड एएस 109 द्वारा परिभाषित हेज़ रिलेशनशिप्स में हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट्स के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं हैं। अलग किए गए एम्बेडेड डेरिवेटिव्स भी तब तक ''ट्रेडिंग हेतु'' के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं जब तक कि उन्हें प्रभावी हेज़िग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता।

हेल्ड फॉर ट्रेडिंग संबंधी देयताओं पर लाभ एवं हानियों की पहचान लाभ एवं हानि विवरणी में की जाती है।

(iv) मान्यता समापन

कोई भी वित्तीय देयताएं तब डी–रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है, जब उस देयता के तहत बाध्यता का निर्वहन कर दिया गया हो अथवा उसे रद्द कर दिया गया हो अथवा उसकी अवधि समाप्त हो गई हो। कंपनी शर्तों को संशोधित करने पर और संशोधित शर्तों के तहत नकदी प्रवाह काफी हद तक अलग होने पर वित्तीय देयता को डी रिकोगनाइज़ कर देती है। इस मामले में, संशोधित मूल्य के आधार पर एक नया वित्तीय दायित्व उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है। समाप्त हुई वित्तीय देयताएं की कैरिंग राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता के बीच का अंतर लाभ और हानि के विवरणी में मान्यता प्राप्त है।

(v) वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स की ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट की जाती हैं और यदि पहचान की गई राशि को ऑफसेट करने का कोई चालू प्रवर्तनीय कानून अधिकार है, तो परिसंपत्ति के नकदीकरण और देयताओं को साथ–साथ बेचने की निवल आधार पर की गई मंशा हो तो, निवल राशि का उल्लेख तुलन पत्र में किया जाता है।

XX. मैटीरियलिटी थ्रेश होल्ड सीमाएं:

कंपनी ने व्ययों/आयों के वर्गीकरण और प्रकटन में निम्नानुसार मैटीरियलिटी थ्रेश होल्ड सीमाओं को अपनाया है:

थ्रेश होल्ड मदें	यूनिट	थ्रेश होल्ड मूल्य
पूर्वावधि व्यय/राजस्व – व्यक्तिगत सीमाओं के आधार पर पहचान – समग्र सीमा के आधार पर रिस्टेटमेंट	 मिलियन मिलियन	 15 पिछले वर्ष का टर्नओवर 1%
पूर्वप्रदत्त व्यय	मिलियन	0.010
विदेशी स्टेशन	मिलियन	0.050
घरेलू स्टेशन	मिलियन	0.010
आकस्मिक देयता एवं पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	मिलियन	0.10
वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स का उचित मूल्यांकन	मिलियन	5.0

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745सी

हस्ता/–
(राजीव बंसल)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 00245460

हस्ता/–
(विनोद हेजमाड़ी)
निदेशक
डीआईएन सं. 07346490

हस्ता/–
(हरप्रीत ए.डी. सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
(वी.बी. सिंह)
आईसीएआई पार्टनर
सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएन: 21073124एएएएडीपी9102

हस्ता/–
(मंजिरी एम. वझे)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस16028

हस्ता/–
(अम्बर कुमार मंडल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली,
दिनांक: 14 जुलाई, 2021

नोट–2 (क) संयत्र, परिसम्पत्ति व उपस्कर

(राशि मिलियन रु. में)

परिसम्पत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी जीवन	01.04.2020 को सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान जोड़े गए	वर्ष के दौरान बेचे/ डिस्कार्ड किए गए	31.3.2021 को सकल ब्लॉक	01.04.2020 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	31.3.2021 को संचित मूल्यह्रास	31.3.2021 को निवल ब्लॉक	31.3.2020 को निवल ब्लॉक
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ट
संयत्र और उपस्कर	5 वर्ष	10.30	0.24	-	10.54	4.24	1.81	-	6.05	4.49	6.06
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10 वर्ष	7.67	0.31	-	7.98	2.77	0.58	-	3.35	4.63	4.90
वाहन	8 वर्ष	2.81	-	-	2.81	1.68	0.06	-	1.74	1.06	1.13
डाटा प्रौसेसिंग उपस्कर	3 वर्ष	20.92	0.39	-	21.31	11.95	4.46	-	16.42	4.89	8.96
स्थल सहायता उपस्कर (एटीआर)	(पॉलिसी के अनुसार)	8.17	-	-	8.17	8.17	-	-	8.17	-	-
एयरफ्रेम रोटेबल	लीज अवधि पर आधारित	165.26	12.92	-	178.18	96.11	13.62	-	109.73	68.45	69.15
एयरो इंजन रोटेबल	लीज अवधि पर आधारित	1.46	146.79	-	148.25	0.43	5.40	-	5.83	142.42	1.03
कुल		**216.59**	**160.65**	**-**	**377.24**	**125.35**	**25.93**	**-**	**151.29**	**225.94**	**91.23**
पिछले वर्ष		**202.39**	**15.04**	**0.86**	**216.57**	**104.97**	**21.24**	**(0.02)**	**125.36**	**91.23**	**97.44**

नोट–2 (ख) परिसम्पत्ति के उपयोग का अधिकार

(राशि मिलियन रु. में)

परिसम्पत्तियों का विवरण	उपयोगी जीवन	01.04.2020 को सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान जोड़े गए	वर्ष के दौरान बेचे/डिस्कार्ड किए गए	वर्ष के दौरान समायोजन	31.3.2021 को सकल ब्लॉक	01.04.2020 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	31.3.2021 को संचित मूल्यह्रास	31.3.2021 को निवल ब्लॉक	31.3.2020 को निवल ब्लॉक
आरओयू एसेट	लीज़ अवधि पर आधारित	**21,319.98**	5,384.22	-	-	26,704.20	2,266.65	2,381.85	4,648.50	22,055.70	19,053.33
कुल		**21,319.98**	**5,384.22**	**-**	**-**	**26,704.20**	**2,266.65**	**2,381.85**	**4,648.50**	**22,055.70**	**19,053.33**
पिछले वर्ष		**21,319.98**	**-**	**-**	**-**	**21,319.98**	**-**	**2,266.65**	**2,266.65**	**19,053.33**	**-**

नोट सं. 03

(मिलियन रु. में)

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अरक्षित खरे माने गए		
जमा (12 महीने से अधिक परिपक्वता)	**714.03**	815.32
(लीन के तहत एफडीआर सहित)		
अरक्षित संदेहास्पद		
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	**29.46**	30.62
घटाकरः संदेहास्पद ऋण को क्षति भत्ता	**(29.46)**	(30.62)
कुल	**714.03**	**815.32**

नोट सं. 04

(मिलियन रु. में)

आयकर परिसम्पत्तियां (निवल)	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
टीडीएस सहित आयकर का अग्रिम भुगतान	**514.47**	413.72
घटाः कराधान हेतु प्रावधान	**(16.44)**	(16.44)
कुल	**498.03**	**397.28**

नोट सं. 05

(मिलियन रु. में)

अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अरक्षित व खरे माने गए		
पूंजी अग्रिम से इतर अग्रिम		
सुरक्षा जमा (अनुरक्षण आरक्षित)	**2,760.56**	2,470.60
कुल	**2,760.56**	**2,470.60**

नोट सं. 06

(मिलियन रु. में)

इनवेंटरी	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
भंडार एवं हिस्से पूर्जे *	**424.31**	463.23
खुले औजार *	**3.81**	2.29
मार्गस्थ माल	**12.15**	-
घटाकरः अप्रचलन व कमी के लिए प्रावधान	**(148.73)**	(168.56)
कुल	**291.54**	**296.97**

* मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण लेखा नीतियों खंड 3 (VI) (ख) का संदर्भ लें

नोट सं. 07

(मिलियन रु. में)

व्यापार प्राप्य	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
रक्षित, खरे माने गए	-	-
अरक्षित व खरे माने गए	**636.60**	787.55
व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
व्यापार प्राप्य– क्रेडिट क्षति	**26.46**	26.46
घटाकरः संदेहास्पद प्राप्य के लिए क्षति भत्ता	**(26.46)**	(26.46)
कुल	**636.60**	**787.55**

नोटः सं.8

(मिलियन रु. में)

नकद और नकद समतुल्य	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
बैंकों में शेष		
चालू खातों में	**48.86**	307.47
हाथ में रोकड़	**0.01**	0.28
कुल	**48.87**	**307.75**

नोट सं. 09

(मिलियन रु. में)

नकद समतुल्य के अलावा बैंकों में शेष	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
बैंकों में शेष		
मार्जिन मनी डिपॉज़िट में (3<मैचयोरिटी<12)	**22.72**	14.36
कुल	**22.72**	**14.36**

नोट सं. 10

(मिलियन रु. में)

ऋण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अरक्षित व खरे माने गए		
सुरक्षा जमा	**324.84**	443.96
कुल	**324.84**	**443.96**

नोट सं. 11

(मिलियन रु. में)

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अरक्षित व खरे माने गए		

आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	**116.61**	188.88
कर्मचारियों को अग्रिम	**0.16**	0.34
अरक्षित व संदेहास्पद माने गए		
कर्मचारियों को अग्रिम	**5.45**	5.45
घटाकरः संदेहास्पद स्टॉफ अग्रिम हेतु भत्ता	**(5.45)**	(5.45)
कुल	**116.77**	**189.21**

नोट सं. 12

(मिलियन रु. में)

अन्य चालू परिसम्पत्तियां	**31 मार्च, 2021 को**	**31 मार्च, 2020 को**
अरक्षित व खरे माने गए		
पूर्व प्रदत व्यय	**117.63**	104.03
संबंधित पार्टियों से प्राप्य	**149.46**	45.50
अन्य से प्राप्य	**0.11**	25.02
वसूली योग्य जीएसटी इनपुट कर	**786.36**	629.77
अरक्षित व संदेहास्पद माने गए		
उच्च न्यायालय में जमा*	**222.27**	222.37
घटाः संदेहास्पद के लिए प्रावधान–जमा	**(222.27)**	(222.27)
कुल	**1,053.56**	**804.42**

* इंड एएस वित्तीय विवरणियों के नोट सं. 45 के संदर्भ में।

नोट सं. 13

(मिलियन रु. में)

इक्विटी शेयर पूंजी	**31 मार्च, 2021 को**	**31 मार्च, 2020 को**
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
100 रु. प्रत्येक के 200,000,000 इक्विटी शेयर	**20,000.00**	20,000.00
(पिछले वर्ष 100 रु. प्रत्येक के 200,000,000 इक्विटी शेयर)		
	20,000.00	20,000.00
जारी, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी		
100 रु. प्रत्येक के 402,25,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	**4,022.50**	4,022.50
(पिछले वर्ष 100 रु. प्रत्येक के 402,25,000 इक्विटी शेयर)	**-**	-
	4,022.50	4,022.50

13 क) शेयरों की संख्या का समाधान	**31 मार्च, 2021 को**	**31 मार्च, 2020 को**
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	**40,225,000**	40,225,000
जोड़करः जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	**-**	-

इक्विटी शेयर पूंजी	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
घटाकरः रीडिम किए इक्विटी शेयर	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	**40,225,000**	40,225,000

13 (ख) इक्विटी शेयरः इक्विटी शेयर के लिए संलग्न विनिमय एवं शर्तें/अधिकार

कम्पनी के पास एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिसका अंकित मूल्य 100 रु. प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार है। लाभांश के भुगतान की कोई बाध्यता नहीं है। कम्पनी के समापन पर इक्विटी शेयरधारक सभी प्रकार की प्राथमिक राशियों के भुगतान के पश्चात अपने स्वामित्व के शेयरों के अनुपात में कम्पनी की बाकी बची परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

13 (ग) होल्डिंग कम्पनी के नियंत्रण में इक्विटी शेयर

402,25,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 402,25,000 इक्विटी शेयर) होल्डिंग कम्पनी एअर इंडिया लिमिटेड और इसके नामितों के नियंत्रण में हैं (होल्डिंग कम्पनी की ओर से)

13 (घ) 5% से अधिक इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों का ब्यौराः

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
एअर इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कम्पनी और उसके नामिती (होल्डिंग कम्पनी की ओर से)	**40,225,000**	40,225,000
शेयरों की सं.	**40,225,000**	40,225,000
स्वामित्व का प्रतिशत	**100%**	100%

नोट सं. 14

कुल इक्विटी	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
1. लाभ–हानि खाते में अधिशेष/(घाटा)		
प्रारंभिक शेष	**(26,938.32)**	(24,003.60)
जोड़करः लाभ/(हानि) वर्ष के लिए	**(3,600.94)**	(2,352.01)
घटाकरः इंड एएस 116 का प्रभाव	-	(593.74)
घटाकरः छुट्टी नकदीकरण हेतु ओसीआई के प्रारंभिक शेष का समायोजन	-	11.03
अंत शेष	**(30,539.26)**	(26,938.32)
2. अन्य व्यापक आय		
प्रारंभिक शेष	**3.54**	18.32
जोड़करः छुट्टी नकदीकरण हेतु ओसीआई के प्रारंभिक शेष का समायोजन	-	(11.03)
जोड़करः वर्ष के लिए	**1.62**	(3.74)
अंत शेष	**5.16**	3.54
कुल	**(30,534.10)**	**(26,934.78)**

नोट सं. 15

(मिलियन रु. में)

लीज़ देयताएं	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
लीज़ देयताएं	24,207.38	21,685.69
लीज़ देयता का चालू भाग (नोट सं. 19 में उल्लिखित) (तुलन पत्र में चालू देयता के रुप में उल्लिखित)	(2,252.96)	(34.51)
कुल	**21,954.42**	21,651.18

नोट सं. 16

(मिलियन रु. में)

प्रावधान	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान हेतु प्रावधान	66.99	56.78
घटाकरः उपदान का चालू भाग (नोट 20 में उल्लिखित)	(2.38)	(1.38)
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	34.07	25.48
घटाकरः छुट्टी नकदीकरण का चालू भाग (नोट 20 में उल्लिखित)	(1.44)	(0.74)
अन्य प्रावधान		
विमानों की रि–डिलीवरी हेतु प्रावधान	**542.33**	507.34
कुल	**639.57**	**587.49**

नोट सं. 17

(मिलियन रु. में)

चालू उधार	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
संबंधित पार्टियों से ऋण (अरक्षित)		
एअर इंडिया लि. (होल्डिंग कम्पनी)*	**20,656.16**	17,111.08
कुल	**20,656.16**	17,111.08
*इंड एएस वित्तीय विवरणियों के नोट सं. 37 को देखें।		

नोट सं. 18

(मिलियन रु. में)

व्यापार देय	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय	-	-
ख) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा क्रेडिटर के कुल बकाया देय व्यय हेतु प्रावधान	**1,060.37**	651.89

व्यापार देय	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वेंडर भारत में	**4,439.53**	4,090.85
वेंडर–भारत से बाहर	**1,203.64**	1,085.15
संबंधित पार्टी–देय	**2,041.75**	2,240.49
आपूर्तिकर्ता–एमआरओ–रैमको	**155.32**	151.30
कुल	**8,900.61**	8,219.68

नोट सं. 19

(मिलियन रु. में)

अन्य चालू वित्तीय देयताएं	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अर्नेस्ट धन जमा	**2.72**	2.69
सुरक्षा जमा	**305.83**	309.82
लीज़ देयताएं (संदर्भ नोट सं. 15)	**2,252.96**	34.51
अन्य	**153.02**	202.38
कुल	**2,714.53**	**549.40**

नोट सं. 20

(मिलियन रु. में)

चालू प्रावधान	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
उपदान देयता हेतु प्रावधान	**2.38**	1.38
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	**1.44**	0.74
कुल	**3.82**	**2.12**

नोट सं. 21

(मिलियन रु. में)

अन्य चालू देयताएं	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ग्राहक से अग्रिम	241.03	194.51
देय सांविधिक भुगतान		
– देय जीएसटी पर टीडीएस	3.50	5.81
– आयकर के अनुसार देय टीडीएस	107.42	220.90
– देय भविष्य निधि	6.09	8.48
– देय सेवाकर *	33.44	33.44
– अन्य	0.17	0.18
कुल	**391.65**	**463.32**

*इंड एएस वित्तीय विवरणियों के नोट सं. 45 के संदर्भ में

नोट स. 22

(मिलियन रु. में)

प्रचालन से राजस्व	2020-21	2019-20
1. प्रचालन राजस्व		
सेवा की बिक्री से		
i) अनुसूचित यातायात सेवाएं		
क) यात्री	2,443.63	7,047.87
ख) अतिरिक्त सामान	38.08	76.62
ग) डाक	2.13	2.10
घ) कार्गो	51.95	9.45
	2,535.79	7,136.04
ii) गैर अनुसूचित–यातायात सेवाएं		
क) चार्टर	**17.18**	30.80
ख) सरकार से प्रचालन हेतु सहायता	**1,971.11**	2,388.92
	1,988.29	2,419.72
iii) अन्य प्रचालनात्मक राजस्व		
क) उत्पादनकर्ता का क्रेडिट	**-**	335.99
ख) हैंडलिंग सर्विसिंग तथा प्रासंगिक राजस्व	**11.31**	38.54
	11.31	374.53
कुल	**4,535.39**	**9,930.29**

नोट सं. 23

(मिलियन रु. में)

अन्य आय	2020-21	2019-20
1. साविधि जमा पर ब्याज– भारत	**55.30**	80.25
2. अन्य		
– प्रावधान जिसकी आवश्यकता नहीं रिर्टन बैक*	**1.58**	1,801.00
कुल	**56.88**	**1,881.25**

नोट सं. 24

(मिलियन रु. में)

	अन्य प्रचालन व्यय	2020-21	2019-20
i)	विमान लीज़, हैंडलिंग एवं अनुरक्षण प्रभार		
	विमान इंजन की लीज़	**22.29**	75.64
	हैंडलिंग	**256.28**	421.99
	अनुरक्षण	**1,179.48**	1,552.47
		1,458.05	2,050.10
ii)	मार्ग निर्देशन, अवतरण, हाउसिंग एवं पार्किंग		
	अवतरण शुल्क–अनुसूचित एवं अन्य प्रचालन	**13.48**	29.61
	हाउसिंग और पार्किंग शुल्क	**16.46**	10.22
	उड़ान वाणिज्य व मार्ग निर्देशन प्रभार	**94.74**	324.06

	अन्य प्रचालन व्यय	2020-21	2019-20
		124.68	363.89
iii)	अन्य संचार प्रभार		
	आरक्षण प्रणाली पर व्यय	**129.87**	473.74
	पोस्टेज़ टेलीग्राम और कुरियर प्रभार	**0.09**	0.16
	टेलीफोन एवं ट्रंक कॉल प्रभार	**1.46**	1.74
		131.42	475.63
iv)	यात्री सुविधाएं		
	उड़ानगत एवं होटल उपभोज्य सामग्रियों की खपत		
	पैक्स सुविधाएं– स्थल पर केटरिंग	1.78	29.76
	पैक्स सुविधाएं– विमान पर केटरिंग	**30.00**	98.90
	पैक्स सुविधाएं– होटल व्यय	**3.71**	0.45
	पैक्स कॉल सेंटर प्रभार	**15.25**	17.26
	पैक्स सुविधाएं– समाचार पत्र और पत्रिकाएं	**0.05**	0.07
		50.79	146.45
v)	बीमा		
	बीमा –विमान	**122.41**	79.80
	बीमा सामान्य	**0.01**	0.01
		122.42	79.81
vi)	इनवेंटरी खपत		
	उपभुक्त सामग्री – विमान	**155.68**	136.52
	अप्रचलन हेतु प्रावधान (निवल)	**(19.48)**	57.72
		136.20	194.24
vii)	बुकिंग एजेंसी का कमीशन (निवल)		
	टिकट विक्रय पर कमीशन	**40.65**	87.48
	कुल	**2,064.21**	**3,397.59**

नोट सं. 25

(मिलियन रु. में)

कर्मचारी लाभ व्यय	2020-21	2019-20
1.वेतन– मजदूरी और बोनस		
वेतन –भारत में कर्मचारी	**693.74**	867.31
बोनस व्यय	**6.98**	6.11
	700.72	873.42
2. क्रू भत्ते		
विदेशी करार पायलट शुल्क एवं दावे	**318.76**	736.37
	318.76	736.37
3. भविष्य निधि व अन्य निधि में अंशदान		
सीसी भविष्य निधि– भारत में कर्मचारी	**14.88**	12.14
	14.88	12.14
4. स्टॉफ कल्याण व्यय		

कर्मचारी लाभ व्यय	2020-21	2019-20
अन्य स्टॉफ कल्याण व्यय	**21.79**	31.25
स्टॉफ प्रशिक्षण व्यय	**71.41**	209.43
	93.20	240.68
5. उपदान	**12.53**	10.21
6. छुट्टी नकदीकरण	**8.89**	5.32
कुल	**1,148.98**	**1,878.14**

नोट सं. 26

(मिलियन रु. में)

वित्तीय लागत	2020-21	2019-20
(i) ऋण पर ब्याज		
– एअर इंडिया (होल्डिंग कम्पनी) ऋण पर ब्याज	**1,614.00**	1,446.26
(ii) लीज़ देयताओं पर ब्याज व्यय'	**(634.46)**	2,714.10
(iii) बैंक प्रभार	9.60	21.28
(iv) ईंधन कम्पनियों को विलम्बित भुगतान प्रभार	**213.53**	193.84
(v) संबंधित पार्टियों द्वारा प्रभारित ब्याज	**204.28**	166.68
कुल	**1,406.95**	**4,542.15**

* विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित (856.70 मिलियन रु.) पिछले वर्ष 1976.98 मिलियन रु. के विनिमय अंतर सहित लीज़ देयताओं का अनुवाद।

नोट सं. 27

(मिलियन रु. में)

अन्य व्यय	2020-21	2019-20
यात्रा व्यय	32.20	88.53
किराया	26.56	28.51
मरम्मत प्रभार	2.11	10.68
परिवहन का किराया	36.77	32.36
विद्युत/तापन एवं ईंधन प्रभार	5.79	6.68
जल प्रभार	-	0.01
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	1.93	6.24
प्रचार और विक्रय संवर्धन	1.15	0.91
कोविड व्यय	21.02	-
विधिक प्रभार	0.16	0.82
लेखा परीक्षकों को भुगतान	1.63	2.17
व्यावसायिक/परामर्श शुल्क व व्यय	20.82	36.89
अनुपयुक्त व संदेहास्पद अग्रिम हेतु समाधान	-	23.68
इनपुट रिवर्सल	36.36	-
मुद्रा विनिमय अंतर (निवल)	105.61	(187.70)
डीजीसीए को शुल्क	2.19	1.07

अन्य व्यय	2020-21	2019-20
कार्यालय सफाई हेतु व्यय	**0.07**	0.10
मनोरंजन व्यय–सामान्य	**0.10**	0.41
पुस्तकें व पत्रिकाएं–जेपसन/तकनीकी	**46.54**	19.07
अन्य विविध खर्चे	**2.47**	16.95
टीडीएस का देरी से भुगतान करने पर ब्याज	**31.36**	6.91
सेवा कर/जीएसटी का देरी से भुगतान करने पर ब्याज	**2.47**	0.23
कुल	**377.31**	**94.53**

नोट सं. 28

(मिलियन रु. में)

प्रतिशेयर आय का प्रकटीकरण इंड–एएस 33	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क) वर्ष के आरंभ में भारित औसत शेयरों की संख्या		
आरंभिक	**40,225,000**	40,225,000
जारी	**-**	-
वर्ष के आरंभ में भारित औसत शेयरों की संख्या (भाजक के रुप में उपयोग करना)	**40,225,000**	40,225,000
ख) इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर पश्चात निवल लाभ (अंश के रुप में उपयोग करना)	**(3,600,943,517)**	(2,352,007,567)
ग) प्रति शेयर–बेसिक व डायल्यूटिड आय (रु. में)	(89.52)	(58.47)
घ) शेयर का अंकित मूल्य (रु. में)	100.00	100.00

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों के नोट

29 विनिवेश प्रक्रिया

(i) एअर इंडिया (एआई) के विनिवेश पर नीति आयोग की सिफारिशों को देखते हुए और विनिवेश (सीजीडी) पर सचिवों के कोर ग्रुप की सिफारिशों के बाद, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2017 को हुई अपनी बैठक में एअर इंडिया समूह के रणनीतिक विनिवेश पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक तौर पर अनुमोदन दे दिया है। सीसीईए द्वारा रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए **एअर इंडिया स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआईएसएएम) समिति का भी गठन किया गया।**

विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के मार्गदर्शन हेतु एआईएसएएम द्वारा लेन–देन सलाहकार, कानूनी सलाहकार और एसेट वैल्यूएटर नियुक्त किए गए हैं।

(ii) एआईएसएएम ने 21 सितंबर, 2017 और 05 अक्टूबर, 2017 को आयोजित अपनी बैठकों में निर्णय लिया कि:

क) एअर इंडिया की निम्नलिखित चार सहायक कंपनियों को अलग नए बनाए गए विशेष उद्देश्य वीहकल (PV) में पृथक और पार्क किया गया है:

i) एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड, (एएएएल)

ii) एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, (एआईएएसएल)

iii) एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल)

iv) होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एचसीएल)

ख) चार सहायक कंपनियों एआईएटीएसएल, एएएएल, एआईईएसएल, एचसीआई, सहित गैर–प्रमुख परिसंपत्तियों, पेंटिंग और कलाकृतियां और अन्य गैर प्रचालन परिसंपत्तियों के साथ–साथ किसी भी परिसंपत्ति द्वारा समर्थित। संचित कार्यशील पूंजी ऋण के भंडारण हेतु एक विशेष उद्देश्य वीहकल (एसपीवी) बनाया जाएगा। इस इकाई को ''एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड'' नाम दिया गया है

(iii) एआईएसएएम के उपरोक्त निर्णय के अनुसार, एसपीवी **एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड** (एआईएएचएल) का गठन किया गया था।

(iv) नागर विमानन मंत्रालय ने अपने दिनांक 03 नवंबर, 2017 के पत्र संख्या AV-17046/368/2017– एआई के द्वारा एअर इंडिया को उपरोक्त चार सहायक कंपनियों को एसपीवी में पार्क करने के लिए अलग निर्देश दिया। इसके साथ ही एयर इंडिया से एएएएल, एआईएएसएल, एआईईएसएल और एचसीआई के शेयरों में किए गए निवेश को बुक वैल्यू पर (31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र में दिखाए गए मूल्य के अनुसार व वर्ष के दौरान इक्विटी में किसी भी प्रकार के जोड़ सहित) हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।

(v) 17 नवंबर, 2017 को आयोजित अपनी 82 वीं बोर्ड बैठक में एअर इंडिया के बोर्ड ने सहायक कंपनियों एआईएटीएसएल, एआईईएसएल, एएएएल और एचसीआई में से एअर इंडिया के हित को एसपीवी में हस्तांतरित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और कानूनी सलाहकार द्वारा अनुशंसित अन्य कानूनी औपचारिकताओं के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी।

vi) हालांकि, 18 जून 2018 को आयोजित एआईएसएएम की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अस्थिर क्रूड मूल्य व विनिमय दर में प्रतिकूल उतार–चढ़ाव के मद्देनजर वर्तमान वातावरण निकट भविष्य में एआई के रणनीतिक विनिवेश के लिए निवेशकों के बीच रुचि को बढ़ाने के लिए अनुकूल नहीं है। यह निर्णय लिया गया है कि तेल मूल्य और

विदेशी मुद्रा सहित वैश्विक आर्थिक संकेतकों के स्थिर होने के बाद, भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई एअर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के मुद्दे को एआईएसएएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

एमओसीए ने एलाइंस एअर के विनिवेश के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। MOCA, सहायक कंपनियों से एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड के निपटान के लिए अलग से निर्णय लेगा।

30. इंड एएस 37 के अनुसार प्रकटीकरण – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां

क. आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण

एएएएल के विरूद्ध दावों को, ऋणों के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है (ब्याज और दंड को छोड़कर (जिसके लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया) जहां लागू हो) और सुनिश्चियन व परिणाम निर्धारित किए जाने तक प्रतिवादित किए जा रहे हैं।

(मिलियन रु. में)

विवरण	01.04.2020 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़े गए	प्रावधान के विरूद्ध प्रभारित राशि	वर्ष के दौरान हटाई गई अप्रयुक्त राशि	छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	31 मार्च 2021 को शेष
*कंपनी को प्राप्त आय कर मांग नोटिस जो अपील के अधीन है	36.99	0.17	कोई नहीं	कोई नहीं	लागू नहीं	37.16
**अन्य आकस्मिक देयताओं पर अन्य दावे	644.85	0.37	527.96	कोई नहीं	लागू नहीं	117.26
सकल योग	**681.84**	**0.37**	**559.25**	कोई नहीं	लागू नहीं	**122.96**

* ऊपर दर्शाई गई विवादित मांगें, मांग पर ब्याज को छोड़कर हैं।

ख. ''अन्य आकस्मिक देयताओं के संबंध में स्पष्टीकरण विवरण

क) विदेशी प्रेषण में देरी के कारण बिक्रेताओं द्वारा अपेक्षित ब्याज देयता, शून्य मिलियन रु. रही (पिछले वर्ष की राशि 70.00 मिलियन रुपए थी)। राशि को ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा। एएएएल ने 2020–21 में लीज़ कटौती और ब्याज दावे की छूट के लिए लीज़कर्ता के साथ सफलतापूर्वक पुनः समझौता बातचीत की है।

ख) विविध दावों **117.26 मिलियन रु.** (पिछले वर्ष में 574.85 मिलियन रु.) सहित

- विभिन्न विदेशी विक्रेताओं से प्राप्त दावे 95.18 मिलियन रु. (पिछले वर्ष–133.31 मिलियन रु.) इंजीनियरिंग द्वारा सेवाओं के लिए सहमत शर्तों के गैर–अनुपालन के आधार पर स्वीकार्य नहीं है और इन्हें एएएएल द्वारा विवादित माना गया है।
- चल रहे कानूनी मामलों के संबंध में 22.08 मिलियन रु. (21.71 मिलियन रु.) के अनिश्चित कानूनी दावे।

ग) पूंजीगत और अन्य प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखों पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
–	कोई नहीं	235.53

घ) <u>रि–डिलीवरी हेतु प्रावधान</u>

रि–डिलीवरी के प्रावधानों में गतिविधियों का प्रकटन यहां किया गया है:

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	507.34	164.92
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	90.92	244.18
वर्ष के दौरान प्रावधानों पर ब्याज वृद्धि	5.07	14.43
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि/समायोजन	(41.91)	0.00
प्रारंभिक प्रावधान बहाल करने पर विनिमय हानि का प्रभाव	0.00	0.00
अंतशेष प्रावधान बहाल करने पर विनिमय लाभ/हानि का प्रभाव	(19.09)	83.81
वर्ष के अंत में शेष	542.33	507.34
वर्ष के अंत में शेष – गैर–चालू	542.33	507.34
वर्ष के अंत में शेष – चालू	0.00	0.00

31. इंड एएस 8 के अनुसार प्रकटीकरण ''लेखा नीति, लेखांकन अनुमान और त्रुटियों में परिवर्तन''

वर्ष के दौरान कंपनी ने 345.74 मिलियन रु. (निवल) की पूर्व अवधि त्रुटि की पहचान की है। (पिछले वर्ष 42.43 मिलियन रु.) इसकी तुलनात्मक अवधि 2019–20 की शेष राशि को पुनः घोषित किया गया है।

क) **पूर्वावधि त्रुटि की प्रकृति** – चालू वर्ष में प्राप्त बिल या क्रेडिट जिसके लिए गलती से कोई प्रावधान/बकाया वसूली नहीं की गई थी, और इसलिए पूर्व अवधि के मदों के रूप में गणना की जा रही है और इससे पूर्व अवधि मदों अर्थात 2019–20 की अवधि का बताया गया है

ख) **शोधन राशि**

(राशि मिलियन रु. में)

आय/व्यय का शीर्ष	31.3.2020 को शेष	31.3.2020 को पुनः कथित शेष	अंतर (पूर्वावधि त्रुटि)
किताबें एवं पत्रिकाएं	19.07	21.08	2.01
अनुरक्षण	595.76	593.01	-2.75
इंज़न लीज़ किराया	75.64	74.45	-1.19
कर्मचारी लाभ व्यय	20.25	31.32	10.97
पैक्स सुविधाएं	114.73	124.03	9.3
होटल/यात्रा व्यय	55.72	59.26	3.54
अन्य विविध व्यय	73.01	86.95	13.94
कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय *	0.61	208.21	208.82
उड़ान कमीशन और नेविगेशन प्रभार	222.96	324.06	101.10

*मूल कंपनी, एअर इंडिया लिमिटेड (एआई) ने एएएएल के पायलटों को सिम्युलेटर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चालू वर्ष में 279.76 मिलियन रु. का बिल प्रस्तुत किया है। इस राशि के एवज् में एआई ने वर्ष 2019–20 में पहले ही इसके एक हिस्से के रूप में मान्यता दे दी है। वर्ष 2020–21 में पिछले वर्ष से संबंधित 208.82 मिलियन रु. की राशि का बिल एएएएल को भेजा गया है, जो पिछले वर्ष में एआई द्वारा बुक किए गए शेष राशि के आधार पर है और 70.95 मिलियन रु. की बकाया राशि चालू वर्ष से संबंधित है।

ग) तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन के कारण ईपीएस पर प्रभाव

	विवरण	राशि
1)	वर्ष 2019–20 के लिए लाभ (मिलियन)	(2,006.26)
2)	घटाः 2019–20 में पूर्वावधि समायोजन किया गया (मिलियन)	345.74
3)	वर्ष 2019–20 के लिए समायोजित लाभ / (हानि)(मिलियन)	(2,352.01)
4)	भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या (शेयरों की संख्या	4,02,25,000
5)	ईपीएस (बेसिक एवं डायल्यूटिड) (वास्तविक)–2019–20 (रू. में)	(49.88)
6)	ईपीएस पर पूर्वावधि का प्रभाव (रु. में)	(8.59)
7)	ईपीएस (बेसिक एवं डायल्यूटिड) (वास्तविक)–2019–20 के लिए (रू. में)	(58.47)

32. प्रत्यक्ष सत्यापन व समाधान

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

कंपनी की नीति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के वास्तविक सत्यापन की द्विवार्षिक प्रक्रिया जो वित्त वर्ष 2019–20 में दिल्ली के लिए पूरा कर लिया गया है और बाकी किसी के लिए नहीं हो पाया है। कोविड–19 की वैश्विक महामारी के कारण सभी स्टेशनों में पूरा नहीं हो पाया है। कोविड–19 पूरे देश में लागू महामारी और लॉकडाउन के कारण 2020–21 में लंबित वास्तविक सत्यापन पूरा नहीं किया जा सका।

ख) विमान इनवेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन

कंपनी की नीति के अनुसार, इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन का कार्य जो वित्त वर्ष 2020–21 में पूरा होने वाला था, कोविड–19 की वैश्विक महामारी और पूरे देश में लॉकडाउन के कारण, भौतिक सत्यापन कार्य बाह्य एजेंसियों द्वारा पूरा नहीं किया जा सका। जिसे 2021–22 में एंजेसी द्वारा पूरा कर लिया जाएगा।

ग) पुष्टि / समाधान

1) कंपनी ने प्रमुख प्राप्तियों, भुगतानों के लिए शेष राशि की पुष्टि मांगी है। जहां भी पार्टियों द्वारा पुष्टिकृत शेष राशि बहियों के अनुसार सही नहीं है वहां अंतर के समाधान की प्रक्रिया जारी है।

अपुष्टिकृत शेष का विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध हैः

(राशि मिलियन रु. में)

खाता शीर्ष	पुस्तकों के अनुसार शेष राशि	शेष अपुष्ट राशि	अपुष्ट राशि का %
व्यापार देय	8900.61	738.82	8.30
व्यापार प्राप्य	636.60	12.36	1.94

2) 31 मार्च 2021 को शेष पुष्टिकरण प्रमाण पत्र सभी विक्रेताओं और ग्राहकों को भेज दिए गए हैं। विक्रेताओं के

मामले में कुल राशि के मामले में 91.70% से पुष्टि प्राप्त हो गई है और ग्राहकों के मामले में सभी पार्टियां सरकारी विभाग/मंत्रालय हैं और 31 मार्च 2021 तक कुल देय राशि का 98.06% की पुष्टि है।

33. आंतरिक नियंत्रण

विनियामक और संवैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ निगमित प्रशासन का उच्चतम स्तर प्रदान करने के लिए, कंपनी के पास व्यवसाय के सुचारू और कुशल प्रचालन के लिए पर्याप्त आंतरिक प्रणाली और प्रक्रिया है। सुचारू रुप से निर्णय लेने के लिए व्यापक रुप से शक्तियों का प्रत्यायोजन मौजूद है जो कि बदलते व्यवसायिक वातावरण और त्वरित निर्णय लेने के अनुरुप आवधिक समीक्षा करता है। समान रुपी अनुपालन के लिए खातों को तैयार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों का लगातार पालन किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जाँचें और बकाया सही है, सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उचित हैं, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की स्वतंत्र फर्म द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा की जा रही है। इसके अलावा आंतरिक लेखा परीक्षक के दायरे की समय–समय पर प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों और उपयोगकर्ता विभागों और एसएपी में लेनदेन की एक समान और समयबद्ध लेखा प्रविष्टियों के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर कड़ी नजर रखने हेतु कम्पनी के अलावा लेखा परीक्षा समिति है।

कंपनी द्वारा 2019–20 में स्वतंत्र व्यवसायिक फर्म की भी नियुक्ति की है साथ ही कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और मजबूत करने के लिए मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) को मूल्यांकन हेतू प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। वर्ष 2020–21 के दौरान कोई नई गतिविधि और प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आईएफसी के तहत प्रस्तुत जोखिम मैट्रिक्स की समीक्षा की गई है और 2020–21 में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

34. इनवेंटरी

1. इनवेंटरी में मुख्य रूप से विमान पुर्जे और उपभोग्य सामग्रियां और एटीआर विमानों के उपकरण शामिल हैं। एटीआर विमानों में विशेष उपयोग के लिए पुर्जो को एमएमडी विभाग के माध्यम से खरीदा जा रहा है और रैमको नामक इनवेंटरी प्रबंधन प्रणाली की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है, जिसका उपयोग एआईईएसएल द्वारा मेंनटेन की जाने वाली संपूर्ण एअर इंडिया समूह की कंपनियों की इनवेंटरी को खरीदने, नियंत्रित करने, जारी करने और प्रबंधित करने के लिए भी किया जाता है। उपभोग्य सामग्रियों सहित इनवेंटरी के लिए, जिसका उपयोग आमतौर पर एटीआर, एयरबस और बोइंग विमान के लिए किया जा सकता है एआईएल द्वारा या एएएएल द्वारा खरीदे जा रहे हैं।

2. रैमको और एसएपी के बीच इंटरफ़ेस को लागू किया गया ताकि रैमको में होने वाले सभी लेनदेन अब इंटरफेस के माध्यम से सीधे एसएपी में हो सकें।

35 एयरपोर्ट ऑपरेटरों के साथ समाधान की स्थिति

1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ समाधान किया जा चुका है और 1.4.2012 से 31.3.2021 तक समाधान किया गया है।

2) बीआईएएल, डीआईएएल, एचआईएएल और एमआईएएल के साथ खातों का समाधान 31.03.2021 तक कर लिया गया है।

36. इंड–एएस 108 के अनुसार प्रकटीकरण ''ऑपरेटिंग सेगमेंट''

क. इंड एएस–108 के अनुसार, कंपनी एयरलाइन से संबंधित व्यवसाय में है, जो इसका प्राथमिक व्यवसाय सेगमेंट खंड है और इसलिए सेगमेंट के परिणाम अलग से प्रकट नहीं किए गए हैं। भौगोलिक क्षेत्रवार अर्जित सकल यात्री राजस्व का विवरण (जिस क्षेत्र से यात्री ने यात्रा प्रारंभ की है, उस क्षेत्र में राजस्व आबंटित करके व्युत्पन्न) निम्नानुसार हैं:

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
भारत	4535.39	9908.05
भारत से बाहर	00.00	22.24
कुल	**4535.39**	**9930.29**

कंपनी की प्रमुख राजस्व आय परिसंपत्ति, विमान बेड़ा है, जो कम्पनी के रूट नेटवर्क में लचीले और अनुकूलतम रूप से तैनात है। भौगोलिक सेगमेंट में परिसंपत्तियों और देयताओं के आबंटन के लिए कोई उपयुक्त आधार नहीं है, इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्रवार संपत्तियों और देनदारियों का खुलासा नहीं किया गया है।

37. इंड–एएस 24 के अनुसार प्रकटीकरण ''संबंधित पार्टी प्रकटीकरण''

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस–24) के अनुसार वर्ष 2020–21 के दौरान आवश्यक संबंधित पार्टियों के नाम और पदनामों का विवरण नीचे दिया गया है।

1. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और संबंधी

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन–देन

i) प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को पारिश्रमिक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई लेन–देन नहीं है।

ii) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और संबंधी

क. निदेशक मंडल, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) (वित्तीय वर्ष 2020–21 की अवधि से आज तक)

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	समापन की तिथि
1	श्री राजीव बंसल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लि.	अध्यक्ष	14/02/2020	आज तक
2	श्री विनोद एस. हेजमाड़ी निदेशक (वित्त) एअर इंडिया लि.	निदेशक	20/11/2015	आज तक
3	सुश्री मीनाक्षी मलिक निदेशक (वाणिज्य) एअर इंडिया लि.	निदेशक	14/07/2020	आज तक
4	श्री प्रेम सिंह नेगी क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) एअर इंडिया लि.	निदेशक	07/10/2019	आज तक
5	श्री प्रांजोल चन्द्रा निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	31/08/2018	आज तक
6	श्रीमती कुसुमलता शर्मा निदेशक (वित्त), नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	20/01/2020	27/01/2021
7	श्री दीपक सजवान उप सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	27/01/2021	आज तक

ख. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और संबंधी

क्र.सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	समापन की तिथि
1.	श्री सी. एस. सुब्बैया	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	25/05/2016	31/10/2020
2.	सुश्री हरप्रीत ए.डी. सिंह	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	03/11/2020	आज तक
3.	श्री अम्बर कुमार मंडल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	26/07/2019	आज तक
4.	सुश्री मंजिरी एम. वझे	कम्पनी सचिव	21/03/2017	आज तक

ग. संबंधित पार्टियां:

i. इंड एएस 24 के संदर्भ में, निम्नलिखित संबंधित पार्टियां हैं जो पार्टियां (सरकार) हैं यानी महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार):

नाम	संबंधों की प्रकृति	नियंत्रण प्रभाव
एअर इंडिया लिमिटेड	होल्डिंग कम्पनी	**कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली इकाई**
एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड	सहयोगी संस्था (एअर इंडिया की सहायक कंपनी)	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण नहीं है।
एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	सहयोगी संस्था (एअर इंडिया की सहायक कंपनी)	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण नहीं है।
भारतीय होटल निगम	सहयोगी संस्था (एअर इंडिया की सहायक कंपनी)	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण नहीं है।
एअर इंडिया एक्सप्रैस लिमिटेड	सहयोगी संस्था (एअर इंडिया की सहायक कंपनी)	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण नहीं है।

ii) पार्टी (सरकार के अलावा)

एअर इंडिया सैट्स	**एअर इंडिया का संयुक्त उद्यम**	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण नहीं है।

घ. संबंधित पार्टी लेनदेन

i. वर्ष 2020–21 के दौरान, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को 2.02 मिलियन रुपये एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी को 1.29 मिलियन रुपये से पारिश्रमिक और अनुलब्धियों को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

ii. एयरलाइन व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलापों में एयरलाइन से संबंधित सेवाएं प्रदान करने जैसे लेनदेन उपरोक्त में शामिल नहीं हैं।

iii. वर्ष के अंत में कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई ऋण या क्रेडिट लेनदेन बकाया नहीं था।

iv. कार्गो कमीशन की राशि शून्य मिलियन रु., यात्री कमीशन की राशि 40.65 मिलियन रु., पीजीपी को एमएसएफ कमीशन 18.06 मिलियन रु., क्रेडिट कार्ड पर बैंक शुल्क 16.83 मिलियन रु. के आधार पर एआईएल द्वारा आबंटित राशि के आधार पर एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट।

v अतिरिक्त सामान विक्रय नो शो प्रभार, रद्दकरण के संबंध में एएएएल ने एआई और एएएएल के सक्षम प्राधिकारी की विशिष्ट स्वीकृति के आधार पर 213.50 मिलियन रु. के राजस्व की गणना की है।

vi. इंड एएस 24 के संबंध में, कुछ सरकारी संबंधित संस्थाओं यानी महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार) और गैर सरकारी संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं।

ड. लेनदेन विवरण – संबंधित पार्टी

1. मूल कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड और अन्य सहयोगी संस्था (एअर इंडिया लिमिटेड की अन्य सहायक कंपनी)

ब्यौरा:

क्र.सं.	संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति	2020–2021 (राशि मिलियन रु. में)	2019–20 (राशि मिलियन रु. में)
	क) एअर इंडिया लि.		
	व्यय / एअर इंडिया लि. द्वारा सेवा प्राप्त हुई		
	हैंडलिंग	**33.16**	77.05
	एसओडी	**6.21**	24.89
	कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	**71.80**	210.01
	निगमित गारंटी प्रभार	**22.00**	22.77
	एआईएल द्वारा प्रभारित ब्याज	**1614.00**	1446.26
	बीमा	**11.13**	7.98
	अन्य व्यय	**0.87**	0.88
	अंतशेष एअर इंडिया लि.	**20657.32**	16903.30
	एएएएल की ओर से एआईएल द्वारा दी गई निगमित गारंटी।	**4400.64**	4554.43
	एआईएल पर एएएएल बिलिंग		
	एएएएल द्वारा एसओडी बिलिंग	**(1.79)**	(3.47)

	ख) एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल)	2020–2021 (राशि मिलियन रु. में)	2019–20 (राशि मिलियन रु. में)
	व्यय मरम्मत अन्य	453.44	526.69
	एएएएल द्वारा एसओडी बिलिंग	(1.53)	(17.50)
	ब्याज	117.10	89.02
	अंत शेष (क्रेडिट)	**1414.87**	**1310.24**

	ग) एअर इंडिया एयर सर्विसेस लिमिटेड (एआईएएसएल) को पहले एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल)	2020–2021 (राशि मिलियन रु. में)	2019–20 (राशि मिलियन रु. में)
	व्यय हैंडलिंग प्रभार	124.00	243.65
	क्रेडिट प्राप्त हुआ एएएएल द्वारा एसओडी बिलिंग	(0.86)	(1.08)
	ब्याज	75.32	54.86
	अंत शेष	**718.52**	**851.10**

	घ) एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	2020–2021 (राशि मिलियन रु. में)	2019–20 (राशि मिलियन रु. में)
	इनवेंटरी का स्थानांतरण	0.13	(0.42)
	एएएएल द्वारा एसओडी बिलिंग	(1.27)	(0.31)
	अंत शेष (क्रेडिट)	**(1.79)**	**(0.59)**

	ड.) एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	2020–2021 (राशि मिलियन रु. में)	2019–20 (राशि मिलियन रु. में)
	व्यय हैंडलिंग प्रभार	124.63	96.79
	अंत शेष (क्रेडिट)	**435.22**	**300.17**

	च) होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया	2020–2021 (राशि मिलियन रु. में)	2019–20 (राशि मिलियन रु. में)
	व्यय होटल आवास	1.09	4.69
	अंत शेष (क्रेडिट)	**0.30**	**4.26**

(2) भविष्य निधि ट्रस्ट के साथ लेन–देन

विवरण	2020–21		2019–20	
	वर्ष के दौरान पीएफ योगदान	31.3.2021 को देय	वर्ष के दौरान पीएफ योगदान	31.3.2020 को बकाया
एएएसएल पीएफ ट्रस्ट	**14.88**	**6.10**	**12.14**	**8.49**

(3) संबंधित सरकारी संस्थाओं से प्रमुख लेनदेन

संबंधित सरकारी संस्थाओं के साथ कंपनी के राजस्व और व्यय के प्रमुख लेनदेन का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

(राशि मिलियन रु. में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	2020–21	2019–20
	व्यय		
i)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (स्थान सहित)	**125.37**	**255.79**
ii)	तेल कंपनियाँ		
	इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड	**610.39**	**1186.20**
	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	**166.69**	**411.35**
	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	**183.10**	**315.95**
	राजस्व		
i)	**सरकार से प्रचालन हेतु सब्सिडी**		
	भारत सरकार	**1971.11**	**2388.92**
ii)	**चार्टर राजस्व – अन्य**		
	भारत सरकार	**17.19**	**21.96**

नोट : सरकार/सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ उपरोक्त लेन–देन में वे लेन–देन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने, अन्य सरकार संबंधित संस्थाओं के साथ भी अन्य लेनदेन किया है। तथापि, ये लेनदेन व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

38. कर्मचारी लाभ

कंपनी भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी इंड एएस 19 के अनुसार, स्वतंत्र एक्चूरीज़ द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र तिथि के अनुसार ग्रेच्यूटी और छुट्टी नकदीकरण के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है।

क. सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिनों की प्राधिकार छुट्टी का नकदीकरण सभी योग्य कर्मचारियों को देय है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए नगदीकरण देयता **8.89 मिलियन रु.** (5.32 मिलियन रु. है।)

ख. परिभाषित लाभ योजना–

1) भविष्य निधि (फंडेड)

कंपनी पूर्वनिर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट को भविष्य निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करती है। कंपनी का दायित्व है कि वह सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर का भुगतान सुनिश्चित करे।

वर्तमान महामारी की स्थिति के कारण, 31.03.2021 को इंड–एएस 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार भविष्य निधि दायित्वों और योजना परिसंपत्तियों आदि के मूल्यांकन के लिए आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किया जा सका। बीमांकिक रिपोर्ट के अभाव में, जैसा आवश्यक प्रकटीकरण प्रति भारतीय लेखा मानक 19 वित्तीय विवरणों में नहीं किया जा सका।

2) ग्रेच्यूटी (अनफंडेड)

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है जो अनफंडेड है और इसे अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के रूप में माना जाता है। दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई के रूप में पहचाना जाता है और अंतिम दायित्व के निर्माण के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है। ग्रेच्यूटी

का भुगतान कंपनी द्वारा देय होने पर और कम्पनी योजना के अनुसार किया जाता है। वर्ष के दौरान कोई योजना संशोधन, कटौती और समझौते नहीं थे।

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में परिवर्तन

क) परिभाषित लाभ दायित्व के शेष का समाधान

2.1 (क) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को सारणी में दर्शाया गया है।

(राशि मिलियन रु. में)

अवधि	01–04–2020 से 31–03–2021	01–04–2019 से 31–03–2020
अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	56.78	42.58
ब्याज लागत	3.97	2.98
चालू सेवा लागत	8.55	7.23
पूर्व सेवा लागत	0	0
लाभ भुगतान (अन्य कोई)	(0.69)	(2.16)
एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(1.61)	6.14
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	66.98	56.78

2.1 (ख) देयताओं पर कुल एक्चूरियल (लाभ)/हानि का विभाजन

अवधि	01–04–2020 से 31–03–2021	01–04–2019 से 31–03–2020
जनसांख्यिकी मान्यताओं में परिवर्तन (मृत्यु दर) से एक्चूरियल (लाभ)/हानि	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से एक्चूरियल (लाभ)/हानि	0	4.58
योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	(1.61)	1.56
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	(1.61)	6.14

2.2 प्रमुख परिणाम (तुलन पत्र में मान्य राशि)

अवधि	31–03–2021 तक	31–03–2020 तक
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	66.98	56.78
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
कुल देयताएं/(परिसंपत्ति) तुलन पत्र में मान्य और संबंधित विश्लेषण	66.98	56.78
वित्तीय स्थिति – अधिशेष/(घाटा)	(66.98)	(56.78)

2.3 (क) लाभ और हानि विवरणी में मान्य व्यय

अवधि	01–04–2020 से 31–03–2021	01–04–2019 से 31–03–2020
ब्याज लागत	3.97	2.98

चालू सेवा लागत	8.55	7.23
पूर्व सेवा लागत	0	0
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिर्टन	(0)	(0)
लाभ एवं हानि में व्ययों को मान्य करना	12.52	10.21

2.3 (ख) अन्य व्यापक (आय)/व्यय (पुनःमापन)

अवधि	01–04–2020 से 31–03–2021	01–04–2019 से 31–03–2020
संचित मान्य एक्चूरियल (लाभ)/हानि आरंभिक शेष अग्रेषित	(13.31)	(19.46)
एक्चूरियल (लाभ)/हानि – दायित्व	(1.61)	6.14
एक्चूरियल (लाभ)/हानि – योजना परिसम्पत्तियां	0	0
कुल एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(1.61)	6.14
कुल संचित एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(14.93)	(13.31)

2.3 (ग) निवल ब्याज लागत

अवधि	01–04–2020 से 31–03–2021	01–04–2019 से 31–03–2020
निर्धारित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	3.97	2.98
योजना परिसम्पत्तियों पर ब्याज आय	0	0
निवल ब्याज लागत (आय)	3.97	2.98

2.4 अनुभव समायोजन

अवधि	01–04–2020 से 31–03–2021	01–04–2019 से 31–03–2020
योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	(1.61)	1.56
योजना परिसम्पत्तियों हेतु अनुभव समायोजन लाभ/(हानि)	0	0

3.1 मूल्यांकन की तिथि को सदस्यता डाटा और उसके आधार पर सांख्यिकी का सारांश

अवधि	31–03–2021 को	31–03–2020 को
कर्मचारियों की संख्या	764	738
कुल मासिक वेतन	14.02	12.48
औसतन विगत सेवाएं (वर्ष)	6.9	6.4
औसतन भावी सेवाएं (वर्ष)	23.1	24.9
औसत आयु (वर्ष)	36.9	35.1
वर्षों में भारित औसत अवधि (रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर)	16	17
औसत मासिक वेतन	.03	.02

3.2 कंपनी द्वारा प्रदान की गई एक्च्यूरियल मान्यताएं और गणनाओं के लिए लागू निम्नानुसार हैं:

डिस्काउंट दर	7.00% प्रति वर्ष	7.75% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	8.00% प्रति वर्ष	8.00% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आइएएलएम 2012–14	आइएएलएम 2006–08 अल्टीमेट
निकासी दर (प्रति वर्ष)	5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष)	5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)	3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष)	3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष)	2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष)

3.3 महत्वपूर्ण लाभः

सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
वेतन	अन्तिम क्वालिफाइंग वेतन	अन्तिम क्वालिफाइंग वेतन
निहित अवधि	5 वर्ष की सेवा	5 वर्ष की सेवा
सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	15/26* वेतन *विगत सेवा (वर्ष)	15/26* वेतन* विगत सेवा (वर्ष)
मृत्यु और विकलांगता के कारण जल्दी कार्यमुक्ति पर लाभ	ऊपर के अलावा कोई भी निहित स्थिति लागू नहीं होती है।	ऊपर के अलावा कोई भी निहित स्थिति लागू नहीं होती है।
सीमा	20,00,000.00	20,00,000.00

3.4 चालू देयताएं ('कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार अगले वर्ष में अपेक्षित भुगतान):

अवधि	31–03–2021 को	31–03–2020 को
चालू देयताएं (लघु अवधि)*	2.37	1.37
गैर चालू देयताएं (दीर्घावधि)	64.60	55.40
कुल देयताएं	66.98	56.78

3.5 इकाई के भविष्य के नकदी प्रवाह पर योजना के प्रभाव

3.5 (क) वित्त प्रबंधन और वित्तीय पोषण नीति–

लागू नहीं

3.5 (ख) आगामी वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संभावित योगदान

आगामी वर्ष के दौरान कंपनी के योगदान का सर्वोत्तम अनुमान	9.16	8.10

3.5 (ग) परिभाषित लाभ दायित्व की मैच्यूरिटी प्रोफाइल–भारित औसत

भारित औसत अवधि वर्ष में (डिस्काउंटेड नकद प्रवाह पर आधारित)	16	17

3.5 (घ) परिभाषित लाभ दायित्व की मैच्यूरिटी प्रोफाइलः लाभ दायित्वों का परिपक्वता विश्लेषण।

01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022	2.38
01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023	0.61
01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024	0.83
01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025	1.39
01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026	1.51
01 अप्रैल 2026 से आगे	60.27

3.6 अगली अवधि के लिए प्रक्षेपणः

अगली अवधि के दौरान योगदान के लिए सर्वोत्तम अनुमान	9.16	

3.7 संवेदनशीलता विश्लेषणः परिभाषित लाभ दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं, छूट दर और अपेक्षित वेतन वृद्धि दर हैं। मृत्यु दर में परिवर्तन का प्रभाव नगण्य है। कृपया नोट करें, नीचे प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का द्योतक नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि धारणा में परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं। संवेदनशीलता विश्लेषण के परिणाम नीचे दिए गए हैंः

अवधि	31–03–2021 को
परिभाषित लाभ दायित्व (आधार)	6,69,88,047 @ वेतन वृद्धि दर : 8% और डिस्काउंट दरः 7%
देयताएं – डिस्काउंट दर में X% वृद्धि सहित	5,93,66,820; x=1.00% [परिवर्तन 11%]
देयताएं – डिस्काउंट दर में X% कमी सहित	7,60,79,892; x=1.00% [परिवर्तन 14%]
देयताएं – वेतन वृद्धि दर में X% वृद्धि सहित	7,58,98,539; x=1.00% [परिवर्तन 13%]
देयताएं – वेतन वृद्धि दर में X% कमी सहित	5,93,66,820; x=1.00% [परिवर्तन (11)%]
देयताएं – निकासी दर में X% वृद्धि सहित	6,61,21,392; x=1.00% [परिवर्तन (1)%]
देयताएं – निकासी दर में X% कमी सहित	6,79,58,600; x=1.00% [परिवर्तन 1%]

3.8 तुलन पत्र में देयता का समाधान

अवधि	01–04–2020 से 31–03–2021	01–04–2019 से 31–03–2020
प्रारंभिक सकल परिभाषित लाभ देयताएं / (परिसम्पत्ति)	56.78	42.58
लाभ एवं हानि में मान्य किए जाने वाले व्यय	12.52	10.21
ओसीआई–एक्च्यूरियल (वृद्धि) / हानि– कुल वर्तमान अवधि	(1.61)	6.14
लाभ देय (यदि कोई हो)	(0.69)	(2.16)
अंतशेष सकल परिभाषित लाभ देयताएं / (परिसम्पत्ति)	66.98	56.78

3) छुट्टी नकदीकरण (अनफंडेड)

कंपनी की भारत में परिभाषित लाभ छुट्टी योजना (अनफंडेड) है जिसे अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के रूप में माना जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कंपनी का निवल दायित्व भविष्य में तय किए जाने वाले लाभ की राशि है,

जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान और पिछले वर्षों में अपनी सेवा के बदले अर्जित किया है। इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए लाभ में छूट दी गई है। दायित्व को अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मापा जाता है।

2.1 (क) वर्तमान मूल्य दायित्व में परिवर्तन को सारणी में दर्शाया गया है।

अवधि	01–04–2020 से 31–03–2021	01–04–2019 से 31–03–2020
अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	25.48	22.76
ब्याज लागत	1.78	1.59
चालू सेवा लागत	5.60	3.73
लाभ भुगतान (अन्य कोई)	(0.30)	(0.19)
एक्चूरियल (लाभ)/हानि	1.49	(2.40)
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	34.07	25.48

2.1 (ख) देयताओं पर कुल एक्चूरियल (लाभ)/हानि का विभाजन

अवधि	01–04–2020 से 31–03–2021	01–04–2019 से 31–03–2020
जनसांख्यिकी मान्यताओं में परिवर्तन (मृत्यु दर) से एक्चूरियल (लाभ)/हानि	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से एक्चूरियल (लाभ)/हानि	0	2.13
योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	1.49	(4.54)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	1.49	(2.40)

2.2 प्रमुख परिणाम (तुलन पत्र में मान्य राशि)

अवधि	31–03–2021 तक	31–03–2020 तक
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	34.07	25.48
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
कुल देयताएं/(परिसंपत्ति) तुलन पत्र में मान्य और संबंधित विश्लेषण	34.07	25.48
वित्तीय स्थिति–अधिशेष/(घाटा)	(34.07)	(25.48)

2.3 लाभ और हानि की विवरणी में मान्य व्यय

अवधि	01–04–2020 से 31–03–2021	01–04–2019 से 31–03–2020
ब्याज लागत	1.78	1.59
चालू सेवा लागत	5.61	3.73
नियोजित परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिर्टन	(0)	(0)

निवल एक्चूरियल (लाभ)/हानि की अवधि में मान्य	1.49	(2.41)
लाभ एवं हानि में व्ययों को मान्य करना	8.89	2.92

2.4 अनुभव समायोजन

अवधि	01–04–2020 से 31–03–2021	01–04–2019 से 31–03–2020
योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	1.49	(4.54)
योजना परिसम्पत्तियों हेतु अनुभव समायोजन लाभ/(हानि)	0	0

3.1 मूल्यांकन की तिथि को सदस्यता डाटा और उसके आधार पर सांख्यिकी का सारांश

अवधि	31–03–2021 को	31–03–2020 को
कर्मचारियों की संख्या	764	738
कुल मासिक वेतन	14.02	12.48
औसतन विगत सेवाएं (वर्ष)	6.9	6.4
औसतन भावी सेवाएं (वर्ष)	23.1	24.9
औसत आयु (वर्ष)	36.9	35.1
कैपिंग सहित/कैपिंग रहित कुल अवकाश	43114/43134	33634/33636
कुल सीटीसी/उपलब्ध दर	28.05/3%	24.95/3%
वर्षों में भारित औसत अवधि (रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर)	18	18
औसत मासिक वेतन	रु. 18359	रु. 16909

3.2 कंपनी द्वारा प्रदान की गई बीमांकिक मान्यताओं और गणनाओं के लिए नियोजित किया गया।

	31–03–2021 को	31–03–2020 को
डिस्काउंट दर	7.00% प्रति वर्ष	7.75% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	8.00% प्रति वर्ष	8.00% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आइएएलएम 2012–14	आइएएलएम 2012–14 अल्टीमेट
निकासी दर (प्रति वर्ष)	5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष)	5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)	3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष)	3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष)	2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष)

3.3 महत्वपूर्ण लाभः

सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
वेतन	कम्पनी के नियमानुसार	कम्पनी के नियमानुसार
सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	1/30 *वेतन, *छुट्टियों की संख्या	1/30 *वेतन, *छुट्टियों की संख्या
जल्दी कार्यमुक्ति पर लाभ	उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार	उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार
मृत्यु पर लाभ	उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार	उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार

3.4 चालू देयताएं (*कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार अगले वर्ष में अपेक्षित भुगतान):

अवधि	31–03–2021 को	31–03–2020 को
चालू देयताएं (लघु अवधि)*	1.44	0.74
गैर चालू देयताएं (दीर्घावधि)	32.63	24.74
कुल देयताएं	34.07	25.48

3.5 संवेदनशीलता विश्लेषणः परिभाषित लाभ दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं, छूट दर और अपेक्षित वेतन वृद्धि दर हैं। मृत्यु दर में परिवर्तन का प्रभाव नगण्य है। कृपया नोट करें, नीचे प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का द्योतक नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि धारणा में परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं। संवेदनशीलता विश्लेषण के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

अवधि	31–03–2021 को
परिभाषित लाभ दायित्व (आधार)	34.06
देयताएं – डिस्काउंट दर में X% वृद्धि सहित	2,99,66,083; x=1.00% [परिवर्तन (12)%]
देयताएं – डिस्काउंट दर में X% कमी सहित	3,90,27,879; x=1.00% [परिवर्तन 15%]
देयताएं – वेतन वृद्धि दर में X % वृद्धि सहित	3,89,28,269; x=1.00% [परिवर्तन 14%]
देयताएं – वेतन वृद्धि दर में X % कमी सहित	2,99,66,083; x=1.00% [परिवर्तन (12)%]
देयताएं – निकासी दर में X% वृद्धि सहित	3,37,03,101; x=1.00% [परिवर्तन (1)%]
देयताएं – निकासी दर में X% कमी सहित	3,44,92,897; x=1.00% [परिवर्तन 1%]

3.6 तुलन पत्र में देयता का समाधान

अवधि	01–04–2019 से 31–03–2021	01–04–2018 से 31–03–2020
प्रारंभिक सकल परिभाषित लाभ देयताएं / (परिसम्पत्ति)	25.48	22.76
लाभ एवं हानि में मान्य किए जाने वाले व्यय	8.89	5.32
लाभ देय (यदि कोई हो)	(0.30)	(0.19)
अंतशेष सकल परिभाषित लाभ देयताएं / (परिसम्पत्ति)	34.07	25.48

39. आस्थगित कर परिसंपत्तियां / देयता

कंपनी घाटे में रही है, इसलिए इस बात के ठोस प्रमाण नहीं होने के कारण कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके स्थान पर अप्रयुक्त कर नुकसान, कटौती योग्य समय के अंतर या अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग यूनिट द्वारा निकट भविष्य में किया जा सकता है, वित्तीय विवरणियों में आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयताओं की गणना नहीं की गई है।

40. इंड–एएस 33 के अनुसार प्रकटीकरण ''प्रति शेयर आय''

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
कर पश्चात लाभ / (हानि) विवरणी के अनुसार लाभ और हानि (रु. में)	(3,60,09,43,517)	(2,35,20,07,567)

भारित औसत इक्विटी शेयरों की सं. (संख्या)	4,02,25,000	4,02,25,000
ईपीएस बेसिक और डायल्यूटिड (रुपये में)	(89.52)	(58.47)

41. प्रकटीकरण के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के संदर्भ में, इन उद्यमों के बकाया राशि का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है। SAP प्रणाली में वेंडर मास्टर में एक क्षेत्र, माइनॉरिटी संकेतक होता है, जिसे विक्रेता को SSI के रूप में पहचानने के लिए अद्यतन किया जाता है। एसएसआई विक्रेताओं के अधिक विवरणों को रिकार्ड करने के लिए प्रणाली को विकसित किया जा रहा है, जैसे कि प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने वाली एजेंसी, वैधता, आदि।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (पहचानी गई सीमा तक) के तहत कवर किए गए अधिकतर उपक्रमों को आपूर्तिकर्ता के साथ निर्धारित समय सीमा / तिथि के भीतर भुगतान किया गया है। एमएसएमई को देरी से भुगतान करने पर कोई ब्याज देयता नहीं है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की 31 मार्च 2021 को सूचना

विवरण	31 मार्च, 2021 (राशि मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2020 (राशि मिलियन रु. में)
क) आपूर्तिकर्ता की शेष बकाया राशि		
मूल राशि	4.89	10.39
उस पर ब्याज		
ख) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई राशि, नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि के साथ।	शून्य	शून्य
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए ब्याज की देय राशि और देय (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
घ) उपार्जित ब्याज की राशि और भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य
च) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में छूट रोकने के प्रयोजन के लिए, आगे के वर्षों तक बकाया व देय ब्याज की राशि शेष राशि तब तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान की जाती है।	शून्य	शून्य

42. गोइंग कंर्सन

कंपनी (एअर इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के कारण) को एअर इंडिया के विनिवेश के बाद पूरी तरह से चालू करने के लिए भारत सरकार से पूर्ण समर्थन प्राप्त है और कंपनी ने अपनी प्रचालन क्षमता और लागत नियंत्रण उपायों में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। चूंकि कंपनी को प्रचालन और वित्तीय निष्पादन में सुधार की उम्मीद है और कंपनी को पूरी तरह से चलाने के लिए भारत सरकार से समर्थन प्राप्त है, इसलिए कंपनी के वित्तीय विवरण संचित घाटे के बावजूद ''गोइंग कंसर्न'' के आधार पर तैयार किए गए हैं और निवल मूल्य घट रहा है।"

कंपनी भारत सरकार की योजना 'उड़ान' में एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में उभरी है, जो गैर–सेवित/अल्पसेवित एयरपोर्टों के विकास के साथ विभिन्न टायर II और टायर III शहरों को जोड़ती है। टायर II और टायर III शहरों में वृद्धि अभी भी काफी हद तक अप्रयुक्त है और एलाइंस एअर के इन छोटे हवाई अड्डों पर प्रचालन के लिए उपयुक्त नवीन एटीआर 72–600 बेड़े के साथ सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरने की संभावना है।

कंपनी ने भारत सरकार की 'उड़ान' योजना में प्रमुख संसाधनों का निवेश करने के लिए रणनीतिक योजना बनाई है। 'उड़ान' के तहत एयरलाइन का निष्पादन उत्कृष्ट रहा है, जिसमें कंपनी का प्रचालन सकारात्मक रहा है। कंपनी द्वारा हासिल किए गए कुल उड़ान मार्ग अब 109 है। आबंटित मार्गों में से, कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक 73 मार्गों का संचालन किया, जो 31 मार्च 2020 तक 61 मार्ग थे। वर्ष 2020–21 में एएएएल द्वारा प्रचालित कुल मार्ग में से लगभग 56% मार्ग उड़ान योजना के तहत थे। एलाइंस एअर उड़ान क्षेत्रों पर अधिक संसाधनों को तैनात करके लाभप्रदता की ओर बढ़ रही है, क्योंकि उड़ान योजना के तहत एएएएल प्रचालन पर परिचालन लाभ प्राप्त कर रही है। कम्पनी द्वारा उड़ान–4.1 में सक्रिय रूप से भाग लिया गया व अंतिम आबंटन प्रतिक्षित है।

एलाइंस एअर टर्नअराउंड की दहलीज पर है और अगले दशक में भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का नेतृत्व करने और एशिया का एक प्रमुख क्षेत्रीय वाहक बनने की ओर अग्रसर है। एलाइंस एअर ने इस वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रतिकूल वित्तीय मापदंडों की प्रवृत्ति को उलटने की योजना बनाई और इसके बाद लाभ को और मजबूत किया।

43. राजस्वः

कंपनी, यात्री, कार्गो, बैगेज और अन्य राजस्व से संबंधित डाटा के प्रसंस्करण के लिए एक बाहरी एजेंसी की सेवाओं का लाभ उठा रही है। टिकटों की बुकिंग आदि के लिए एआईएल की प्रणाली का उपयोग किया गया है। समूह से संबंधित राजस्व डाटा, एआईएल द्वारा आउट सोर्स एजेंसी को उपलब्ध करवाया जाता है और संसाधित डाटा उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। एएएएल से संबंधित राजस्व को एएएएल को सौंपे गए कोड के आधार पर अलग किया गया है, और एफटीपी सर्वर पर अपलोड की गई रिपोर्टों के आधार पर लेखांकित किया गया है। एआईएल द्वारा एएएएल के राजस्व को मान्य करने के लिए रिपोर्ट के प्रसंस्करण और उत्पादन के लिए डाटा, जो एएएएल राजस्व की मान्यता के लिए आधार है, का रखरखाव किया जाता है। इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार, मूल कंपनी द्वारा आउटसोर्स एजेंसी द्वारा संसाधित डाटा की प्रामाणिकता और सटीकता का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है।

44. क्षेत्रीय सम्पर्क योजना

31.3.2021 तक आरसीएस (4 राउंड) के तहत एएएएल को (बोली प्रक्रिया के माध्यम से) 109 मार्ग आंबटित किए गए, जिनमें से 73 प्रचालन में हैं। आने वाले महीनों में शेष मार्गों का शुभारंभ किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें आबंटन के दूसरे दौर में प्रदान किए गए 10 मार्ग शामिल हैं, आबंटन के तीसरे दौर में दिए गए 12 मार्ग और आबंटन के 3.1 दौर में 06 मार्ग और आबंटन के दौर में दिए गए 08 मार्ग शामिल हैं जो 31.03.2021 तक प्रचालन में नहीं हैं, हालांकि एलओआई की शर्तों के अनुसार वर्ष 2020–21 के दौरान इन्हें चालू करना आवश्यक है। प्रबंध मंडल के विचार में मार्गों का परिचालनात्मक नहीं होना एएएएल की ओर से नहीं है और ये विलम्ब विभिन्न तथ्यों पर आधारित है जो कि एएएएल के नियंत्रण के अधीन नहीं है। एएएएल की ओर से विलम्ब नहीं हुआ है, इसलिए एएएएल मार्ग प्रचालनात्मक करने में उपर्युक्त विलम्ब का उत्तरदायी नहीं है।

45. मैसर्स गति

एअर इंडिया लि. व मैसर्स गति के बीच मालवाहक चार्टर प्रचालन (एएएएल द्वारा किए जा रहे) हेतु करार गति द्वारा मार्च, 2009 में समाप्त कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप गति के पास जमा करवाए गए 300 मिलियन रु. की बैंक गारंटी एअर इंडिया द्वारा इन्वोक की गई। मध्यस्थता अभिकरण द्वारा अधिनिर्णय दिया गया जिसके विरूद्ध एअर इंडिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में अपील दायर की गई है जिन्होंने मध्यस्थता अभिकरण के निर्णय को मान्य ठहराया। दिल्ली उच्च न्यायालय (डबल बेंच) में इस आदेश के विरोध में अपील फाइल करने हेतु एअर इंडिया लि. द्वारा 17/11/2015 को माननीय उच्च न्यायालय में डिपॉजिट मनी के रूप में 220 मिलियन रु. जमा करवाए गए हैं। मामला न्यायाधीन है तथापि इस जमा के

विरुद्ध आवश्यकतानुसार संदिग्ध रक्षा जमा के रुप में 220 मिलियन रु. का प्रावधान किया गया है। अंतिम सुनवाई 18.02.2020 को हुई थी, हालांकि मामले को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने कोविड–19 महामारी के कारण सभी मामलों को नहीं लिया है। सुनवाई की अगली तिथि जिरह के लिए 09.07.2021 है।

46. प्रावधान व्यय पर टीडीएस

2021–22 के दौरान वैंण्डर से प्राप्त बिलों के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन 2020–21 में सेवा का लाभ लिया है। (अर्थात, 2020–21 के बाद के सभी बिल) अपनाई गई प्रणालीनुसार 2020–21 के लिए बनाए गए प्रावधानों को 2021–22 में रिवर्स कर दिया गया है और 2021–22 में प्राप्त वास्तविक बिलों को 2021–22 में लागू टीडीएस में कटौती के बाद वैंण्डर के बहीखातों में बुक किया गया है। जीएसटी परिदृश्य के कारण, 2021–22 में प्राप्त बिल को 2020–21 के बिलों के लिए टीडीएस की कटौती के बिना प्रावधान किए गए हैं।

47. इंड एएस 116 के प्रकटीकरण के अनुसार ''लीज़''

क) कंपनी द्वारा 18 एटीआर 72–600 एयरक्राफ्ट लीज पर लिए गए हैं। लीज़ के संबंध में भविष्य के न्यूनतम लीज़ किराये के आधार पर देयताएं निम्नानुसार हैं: –

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक		31 मार्च, 2020 तक	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
लीज देयताएं	21954.42	2252.96	21651.18	34.51

ख) **लीज़ के लिए प्रकटीकरण जहां कंपनी इंड एएस 116 में पट्टेदार है –**

कंपनी की लीज़ परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से विमान और इंजन के लीज़ शामिल हैं।

लघु अवधि लीज़

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने लघु अवधि हेतु लीज़ 22.29 मिलियन रु. के व्यय को मान्य किया और लीज़बद्ध इंजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य अल्पकालिक लीज़ का पोर्टफोलियो, जिसके लिए कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रतिबद्ध है, अन्य लघु–अवधि के लीज़ के पोर्टफोलियो से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं है, जिसके लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय को मान्यता दी गई है।

इंड–एएस 116 के अनुसार लीज़ संशोधन का प्रभाव

वर्ष के दौरान कंपनी ने SARS-CoV-2 (कोविड–19) के प्रकोप के कारण लीज़कर्ता के साथ लीज़ समझौतों को संशोधित किया है। 01.04.2020 को शेष लीज अवधि के लिए, लीज़कर्ता आरंभ में लीज रेंटल को कम करने और लीज अवधि को 2 साल तक बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं, जिससे कुल लीज अवधि में वृद्धि हुई है।

कंपनी ने लीज़ अवधि और लीज रेंटल में इस तरह के बदलाव को इंड–एएस 116 "लीज़" के अनुसार लीज़ के संशोधन के रूप में मान्यता दी है। वर्ष के दौरान लीज़ देयता और आरओयू परिसम्पत्तियों में संशोधन के प्रभाव निम्नलिखित हैं –

इंड–एएस 116 के अनुसार लीज़ संशोधन का प्रभाव ''लीज़''					
क्र सं.	विवरण	31.03.2020 को अंतशेष	संशोधन शेष 01.04.2020 को देय लीज़ संशोधन	अंतर	टिप्पणी

1	परिसंपत्तियों का उपयोग	19,053.33	24,437.54	5,384.22	लीज़ देयता में वृद्धि के कारण आरओयू परिसंपत्ति में वृद्धि 5,293.29 मिलियन रु. और रि–डिलीवरी हेतु प्रावधान राशि 90.92 मिलियन रु.।
2	लीज़ देयताएं	21,651.18	26,944.47	5,293.29	लीज़ संशोधन के कारण लीज़ देयता में वृद्धि
3	रि–डिलीवरी प्रावधान	468.94	559.86	90.92	लीज़ संशोधन के कारण रि–डिलीवरी के प्रावधान में वृद्धि
		संशोधन से पहले	संशोधित पट्टों हेतु बाद में संशोधन		
	छूट दर	3.1675%	0.6840%		

1 अप्रैल 2020 को लीज़ अवधि में संशोधन की तिथि पर कंपनी पर लागू वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करते हुए 26944.47 मिलियन रुपये की लीज़ देनदारियां और आरओयू परिसंपत्ति को 24997.40 मिलियन रु. की मान्यता दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 2020 को लीज़ संशोधन के कारण लीज़ देयताओं में 5293.29 मिलियन रुपये की लीज़ दायित्व में वृद्धि हुई है।

अन्य प्रकटीकरण

(राशि मिलियन रु. में)

1) लीज़ देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण		
विवरण	**2020-21**	2019-20
एक वर्ष से कम	2492.93	2943.39
एक से 5 वर्ष	10959.00	11773.57
5 वर्ष से अधिक	11458.32	10165.52
31 मार्च 2021 को कुल गैर छूट प्राप्त लीज़ देयताएं	**24910.25**	24882.48
31 मार्च 2021 को वित्तीय स्थिति विवरणी में शामिल लीज़ देयताएं	**24207.38**	21727.60
2) लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य की गई राशि		
विवरण	**2020-21**	2019-20
आरओयू परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास व्यय	2381.85	2266.65
लीज़ देयताओं पर ब्याज	222.24	722.69
लीज़ देयताओं की माप में शामिल नहीं वैरिएबल लीज़ भुगतान	0	0
राइट ऑफ यूज परिसंपत्ति को उप लीज़ पर देने से आय	0	0
अल्पावधि लीज़ से संबंधित व्यय*	22.29	75.64
कम मूल्य की परिसंपत्तियों के अल्पावधि लीज़ को छोड़कर, कम मूल्य की परिसंपत्तियों के लीज़ से संबंधित व्यय	0	0
*** लीज़ पर लिए गए इंजनों को अल्पावधि लीज़ के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि लीज़ अवधि 12 महीने से कम है। इसके कारण प्रबंधन ने व्यावहारिक प्रणाली का लाभ उठाया है।**		

3) नकदी प्रवाह विवरणी में मान्य की गई राशि		
विवरण	**2020-21**	2019-20
निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह में दिखाई गई राशि देयताओं के लिए कुल नकद आउटफ्लो	2193.07	2599.71

48. लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिकः

लेखापरीक्षा शुल्क और लेखा परीक्षकों के व्यय का विवरणः –

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	**2020–21**	2019–20
सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान		
सांविधिक लेखा शुल्क	1.20	1.20
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.15	0.15
जीएसटी लेखा परीक्षा शुल्क	0.00	0.25
कुल	**1.35**	**1.60**
अन्य लेखा परीक्षकों को भुगतान		
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.22	0.50
अन्य मामलों के लिए शुल्क	0.06	0.07
कुल	**0.28**	**0.57**
सकल कुल	**1.63**	**2.17**

49. कंपनी अधिनियम 2013 के कंपनियों के अनुच्छेद 77 के अनुसार रजिस्ट्रार के साथ कम्पनी के 2805.03 मिलियन रु. (पिछले वर्ष 2805.04 मिलियन रु.) के पंजीकृत प्रभार हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 82 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कर कंपनी इन प्रभारों को चुकाने की प्रक्रिया में है।

50. पूंजी प्रबंधनः

कंपनी का उद्देश्य एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखते हुए शेयर धारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करना है। प्रबंधन, पूंजी पर रिटर्न तथा ऋण इक्विटी अनुपात को मॉनीटर करती है तथा व्यापार के विकास के लिए पूंजीगत संरचना में आवश्यक समायोजन करता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की पूंजीगत संरचना के प्रबंधन से संबंधित उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रियाओं में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए।

ऋण इक्विटी अनुपातः

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	**31 मार्च, 2021 को**	31 मार्च, 2020 को
उधार	20656.16	17111.08
कुल ऋण (क)	**20656.16**	**17111.08**
इक्विटी शेयर पूंजी	4022.50	4022.50

अन्य इक्विटी	(30534.11)	(26934.78)
कुल इक्विटी (ख)	**(26511.61)**	**(22912.28)**
ऋण इक्विटी अनुपात (क/ख)	**(0.78)**	**(0.75)**

इक्विटी पर रिर्टन और पूंजीगत गेयरिंग अनुपात :

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**(3600.94)**	**(2352.01)**
इक्विटी शेयर पूंजी	4022.50	4022.50
अन्य इक्विटी	(30534.10)	(26934.78)
कम्पनी के स्वामित्व वाली इक्विटी	**(26511.60)**	**(22912.28)**
इक्विटी अनुपात (%) पर रिर्टन	**(13.58%)**	**(10.27%)**
पूंजीगत गेयरिंग अनुपात	**(5.14)**	**(4.25)**

51. फेयर वेल्यू मैजरमेंट तथा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट

फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट – श्रेणी तथा उचित मापन क्रम के अनुसार

नीचे दी गई तालिका कैरिंग राशि तथा वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य, जिसमें निष्पक्ष बाज़ार मूल्य क्रम के अनुसार उनके स्तर शामिल है, दर्शाती है:–

i) **31 मार्च, 2021 को**

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	वर्ग				उचित मापन मूल्य		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	अमार्टराइज़्ड लागत	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्ति							
गैर चालू							
अन्य **			714.03	714.03	0.00	0.00	0.00
चालू							
व्यापार प्राप्य*			636.60	636.60	0.00	0.00	0.00
नकद और नकद समकक्ष*			48.87	48.87	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त (ख) के अलावा* बैंक शेष			22.72	22.72	0.00	0.00	0.00
ऋण*			324.84	324.84	0.00	0.00	0.00
अन्य			116.77	116.77	0.00	0.00	0.00

वित्तीय देयताएं							
गैरचालू							
अन्य							
चालू							
उधारी			20656.16	20656.16	0.00	0.00	0.00
व्यापार देय			8900.61	8921.51	0.00	0.00	0.00
अन्य			2714.53	2714.53	0.00	0.00	0.00

ii) **31 मार्च, 2020 को**

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	वर्ग				उचित मापन मूल्य		
	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसी आई	अमार्टराइज्ड लागत	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्ति							
गैर चालू							
अन्य			815.32	815.32	0.00	0.00	0.00
चालू							
व्यापार प्राप्य *			787.55	787.55	0.00	0.00	0.00
नकद और नकद समकक्ष* (ख)			307.75	307.75	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त (ख) के अलावा बैंक शेष			14.36	14.36	0.00	0.00	0.00
ऋण*			443.96	443.96	0.00	0.00	0.00
अन्य			189.21	189.21	0.00	0.00	0.00
वित्तीय देयताएं							
गैर चालू							
अन्य							
चालू							
उधार			17111.08	17111.08	0.00	0.00	0.00
व्यापार देय			8219.68	8219.68	0.00	0.00	0.00
अन्य			549.39	549.39	0.00	0.00	0.00

*व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, नकदी एवं नकदी तुल्यों, नकदी एवं नकदी समकक्ष को छोड़कर बैंक शेष तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की कैरिंग राशि अपनी अल्पावधि प्रकृति के कारण उचित मूल्य के लगभग बराबर होती है।

**अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्ति रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के बाद परिपक्वता बैंक जमा व अर्जित ब्याज पर वित्तीय साधनों पर देय नहीं है को दर्शाता है। रिपोर्टिंग तिथि पर इसका कैरिंग मूल्य उचित मूल्यों को अनुमानित करता है।

52. वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां:

कंपनी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिमों से प्रभावित होती है:–

i क्रेडिट जोखिम

ii लिक्विडिटी जोखिम

iii बाज़ार जोखिम

क) ब्याज दर जोखिम

ख) मुद्रा जोखिम

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और डेरिवेटिव शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्षों को वित्त उपलब्ध करवाना है जो सीधे इनके परिचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी क्रेडिट जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और बाज़ार जोखिम से प्रभावित है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों का प्रबंधन देखता है जिसकी सहायता एक ट्रेजरी (सरकारी) टीम द्वारा की जाती है। यह ट्रेजरी टीम कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को यह आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित हैं और उन वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंध कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार किया जाता है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए समस्त डेरिवेटिव गतिविधियां विशेषज्ञ टीमों द्वारा कराई जाती है जिनके पास उपयुक्त कौशल, अनुभव और पर्यवेक्षण होता है। यह कंपनी की नीति है कि सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए डेरिवेटिव में कोई ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम का प्रबंध करने के लिए नीतियों की समीक्षा और अनुमोदन करते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

(i) क्रेडिट जोखिम

किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट का कोई ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष अपने कॉन्ट्रेक्ट के दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो कंपनी की वित्तीय हानि का जोखिम, क्रेडिट जोखिम कहलाता है।

कंपनी अपनी प्रचालन गतिविधियों (मुख्यतः व्यापार प्राप्यों) और बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में जमा विदेशी विनिमय लेन–देनों एवं अन्य वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स सहित, निवेश गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट जोखिम से प्रभावित है।

रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट में अधिकतम एक्सपोज़र मुख्यतः व्यापार प्राप्यों से होता है। व्यापार प्राप्य आरक्षित हैं व ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त किए जाते हैं। कंपनी उस आर्थिक वातावरण को मॉनीटर करती है जिसमें यह प्रचालन करती है। कंपनी अपने क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन क्रेडिट अनुमोदनों के माध्यम से, क्रेडिट सीमाएं निर्धारित कर तथा उन ग्राहकों, जिन पर कंपनी व्यवसाय की सामान्य स्थिति में क्रेडिट शर्तें लगाती है, की क्रेडिट योग्यता को निरंतर मॉनीटर करके करती है।

कंपनी अपनी अधिकांश यात्री सेवाओं को एजेंटों (ग्राहकों) को जमा योग्यता द्वारा ऑन लाइन माध्यमों से बेचती है।

इंड एएस 109 को स्वीकार करने पर, कंपनी लाभ या हानि की क्षति का निर्धारण करने के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि मॉडल का उपयोग करती है। व्यापार प्राप्य के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करने के लिए कंपनी एक प्रोविजन मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रोविजन मैट्रिक्स उपलब्ध आंतरिक क्रेडिट जोखिम घटक जैसे ग्राहकों के लिए कंपनी का ऐतिहासिक अनुभव, पर विचार करती है। जिस व्यावसायिक वातावरण में कंपनी प्रचालन करती है उसके आधार पर प्रबंधन यह मान लेता है कि यदि भुगतान 36 महीनों से अधिक समय से देय हैं तो व्यापार प्राप्य (सरकारी विभागों से प्राप्त प्राप्यों को छोड़कर) डिफाल्ट में है।

वर्षान्त में व्यापार प्राप्य में यात्री सेवाओं से उत्पन्न राजस्व के **636.60 मिलियन रु.** (787.55 मिलियन रु.) शामिल है।

व्यापार प्राप्य के लिए कंपनी का क्रेडिट जोखिम निम्नानुसार है:

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31/03/2021 तक		31/03/2020 तक	
	सकल कैरिंग राशि	हानि भत्ता	सकल कैरिंग राशि	हानि भत्ता
अदेय ऋण				
अतिदेय ऋण	636.60	26.46	787.55	26.46

व्यापार प्राप्यों के संबंध में क्षति हेतु भत्तों में परिवर्तन :

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	वर्ष 31 मार्च, 2021 की समाप्ति के लिए	वर्ष 31 मार्च, 2020 की समाप्ति के लिए
वर्ष के आरंभ में शेष	26.46	50.20
वर्ष के दौरान जोड़े गए	0.00	23.68
वर्ष के दौरान बट्टे खाते/समायोजन	0.00	(47.42)
वर्ष के अंत में शेष	26.46	26.46

ii) लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को डिलीवर करके निपटाया जाता है।

लिक्विडिटी का प्रबंध करने के लिए कंपनी की पद्धति यह है कि अस्वीकार्य हानियों अथवा कंपनी की प्रतिष्ठा को क्षति का जोखिम उठाए बिना सामान्य और दबाव वाली दोनों प्रकार की परिस्थितियों में उचित समय पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी रखी जाए।

कम्पनी यह मानती है कि इसकी लिक्विटी की स्थिति जिसमें (अभारित बैंक जमा प्रोद्भूत परंतु देय नहीं ब्याज को छोड़कर) नकदी, प्रत्याशित भविष्य में प्रचालनों से आंतरिक रूप से सृजित निधियों तथा इसकी पूर्णतः उपलब्ध रिवॉल्विंग अन–आहरित शून्य रु. (31 मार्च 2020: शून्य रुपए) की क्रेडिट सुविधा इससे व्यवसाय की सामान्य स्थितियों में इसके भविष्य के निर्धारित दायित्वों को पूरा करने में समर्थ बनाएगी तथापि यदि लिक्विटी को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी हो तो, कम्पनी यह मानती है कि उसके पास मूल कम्पनी के साथ वित्त पोषण, व्यवस्था करने का मार्ग है जिससे वह इसकी वर्तमान ऑनगोइंग पूंजीगत, प्रचालनात्मक और लिक्विटी आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ होगी। कम्पनी जरूरत के अनुसार लिक्विटी को बढ़ाने और नकदी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न उधारियों अथवा लिज़िग विकल्पों पर विचार करना जारी रखेगी।

प्रबंध वर्ग द्वारा किए गए मॉनीटरिंग के अनुसार कंपनी की लिक्विडिटी प्रबंधन प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित है :–

- भावी नकदी प्रवाह की मॉनीटरिंग द्वारा दिन प्रतिदिन की फंडिंग का प्रबंध किया जाता है जिससे आवश्यता की पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती हो।
- अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की लिक्विडिटी की स्थिति के रोलिंग (अनवरत) पूर्वानुमान को मेंटेन

करना।

- विविध क्रेडिट लाइनों को मेंटेन करना।

लिक्विडिटी जोखिम में एक्सपोज़र

रिपोर्टिंग डाटा में वित्तीय देयताओं की बकाया संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नानुसार है। संविदात्मक नकदी प्रवाह राशि समग्र हैं एवं छूट प्राप्त नहीं है और इनमें उपार्जित ब्याज सम्मिलित है।

(राशि मिलियन रु. में)

	संविदात्मक नकद फ्लो				
31 मार्च, 2021 तक	कैरिंग राशि	1 वर्ष तक	1–5 वर्ष	5 साल से अधिक	कुल
होल्डिंग कंपनी को देय	20656.16	20656.16			20656.16
व्यापार देय	8900.61	8900.61			8900.61
अन्य वित्तीय देयताएं	2714.53	2714.53			2714.53
विमान लीज़	24910.25	2492.93	10959.00	11458.32	24910.25
जीएमएसए	419.96	419.96			419.96
कुल	**57601.51**	**35184.19**	**10959.00**	**11458.32**	**57601.51**

	संविदात्मक नकद फ्लो				
31 मार्च, 2020 तक	कैरिंग राशि	1 वर्ष तक	1–5 वर्ष	5 साल से अधिक	कुल
होल्डिंग कंपनी को देय	17111.08	17111.08			17111.08
व्यापार देय	8219.69	8219.69			8219.69
अन्य वित्तीय देयताएं	549.39	549.39			549.39
विमान लीज़	24882.48	2943.39	11773.57	10165.52	24882.48
जीएमएसए	356.23	356.23			356.23
कुल	**51118.87**	**29179.78**	**11773.57**	**10165.52**	**51118.87**

(iii) **बाज़ार जोखिम**

बाज़ार जोखिम वह है जिसमें बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के उचित मूल्य और भावी नकदी प्रवाहों में उतार–चढ़ाव होता है। बाज़ार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम सम्मिलित हैं, जिनके नाम हैं मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य लाभ को इष्टतम बनाते हुए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाज़ार जोखिम का प्रबंध एवं नियंत्रण करना है।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के भावी नकदी प्रवाहों में उतार–चढ़ाव होता है। बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तनों के जोखिम का संबंध मुख्य रूप से कंपनी की फ्लोटिंग ब्याज दरों वाली उधारियों से होता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रबंध वर्ग को रिपोर्ट किए गए के अनुसार ब्याज दर परिवर्तनों के लिए कंपनी की उधारियों से संबंधित एक्सपोज़र निम्नानुसार है:–

(राशि मिलियन रु. में)

परिवर्तनशील दर इन्स्ट्रूमेंट	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
होल्डिंग कम्पनी को देय	20656.16	17111.08
कुल	**20656.16**	**17111.08**

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि को ब्याज दरों में तार्किक रूप से संभव 0.50 प्रतिशत का परिवर्तन लाभ एवं हानि को नीचे दर्शाई गई राशि तक प्रभावित करेगा। विश्लेषण के अनुसार अन्य सभी परिवर्तनशील दरें विशेष रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, अपरिवर्तनीय रहती हैं।

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	लाभ और हानि का विवरण	
दूसरों से लिए गए विदेशी मुद्रा आवधिक ऋण पर तथा वित्त लीज़ देयता पर ब्याज में वृद्धि / (कमी)	0.50% तक बढ़ाए	0.50% तक कमी
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	103.28	(103.28)
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	85.55	(85.55)

ख) मुद्रा जोखिम

मुद्रा जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाहों पर प्रचलित विदेशी मुद्रा दरों में उतार–चढ़ाव के प्रभावों से प्रभावित है। एक्सपोज़र मुख्य रूप से कार्यात्मक मुद्रा और कंपनी की प्रचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों से प्राप्त अन्य मुद्राओं के बीच विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के कारण होता है।

53. इंड–एएस 115 के अनुसार प्रकटन, ग्राहकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट से प्राप्त राजस्वः

राजस्व को इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होने की संभावना हो और राजस्व का मापन विश्वसनीयता से किया जा सके भले ही भुगतान कभी भी किया जाए।

कंपनी का प्रमुख राजस्व सेवाओं (यात्री और कार्गो) से प्राप्त होता है। प्रमुख गतिविधि का विवरण निम्नानुसार है।

प्रकृति, कार्य निष्पादन दायित्व की पूर्ति का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें

यात्री राजस्व को यात्रा करने वाले यात्रियों के आधार पर अर्थात् सेवाएं प्रदान करने पर, यात्रियों को दी गई छूट के पश्चात् निवल मान्यता प्राप्त राजस्व, लागू करों और यात्री सेवा शुल्क, प्रयोक्ता विकास शुल्क इत्यादि जैसे एयरपोर्ट करों के आधार पर मान्य किया जाता है।

कार्गो राजस्व को वस्तुओं के परिवहन, एयरपोर्ट करों व लागू करों के निवल जैसी सेवाएं प्रदान करने पर मान्य किया जाता है।

कॉन्ट्रक्ट की शर्तों के अनुसार संबंधित राशि के बिल तैयार किए जाते हैं एअर इंडिया के साथ मास्टर सर्विस समझौते के तहत संविदात्मक आधार पर सहमत क्रेडिट अवधि के दौरान इनका भुगतान किया जाता है।

राजस्व का विभाजन

राजस्व मान्यता सेवाओं की प्रकृति व प्रकार के आधार पर राजस्व का विभाजन किया जाता है।

सेवाओं का प्रतिपादन

(राशि मिलियन रु. में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1	यात्री	2443.63	7047.87
2	अतिरिक्त सामान	38.08	76.62
3	डाक	2.13	2.10
4	कार्गो	51.95	9.45
5	चार्टर	17.18	30.80
6	सरकार से प्रचालन हेतु अनुदान	1971.11	2388.92
7	हैंडलिंग सेवाएं एवं आकस्मिक राजस्व	11.31	374.53
	कुल	**4535.39**	**9930.29**

निम्नलिखित सारणी में व्यापार प्राप्य के प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष की सूचना प्रदान की गई है:

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
व्यापार प्राप्य	**636.60**	**787.55**

31 मार्च 2021 तक कंपनी 73 मार्गों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के तहत प्रचालन कर रही है, यह मार्ग बोली प्रक्रिया के माध्यम से 3 साल की वैधता के लिए दो राउंड में कंपनी को प्रदान किए गए हैं। आरसीएस समझौते के अन्तर्गत, कंपनी को करों के समावेशी रियायती किरायों पर निर्दिष्ट सीटें बेचनी आवश्यक होती है। समझौते की शर्तों के अनुपालन पर, कंपनी वीजीएफ दावा राशि के लिए पात्र है।

चूंकि आरसीएस मार्ग 3 साल की अवधि के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित किए जाते हैं, इसलिए यह मार्ग स्लॉट की उपलब्धता और अन्य आवश्यकताओं के अधीन इस अवधि के बाद सभी वाहकों के लिए खुले हैं।

इंड एएस 115 के अनुसार लागू व्यावहारिक प्रणाली:

इंड–एएस 115 के पैरा 120 के अनुसार शेष निष्पादन बाध्यता के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यकता के रूप में इंड–एएस 115 के पैरा 121 के अनुसार व्यावहारिक समीचीन को देखते हुए नहीं किया जा रहा है।

54. सार्स–कोविड–2 (कोविड–19) से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान:

वैश्विक स्तर पर और भारत में कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी के प्रकोप के कारण वर्ष 2019–20 के पश्चात आर्थिक गतिविधियों ने व्यापक स्तर पर गिरावट तथा अस्थिरता तथा व्यापक अव्यवस्था तथा मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई है। भारत सरकार ने पिछले वर्ष से वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे भारत में विभिन्न अवसरों पर सख्त कार्रवाई की है, जिसके कारण व्यक्तियों और व्यवसायों में अत्यधिक व्यवधान और अव्यवस्थाएं की स्थिति उत्पन्न हुई हैं।

वर्तमान में, कंपनी को विभिन्न नियामक प्रतिबंधों जैसे किराया सीमा, भार प्रतिबंध आदि के तहत प्रचालन करना पड़ रहा है, जिसने हमारे प्रचालन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और इसका हमारे व्यवसाय पर भिन्न वित्तीय प्रभाव हो सकते हैं। इस

अवधि के दौरान यात्रियों की संख्या में कमी होने के कारण हमारा राजस्व भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में यात्री एयरलाइन के प्रचालन को बंद कर दिया। हालांकि, इस अवधि के दौरान, कंपनी ने अपने कर्मचारियों, विमान संबंधी व्यय जैसे कि लीज़ किराया और अन्य व्ययों को जारी रखा। इससे हमारे लाभ पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है।

निकट भविष्य में प्रचालन के प्रत्याशित स्तर के आधार पर और संसाधनों के इष्टतम प्रयोग के लिए, विभिन्न लागत में कटौती और लागत नियंत्रण उपायों को भी लागू किया गया था। कंपनी ने लीज़कर्ता और अन्य विदेशी विक्रेताओं के साथ पुनः वार्ता की है और लीज़ किराया में कुल 30.11 मिलियन अमरीकी डॉलर की महत्वपूर्ण कमी की है, जिसमें से 11.11 मिलियन अमरीकी डॉलर की कटौती वर्ष 2020–21 के दौरान की गई है। लागत नियंत्रण उपाय भी किए गए हैं जिनमें वेतन बिल में 39.15% की कमी है और अन्य लागत, विशेष रूप से खानपान, होटल, समयोपरि भत्ता आदि में भी कमी की गई है। वर्ष 2020–21 के दौरान भारतीय विक्रेता की कुल बचत 929.04 मिलियन रुपए है।

भारत सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, जिनके कारण यात्रियों और प्रचालन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, एएएएल ने प्रचालन की व्यवहार्यता के निर्धारण के लिए योगदान अवधारणा आरंभ की है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई और हानि में कमी आई है। एअर इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी होने के कारण, हमें कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा।

कंपनी ने उन संभावित प्रभावों पर भी विचार किया है जो कोविड–19 से संबंधित महामारी के कारण प्राप्य राशियों पर हो सकते हैं। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में, कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक क्रेडिट रिपोर्ट और संबंधित जानकारी, आर्थिक पूर्वानुमान सहित सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है।

कंपनी में उपयोग की गई धारणाओं पर संवेदनशील विश्लेषण किया है और वर्तमान अनुमानों के आधार पर इन परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की उम्मीद है।

हालांकि, कंपनी के प्रचालन पर कोविड–19 महामारी के पूर्ण प्रभाव, और वित्तीय मैट्रिक्स, कंपनी के प्रचालन के भौगोलिक क्षेत्रों में होने वाली भागी गतिविधियों, तथा इन पर सरकारी, नियामक और कंपनी स्तर की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगा, जो कि इस समय अत्यधिक अनिश्चित है और इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है, तथापि, हम अपनी परिसंपत्तियों पर प्रभाव आंकलन करना जारी रखेंगे और भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी वास्तविक परिवर्तन की गहन निगरानी करेंगे।

55. पिछले वर्ष के आंकड़े इंड–एएस की अपेक्षाओं के अनुसार पुनः प्रस्तुत/पुनः व्यवस्थित किए गए हैं।

तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरणी को भाग के रूप में शेड्यूल्स तथा उपर्युक्त टिप्पणियों के लिए हस्ताक्षर।

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745सी

हस्ता/–
(राजीव बंसल)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 00245460

हस्ता/–
(विनोद हेजमाड़ी)
निदेशक
डीआईएन सं. 07346490

हस्ता/–
(हरप्रीत ए.डी. सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
(वी.बी. सिंह)
आईसीएआई पार्टनर
आईसीएआई सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 21073124एएएएडीपी9102

हस्ता/–
(मंजिरी एम. वझे)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस16028

हस्ता/–
(अम्बर कुमार मंडल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली,
दिनांकः 14 जुलाई, 2021